पाषाण-भेद (सिलफोड़ा)

- इसे पत्थर–चूर, पाथर–चुरी, पत्थर–चट्टा भी कहा जाता है। पंजाब में इसे पढ़ान गण्डी कहते हैं और फारसी में गोशाद।
- पाषाण–भेद चट्टानों की दरारों में उगता है।
- उत्तराखण्ड के गाँवों में धात्री महिलाओं में पानी की पूर्ति के लिए इसका खूब इस्तेमाल किया जाता है।
- बच्चों में पेट की कब्ज दूर करता है।
- इसकी जड़ पथरी को गलाने के लिए उपयोग में लाई जाती है।
- पसली और आमाशय के दर्द में लाभकारी है।
- पाषाण–भेद की जड़ पीलिया रोग में लाभदायक है।
- इसकी जड़ के चूर्ण को शहद में मिलाकर बच्चों के मसूढ़ों पर लगाने से दाँत आसानी से निकलते हैं।
- पाषाण–भेद की जड़ शीतलता देती है।
- जड़ का प्रयोग हृदय रोग की दवा के रूप में होता है।
- पत्तियों का उपयोग खाँसी–कफ, गले में सूजन होने पर किया जाता है।

थुनेर

- थुनेर के पेड़ सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहते हैं।
- छाती और गर्भाशय के कैंसर में उपयोगी दवा है।
- हृदय और गुर्दे की बीमारी एवं सिरदर्द में लाभकारी है।
- इसकी लकड़ी का प्रयोग वाद्य–यंत्र बनाने के लिए किया जाता है।
- जलने पर लकड़ी धूप की तरह खुशबू देती है।
- पत्तियों का उपयोग अपच, मिर्गी, जोड़ों के दर्द में दवा के रूप में होता है।
- सूखी पत्तियों का उपयोग फसलों के कीड़े मारने में किया जाता है।
- इसकी लकड़ी से अलमारियाँ, औजारों के हत्थे, धनुष आदि बनते हैं।
- फल को खाया जाता है लेकिन इसके बीज बड़े विषैले होते हैं।
- पत्तियों को उबाल कर उसका रस पीने से श्वास रोग में फायदा पहुँचता है। अधिक मात्रा में इसका सेवन हानिकारक माना गया है।

नन्दा

उत्तराखण्ड महिला परिषद् की पत्रिका

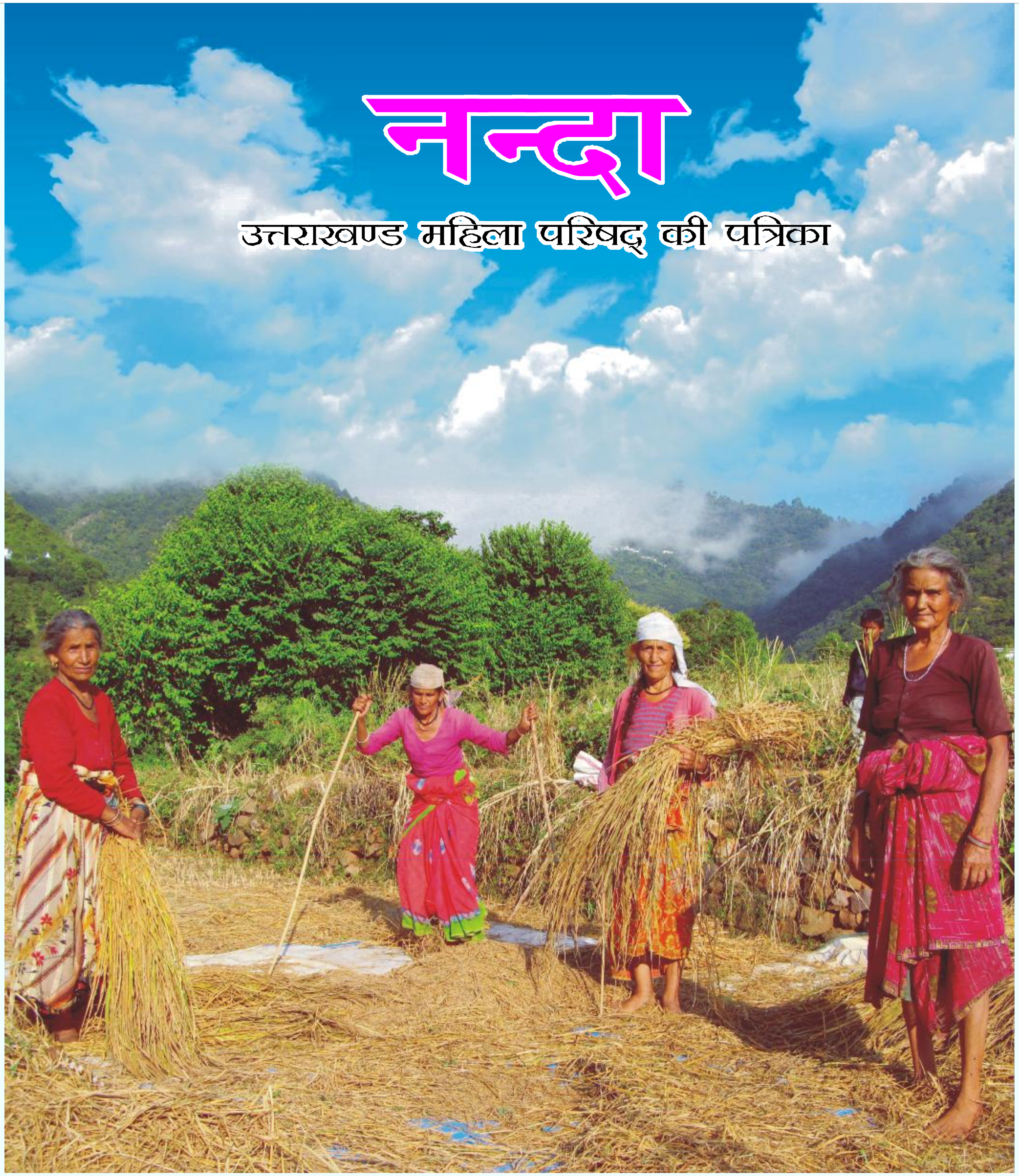

उत्तराखण्ड महिला परिषद्, अल्मोड़ा

वर्ष – 12 | अक्टूबर, 2013 | अंक 13

(केवल आंतरिक वितरण हेतु)

© सर्वाधिकार सुरक्षित

प्रतियाँ : 4,500

प्रकाशक
उत्तराखण्ड महिला परिषद्
द्वारा उत्तराखण्ड सेवा निधि
पर्यावरण शिक्षा संस्थान,
अल्मोड़ा – 263601

प्रकाशन सहयोग
राजेश्वर सुशीला दयाल
चैरीटेबल ट्रस्ट, नई दिल्ली

मुख्य आवरण फोटो
अनुराधा पांडे

अंतिम आवरण फोटो
सुरेश बिष्ट, डी0एस0 लटवाल

अन्य फोटो
अनुराधा पांडे

तृतीय आवरण फोटो
कैलाश पुष्पवान, अनुराधा पांडे

परिकल्पना एवं संपादन
अनुराधा पांडे

विशेष आभार
पद्मश्री डा0 ललित पांडे,
उत्तराखण्ड महिला परिषद् से जुड़े
सभी महिला संगठन

सहयोग
डी0एस0 लटवाल, सुरेश बिष्ट

चित्र
महिला साक्षरता एवं शिक्षण कार्यक्रम

टंकण
डी0एस0 लटवाल, श्वेता बिष्ट

मुद्रक : एडविस्टा, नैनीताल

उत्तराखण्ड महिला परिषद्
सहयोगी संस्थाएं

जनपद	संस्थाएं
अल्मोड़ा	– सीड, सुनाड़ी – पर्यावरण चेतना मंच, मैचून – राइज, सेराघाट – उत्तराखण्ड शिवा शक्ति समिति, दन्यां
बागेश्वर	– पर्यावरण एवं शिक्षा समिति, शामा – ग्रामीण उत्थान समिति, कपकोट
चमोली	– शेप बधाणी, कर्णप्रयाग – जनदेश, सलना – नवज्योति महिला कल्याण संस्थान, गोपेश्वर – लोक जागृति विकास संस्था, कर्णप्रयाग – लोक कल्याण विकास समिति, सगर
चम्पावत	– पर्यावरण संरक्षण समिति, पाटी
नैनीताल	– जनमैत्री, गल्ला, नथुवाखान
पौड़ी गढ़वाल	– नयारघाटी ग्राम स्वराज्य समिति, बाडियूं – नीलकंठ सेवा संस्थान, मलेलगाँव
पिथौरागढ़	– शैक्षणिक ग्रामोन्नति समिति, गणाई-गंगोली – मानव विकास समिति, पव्वाधार – उत्तरापथ सेवा संस्था, मुवानी
रूद्रप्रयाग	– हिमालयन ग्रामीण विकास संस्थान, ऊखीमठ
टिहरी गढ़वाल	– घनश्याम स्मृति शिक्षा एवं कल्याण संस्थान, बडियारगढ़

पत्रिका में दिये गये विचार लेखक/लेखिका के हैं। परिषद् का इससे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

नन्दा

उत्तराखण्ड महिला परिषद् की पत्रिका

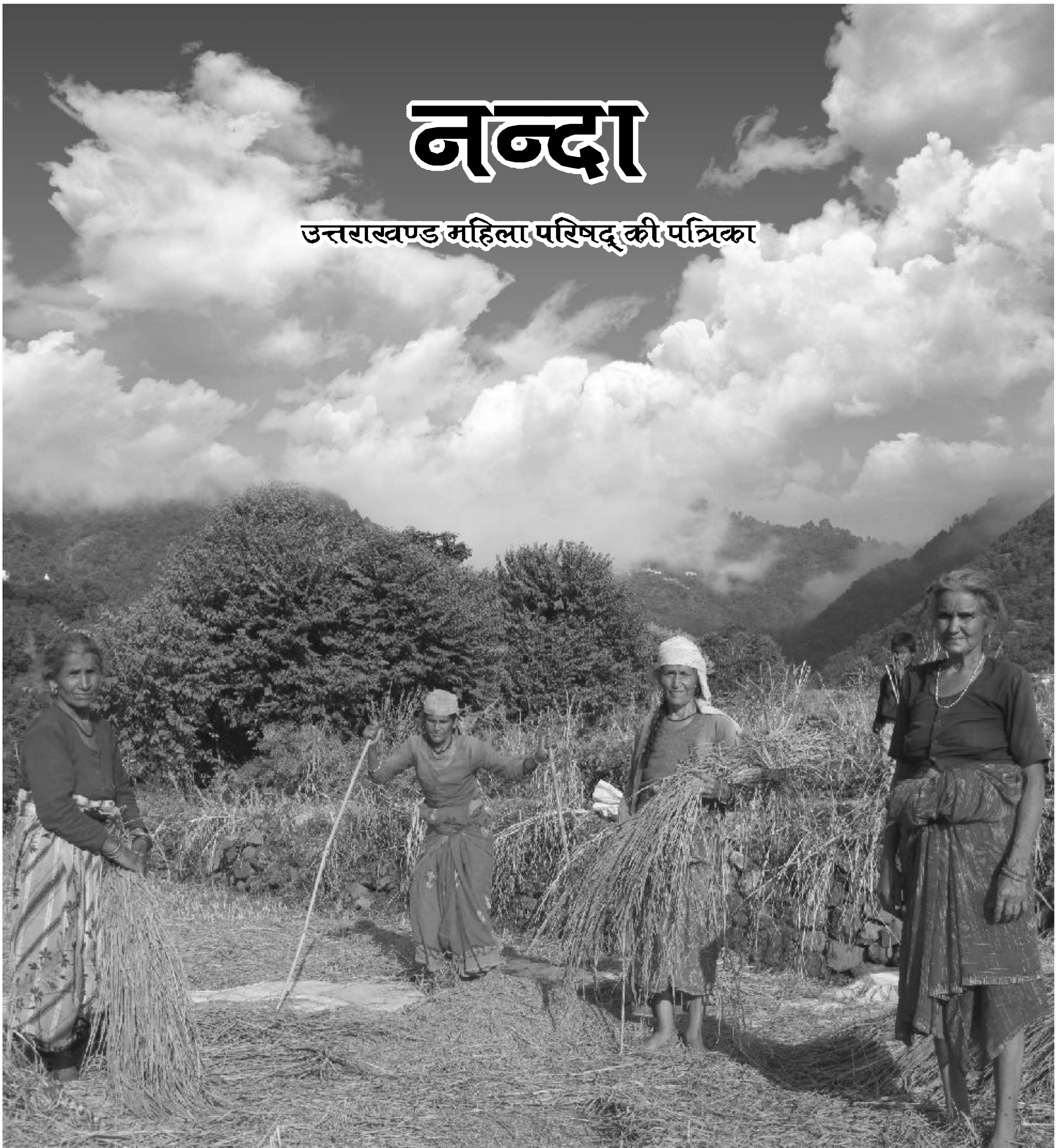

उत्तराखण्ड महिला परिषद्, अल्मोड़ा

इस अंक में

			पृष्ठ संख्या
1.	हमारी बातें	अनुराधा पाण्डे, (जिला अल्मोड़ा)	1
2.	मायल गाँव का संगठन	राधा खनका, मुवानी (जिला पिथौरागढ़)	7
3.	मेरा जीवन	मनीषा (जिला अल्मोड़ा)	11
4.	ग्राम पंचायत चौण्डली का महिला संगठन	शिवनारायण किमोठी, बधाणी (जिला चमोली)	13
5.	दन्याँ में महिला सम्मेलन	चंद्रा पंत, दन्याँ (जिला अल्मोड़ा)	14
6.	परिवर्तन	मुन्नी कोरंगा, लीती धूरा (जिला बागेश्वर)	16
7.	महिला की स्थिति	विनोद कुमार, मैचून (जिला अल्मोड़ा)	17
8.	मेरी डायरी	पुष्पा देवी, ग्राम मल्लाकोट, मुवानी (जिला पिथौरागढ़)	18
9.	एक महिला की कहानी	माया जोशी, बिंता (जिला अल्मोड़ा)	19
10.	बाधाएं और संघर्ष	नंदी कोरंगा, शामा (जिला बागेश्वर)	20
11.	नीरज का जीवन	माया जोशी, बिंता (अल्मोड़ा)	22
12.	साक्षरता गीत	प्रेमा कोरंगा, ग्राम भनार, तिमुलाबगड़ (जिला बागेश्वर)	24
13.	कृषि में सुधार का प्रयास	दर्बान सिंह कोरंगा, शामा (जिला बागेश्वर)	24
14.	कन्या–भ्रूण हत्या, दहेज	दिलीप राज, सगर–गोपेश्वर (जिला चमोली)	26
15.	महिला शिक्षण	रविता बिष्ट, हथनूड़, नयारघाटी (जिला पौड़ी गढ़वाल)	27
16.	प्रेरणादायी व्यक्तित्व	महानंद बिष्ट, गोपेश्वर (जिला चमोली)	30
17.	शैक्षिणक भ्रमण	सत्येन्द्र रावत, सगर (जिला चमोली)	33
18.	किशोरियों के अनुभव	लीला कोरंगा, शामा (जिला बागेश्वर)	34
19.	किशोरी संगठन	सुनीता गहतोड़ी, पाटी (जिला चंपावत)	35
20.	बालवाड़ी से समाज में आये परिवर्तन	लीला बिष्ट, दन्याँ (जिला अल्मोड़ा)	36
21.	महिला संगठन गोगिना धारी	उमा रौतेला, गोगिना धारी (जिला बागेश्वर)	37
22.	कम्प्यूटर प्रशिक्षण केंद्र दोगड़ी–काण्डई	श्री नंद किशोर विष्ट, गोपेश्वर (जिला चमोली)	38
23.	किशोरी गोष्ठी के अनुभव	दया उप्रेती, खेती (जिला अल्मोड़ा)	39
24.	महिला साक्षरता एवं शिक्षण केन्द्र कीमू	मुन्नी कोरंगा, लीती धूरा (जिला बागेश्वर)	40
25.	स्वास्थ्य पर पहल	पुष्पा पुनेठा, दन्याँ (जिला अल्मोड़ा)	41
26.	महिला साक्षरता एवं शिक्षण केन्द्र में भाषा ज्ञान	पुष्पा पुनेठा, पूनम आर्या, कमला कोरंगा, विनिता नेगी, सुनीता (जिला अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली)	43
27.	ग्रामीण महिलाओं का संसार : एक झलक	सोनिया बिष्ट, हथनूड़ नयारघाटी (जिला पौड़ी गढ़वाल)	44

28.	पैनखण्डा महिला परिषद्	हेमा पंवार, जोशीमठ (जिला चमोली)	46
29.	साक्षरता एवं शिक्षण केन्द्र की कहानी	मीरा नेगी, कमला शर्मा, सुनीता डसीला, यमुना मेहता (जिला पौडी, पिथौरागढ, बागेश्वर)	48
30.	किशोरियों में आया बदलाव	कमला जोशी, दन्याँ (जिला अल्मोड़ा)	49
31.	किशोरी संगठन बाजन	लीला मठपाल, द्वाराहाट (जिला अल्मोड़ा)	51
32.	समय से सहमी किशोरियाँ	मीरा नेगी, बाडियूँ (पौड़ी गढ़वाल)	52
33.	महिला संगठन कोड़ा	भगवती तिवारी, द्वाराहाट (जिला अल्मोड़ा)	53
34.	गल्ला गाँव की झलक सबसे अलग	बची सिंह बिष्ट / महेश सिंह गलिया, गल्ला (जिला नैनीताल)	54
35.	बागवानी को आगे बढ़ाने का प्रयास	पीताम्बर गहतोड़ी, तोली–पाटी (जिला चम्पावत)	56
36.	साक्षरता एवं शिक्षण कार्यक्रम के शैक्षणिक तरीके	केदार सिंह कोरंगा, लक्ष्मी चौहान, गीता रावत, सुनीता, गीता नेगी (जिला अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली, पौड़ी)	58
37.	महिला संगठन बघाड़	हेमा नेगी, भिक्यिासैंण (जिला अल्मोड़ा)	60
38.	मेरी बात	शान्ति बाफिला, मुवानी (जिला पिथौरागढ़)	62
39.	लड़की की भाग्य रेखा	आशा नेगी, शिलंग–धमेड़ा (अल्मोड़ा)	63
40.	नन्दा राजजात	शिवनारायण किमोठी, बधाणी (जिला चमोली)	64
41.	साक्षरता केन्द्र का महत्व	राजू बिष्ट, लीला कोरंगा, नीलम, दीपा जोशी (जिला पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली, अल्मोड़ा)	65
42.	सम्मेलनों में भागीदारी	राजू बिष्ट, गणाई–गंगोली (जिला पिथौरागढ़)	67
43.	महिला संगठन रुँगड़ी	राजू बिष्ट, गणाई–गंगोली (जिला पिथौरागढ़)	69
44.	क्षेत्रीय महिला परिषद् गणाई गंगोली	हंसी डसीला, बची सिंह बिष्ट, गणाई–गंगोली (जिला पिथौरागढ़)	72
45.	आपदा में ऊखीमठ का सफर	धरम सिंह लटवाल, चौंसली (जिला अल्मोड़ा)	77

उत्तराखण्ड महिला परिषद्

उत्तराखण्ड महिला परिषद्, उत्तराखण्ड की जागरूक एवं क्रियाशील ग्रामीण महिलाओं का संगठन है जिसने ग्राम समुदाय में विकास की मुख्य–धारा के ढाँचे से अलग एक वैकल्पिक विकास की व्यवस्था और उसके क्रियान्वयन के तौर–तरीके को विकसित किया है। उत्तराखण्ड में ग्रामीण महिलाओं के सबसे बड़े संगठन के रूप में प्रतिष्ठित महिला परिषद् का काम राज्य भर में फैले हुए ग्राम–स्तरीय संगठनों व स्वैच्छिक संस्थाओं ने संभाला है, जो ग्रामीण इलाकों में परिवर्तन लाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं।

यद्यपि उत्तराखण्ड में महिला संगठनों के गठन एवं कार्यों की शुरूआत 1988 से हो गयी थी परंतु चार सौ नब्बे महिला संगठनों की सोलह हजार सदस्याओं तथा बीस स्वैच्छिक संस्थाओं की सम्मिलित आवाज से विकास संबंधी समस्याओं को संस्थात्मक, व्यवहारिक एवं वैचारिक मध्यस्थता देने की जरूरत को समझते हुए, 7 फरवरी, 2000 को उत्तराखण्ड सेवा निधि पर्यावरण शिक्षा संस्थान, अल्मोड़ा में उत्तराखण्ड महिला परिषद् का गठन किया गया। परिषद् की सदस्याओं में जाति, शैक्षणिक पृष्ठभूमि, उम्र के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता। बड़ी संख्या में पचास वर्ष से अधिक उम्र की महिलायें कभी भी विद्यालय नहीं गयी हैं, परंतु बीस से पचास वर्ष की अधिकतर महिलायें साक्षर हैं और शिक्षा का स्तर प्राथमिक है। गाँवों में जहाँ पूर्व प्राथमिक केन्द्र काम कर रहे हैं, वहाँ सभी लड़कियाँ माध्यमिक स्तर तक पढ़ी हैं तथा हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट तक पढ़ी हुई लड़कियाँ भी काफी संख्या में हैं। कुछ लड़कियों ने शिक्षिका के रूप में कार्य करते हुए बी0 ए0 एवं एम0 ए0 तक शिक्षा पूरी की है। यह जरूरी नहीं है कि गाँव की समृद्ध तथा शिक्षित महिला ही परिषद् की सबसे क्रियाशील सदस्य हो, बल्कि इस जनधारणा के विपरीत कि आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर या शिक्षित महिला ही अच्छा नेतृत्व कर सकती है, गाँव की प्रौढ़ महिलायें, जो यहाँ की स्थाई निवासी हैं, खेती करती हैं, परिषद् की अधिक क्रियाशील सदस्याएं हैं।

उत्तराखण्ड महिला परिषद्, ग्रामीण महिलाओं के ऊपर विकास कार्यक्रमों को थोपती नहीं बल्कि उन्हें बालवाड़ी शिक्षिकाओं, पुरूषों, अध्यापकों, युवाओं, स्थानीय अधिकारियों तथा अन्य संगठनों से सम्बन्धित महिलाओं से प्रत्यक्ष रूप से मेल–जोल रखने तथा सीखने के अवसर प्रदान करती है। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि परिषद् केवल उन्हीं कामों को महत्व दे, जो ग्रामीण / स्थानीय महिलाओं द्वारा स्वयं आयोजित तथा क्रियान्वित किये जा सकें। स्त्री–पुरूष या फिर जातिगत असमानता से सम्बन्धित भावनाएं और बाधाएं खुलकर गोष्ठियों में सामने आते हैं, जो परिषद् द्वारा उत्तराखण्ड में विकास कार्यक्रमों को सुचारू रूप से क्रियान्वित करने की दिशा में एक अनौपचारिक एवं महत्वपूर्ण प्राथमिक कदम है।

जमीन–प्रबन्धन से जुड़े कार्यों में नर्सरी लगाना, चारा उत्पादन, घेरावंदी करना, खाद बनाना, रोकबाँध बनाना तथा जानवरों की मुक्त चराई पर सम्मिलित रूप से रोक लगाना, जंगलों को बचाना, वनीकरण तथा प्राकृतिक सम्पदाओं का पुनरूत्पादन आदि काम सम्मिलित हैं। इसके अलावा पानी से जुड़ी समस्याओं का समाधान (जैसे–पुराने स्रोतों का जीर्णोद्धार, वर्षा जल संरक्षण, पॉलीथीन की टंकियाँ, फेरो–सीमेंट टैंक आदि) संगठनात्मक तरीके से किया जाता है। स्वास्थ्य और स्वच्छता कार्यक्रमों में शौचालय बनाना, महिलाओं की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, व्यक्तिगत सफाई, घर एवं गाँव की स्वच्छता, पोषण संबंधी जानकारियों को फैलाना एवं संबंधित गतिविधियों का संचालन आदि कार्य सम्मिलित हैं। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक असमानता संबंधी विषयों पर शिक्षा व जागरूकता लाने के लिए गोष्ठियाँ, सेमीनार, कार्यशालायें तथा प्रशिक्षणों का आयोजन किया जाता है। परिषद् की अनेक सदस्याएं पंचायत प्रतिनिधि बन कर महिलाओं की आवाज को बढ़ा रही हैं। हर वर्ष परिषद् द्वारा उत्तराखण्ड में लगभग बाइस महिला सम्मेलन आयोजित किये जाते है। साथ ही, महिला साक्षरता एवं शिक्षण कार्यक्रम भी शुरू किया गया है।

संगठन की सदस्याएं उत्तराखण्ड में विकास कार्यक्रमों में नीतिगत बदलाव की माँग कर रही हैं। विभिन्न कार्यक्रम जो कि ग्रामीण विकास, महिला विकास, शिक्षा, खनन, कृषि, जंगल, पानी, आयवृद्धि और पंचायती राज व्यवस्था के लिए बनाये गये हैं, उनके बारे में ग्रामीण महिलाओं की अपनी समझ, जानकारी और अनुभव है। साथ ही, उत्तराखण्ड महिला परिषद् के रूप में काम करते हुए महिलाओं ने विकास के मुद्दे पर अपनी एक वैकल्पिक समझ व कार्य–विधि विकसित की है। इन्हीं अनुभवों को आधार बनाकर उत्तराखण्ड महिला परिषद् की सदस्याएं, सरकारी नीतियों व कार्यक्रमों में बदलाव व सुधार की माँग करती हैं।

अनुराधा पांडे

हमारी बातें

उत्तराखंड के निवासी मानते हैं कि पहाड़ी नदियाँ हिमालय की बेटियाँ हैं। चंचल, चुलबुली उमंग से भरी हुई बेटियाँ, जो सपने देखने और उन्हें पूरा करने का साहस रखती हैं। वे जानती हैं स्वावलंबी और स्वतंत्र होने का मतलब। इसीलिए जिंदगी की मुसीबतों की कल्पना कर–कर के वे भय से अधमरी नहीं हुई जातीं बल्कि साहस कर के निकल पड़ती हैं मैदानों और फिर समुद्र की ओर। हिमालय की गोद के दायरे से बाहर–दुनिया को देखने, जानने के लिए।

हिमखण्डों की बर्फ के पिघलने और बारिश से जन्म लेती हैं, पहाड़ की नदियाँ। साफ, स्वस्थ, ऊर्जा से भरपूर बच्चियों की तरह कूदती–फॉदती, किलकारियाँ भरती दौड़ती रहती हैं, पहाड़ी दर्रों और बुग्यालों के बीच। जंगलों–घाटियों, खेतों–पहाड़ों को तेजी से पार करती जाती हैं, इतनी बेकल कि कहीं नहीं रूकती, विश्राम नहीं करतीं। बस दौड़ती चली जाती हैं। रास्ते में मिलने वाले पत्थर–मिट्टी, पेड़–पौधों के साथ रिश्ता जोड़तीं, घाटों–तटों और ऊँचे पहाड़ों पर बसे हुए गाँवों/बसासतों को एक सूत्र में बाँधती चलती पहाड़ की नदियाँ खुद में भी एक संपूर्ण अस्तित्व है, एक व्यवस्था हैं। तरह–तरह के जीव–जंतुओं, वनस्पतियों को पालती–पोसती हुई नदियाँ अपने भीतर एक ऐसा संसार बसाये रखती हैं जो विलक्षण ही कहा जायेगा।

किशोरवय होते–होते जब पहाड़ी नदियाँ दर्रों–घाटियों से बाहर निकल कर मैदानी क्षेत्र की सीधी–सपाट जमीन में पहुँचती हैं तो बदल लेती हैं अपना रूप। स्वाभाविक चंचलता और चुलबुलेपन को छोड़ कर गांभीर्य ओढ़ लेती है। शर्मीली, लचीली, गुनगुनाती, स्वयं में मगन युवती–सी वे अवस्था और अनुभव का विस्तार पाती हैं। एक नया संसार खुलता है उनके सामने, जहाँ पहाड़ी रास्तों का संकरापन नहीं है बल्कि क्षितिज तक फैला हुआ एक खुला आसमान है। मंथर गति से आगे बढ़ती युवा नदी मैदानों में जीवन और उर्वरता बिखेर देती है। लोग सुख के क्षणों में उसके किनारे जाते हैं तो दुःख के वक्त भी बहते पानी को देख कर जिंदगी के बहाव का मतलब निकालते है। दाह संस्कार नदी के किनारे होता है। कोई मृत–आत्मा की शांति के निमित्त नदी की शरण में जाता है तो कोई आत्महत्या कर लेने के मकसद से भी वहाँ पहुँचता है। प्रेमी–युगल नदी किनारे बैठकर अपने मन–संसार को एक–दूसरे के साथ बाँटते हैं तो प्रौढ़ दंपत्ति भी जिंदगी के हिसाब–किताब की विवेचना करने नदी किनारे जा बैठते हैं। नदी–तट ही तो है जहाँ साधु–पुजारी अपनी आस्था के उपक्रमों को जोड़ते हैं और नदियाँ ही हैं जो मनुष्य को आसक्ति से मोह और मोह से मोक्ष तक का सफर समझा पाती हैं।

ऊँच–नीच, जिंदगी के सुख–दुःख, उलझनें, माधुर्य–गंदगी, शुभ–अशुभ, पाप–पुण्य के अनुभवों को समेटे हुए धीरे–धीरे आगे बढ़ने वाली प्रौढ़ नदी का विस्तार तटों को जोड़ता है तो उन्हें अलग–अलग रहने को भी बाध्य करता है। घाटों–तटों में फैली हुई दुनियादारी जिंदगी की सरलता–कटुता, उचित–अनुचित के ताने–बाने में उलझी हुई रोज की घटनाओं के साथ ही इतिहास के हर बदलते परिदृष्य की साक्षी है नदी।

ज्यों–ज्यों नदी समुद्र की ओर बढ़ती है त्यों–त्यों उसका फैलाव बढ़ता जाता है। यह विस्तार प्रतीक है एक प्रौढ़ स्त्री के बुढ़ापा ओढ़ लेने का। वृद्धावस्था में नदी धीरे–धीरे आगे बढ़ती है। अपनी जीवन–यात्रा के दौरान अर्जित ज्ञान के साथ वह समुद्र में मिल जाने को उद्यत होती है। मोक्ष की प्राप्ति या मुक्ति का साधन मिलता है वैराग्य से। नदी को समुद्र में मिलकर अपने अस्तित्व के खो जाने का डर नहीं। ''मैं'' की भावना के परे, वैराग्य और अनासक्ति के भावों से युक्त नदी समुद्र में मिल कर एकाकार हो जाती है, यही उसकी जीवन यात्रा है। पिता हिमालय उसकी परिणिती जानते हैं फिर भी बचपन में ही उसे जाने देते हैं, शायद मन ही मन सोचते होंगे कि अगले जन्म में वर्षा/बर्फ के रूप में वह पुनः उन्हीं की गोद में आयेगी और शुरू करेगी एक नई जीवन–यात्रा।

पानी का कोई स्वरूप नहीं होता। उसका कोई मार्ग नहीं। जिस दिशा में पानी बहे, वहीं नदी का मार्ग बन जाता है। पहाड़ी नदी का पानी सर्दी में ठिठुरता है तो गर्मी में तपता है। बरसात में बढ़ता है तो जाड़ों के मौसम में कम भी होता है। रूप बदलता है तो पानी का रंग और नदी का मूड भी बदल जाता है। यही उसका स्वभाव है। यदि मनुष्य नदी की जीवंत व्यवस्था को समझ ले तो उसका स्वभाव भी समझ में आने लगेगा। स्वतंत्र होकर एक विलक्षण यात्रा तय करने वाली नदी कभी शांत, जीवनदायक संबल है तो कभी रौद्र रूप धारण कर सब कुछ मटियामेट कर देने वाली शक्ति। नदी के ये दोनों ही रूप प्राकृतिक हैं, सत्य हैं और शाश्वत भी। जो नदी जिंदगी देती है वही जिंदगी ले भी सकती है। इस सत्य को आत्मसात करना जरूरी है, तभी उसका स्वभाव समझ में आयेगा।

भूगर्भीय हलचलों से लगातार संवेदनशील बने हुए हिमालयी क्षेत्र में नदियाँ अपना मार्ग बदलती रहती हैं। सन् 1882 में लिए गए केदानाथ के चित्र को देखें तो पता चलता है कि मंदाकिनी नदी मंदिर के पूर्व–उत्तर दिशा में बहती थी। वर्तमान में मंदिर के पश्चिम–उत्तर दिशा में बहने लगी। इस तरह मंदाकिनी ने अपने मार्ग को बदल लिया। हिमालयी क्षेत्र की अन्य बड़ी नदियाँ भी अपना रास्ता बदलती रहती हैं। सिंधु नदी पाकिस्तान से हो कर बहने लगी। सरस्वती नदी तो विलुप्त हो कर जमीन के नीचे बहती है। साथ ही, नदियाँ बदलती हैं अपना रंग और रूप। छल–छल बहते पारदर्शी पानी वाली पहाड़ी नदी कब धूसर, मटमैला रंग धारण कर ले इसका अनुमान लगाना आसान है क्या? सूरज की किरणों के प्रभाव के साथ–साथ सुबह से शाम तक नदियाँ बदलती रहती हैं अपने रंग! कभी हल्का तो कभी गहरा नीला या फिर हरे और समुद्री हरे रंगों को झलकाती पहाड़ की नदियाँ कभी ऊँचे दर्रों में सफेद फेन से झिलमिलाती दिखायीं पड़ती हैं तो कभी घाटी में फैल कर धूसर रंग की हो जाती हैं। किन्हीं दो नदियों के मिलन स्थल पर कभी–कभी पानी दो रंगों का भी तो दिखायी देता है! यदि इनमें से एक नदी के स्रोत या मार्ग में वर्षा हुई हो तो मटमैला भूरा रंग लिए हुए नदी का पानी अपनी संगिनी के नीले साफ पानी के साथ–साथ दूर तक बहता चला जाता है।

बरसात के मौसम में उत्तराखण्ड की नदियों में पानी का बढ़ना, भारी मात्रा में मिट्टी और जमीन का कटाव और भूस्खलन होना कोई नयी घटना नहीं है। सन् 1893 में भारी भूस्खलन के बाद चमोली जिले में अलकनंदा नदी की सहायक विरही पर एक झील बन गयी थी। लगभग एक साल बाद पानी और गाद से लबालब भर जाने के बाद यह झील टूट गयी। "गौना ताल" कही जाने वाली इस झील के फटने से जनहानि नहीं हुई। इसका कारण, ब्रिटिश सरकार द्वारा किया गया स्थिति का सही ऑकलन और बचाव के समुचित उपाय ही रहे। लगभग पिचासी वर्ष बाद सन् 1970 में हुई एक अन्य अतिवृष्टि के बाद "गौना ताल" मटियामेट हो गया। बाढ़ से चमोली, श्रीनगर और अलकनंदा के किनारे की बसासतों को भारी नुकसान हुआ। इस घटना के बाद, चमोली जिले के सरकारी कार्यालय गोपेश्वर में बनाए गये। इसी प्रकार बादल फटने की वजह से टिहरी जिले में कनोड़िया गाड़ में एक झील बनी थी। 1978 में इस झील के फटने से भागीरथी नदी की घाटी में भीषण तबाही हुई।

इसी तरह कुमाऊँ में काली, गोरी गंगा, पिंडर और कोसी नदियों में बाढ़ आने से जन–धन की क्षति होती रही है। इसी वर्ष बलुआकोट, ऐलागाड, किलपारा, बदियाकोट, मदकोट, जौलजीवी, थराली, देवाल, हरमनी, कुलसारी, नारायणबगड़, सिमली, कर्णप्रयाग, चुकम, मोहान, रामनगर आदि स्थानों में कृषि भूमि के साथ–साथ घर–दुकानें, पशु और पेड़ जमींदोज हो गये। भूस्खलन और जमीन धँसने की वजह से कई गाँव खतरे की जद में आ गये।

शांत, संयमित निर्मल पानी का बहाव नदी के स्वभाव में है तो अल्हड़पन भी उसका गुण है। नदी स्वयं में एक अस्तित्व है। खुद में एक सम्पूर्ण तंत्र है इसीलिए वह स्वतंत्र है। स्वतंत्रता के इस भाव से ही उसका व्यक्तित्व पूर्ण होता है। यूँ तो नदी सब्र के साथ पाप, घृणा, ऊँच–नीच, हित–अनहित सभी कुछ सहन करती है लेकिन सीमा के भीतर ही। उत्तराखण्ड में जिस तरह से जल के प्रवाह को रोक कर के बाँध, जलाशयों का निर्माण हुआ, नदी के नये–पुराने मार्गों पर होटल, लॉज, पार्किंग आदि बनाये गये उस का जीवन ही खतरे में पड़ गया। अपने स्वतंत्र प्रवाह के मार्ग में आ रहे अवरोधों को पाकर या तो नदी ने अपना मार्ग बदला या फिर अवरोध को ही जड़ से खत्म कर दिया।

पहाड़ी नदियों के स्वभाव को समझें तो उत्तराखण्ड में जून 2013 में आई आपदा एक सहज, स्वाभाविक घटना थी। हालांकि इसकी वजह से राज्य में जो कुछ घटा, वह असहज, असामान्य ही कहा जायेगा। विशेषकर केदारघाटी में आपदा के प्रभावों पर चर्चा करूँगी क्योंकि उत्तराखण्ड महिला परिषद् से जुड़ी हुई महिलाओं की आपबीती को जानने–समझने का प्रयास मैंने यहीं पर किया। बारह गाँवों की महिलायें जिनके पति, बेटे, जेठ, ससुर आपदा के बाद घर नहीं लौटे, कुछ इस तरह से मिलीं :

करोखी गाँव की दर्शनी देवी के पति खच्चर से यात्रियों को केदारनाथ लाने–ले जाने का काम करते थे। उनका बेटा भी पिता की मद्द के लिए साथ चला गया। आपदा के बाद दोनों ही

घर नहीं लौटे। पठाली गाँव की रामेश्वरी, डूंगर गाँव की ऊषा, किमाणा की सविता और पैंज की उर्मिला वे स्त्रियाँ हैं जिनके पति और बेटे आपदा की भेंट चढ़ गये। दुकानों में काम करने के अलावा ये पुरुष और बच्चे खच्चर, कंडी आदि ढो कर आजीविका चलाते थे। उनकी मृत्यु के समय की कल्पना करते हुए घर की स्त्रियाँ काँप उठती हैं। ''पता नहीं जब मौत आई, दोनों भाइयों ने एक दूसरे का हाथ कस कर पकड़ा होगा या नहीं? दोनों मर कर भी साथ होंगे ना?'' आपदा में अपने दो बेटे खो चुकी विभ्रमित माँ हमसे प्रश्नों की झड़ी लगा देती है। अचानक जिंदगी छोटी लगने लगती है और खुद की असहायता का अहसास जोर पकड़ता है। कोई चली गई जिंदगी को वापस ला पाया है क्या? मेरी आँखें शून्य में खो जाती हैं, उस माँ की रीती आँखों का पीछा करती हुई सी।

हाथ में पकड़े हुए लकड़ी के टुकड़े से घर के आँगन में बिछे पटालों की पीठ को कुरेदती हुई ग्वाड़–सारी गाँव की सुलोचना देवी की सिसकियाँ थमती नहीं। ''बाइस साल का था मेरा लड़का। देहरादून में पढ़ता था, घर आया हफ्ते भर के लिए। चाचा की दुकान हैं रामबाड़ा में... वहीं चला गया। कभी वापस नहीं आयेगा अब....पड़ा हुआ है वही वन में। गाँव के लोगों ने पहचान लिया था उसको।''

गाँधीनगर के निवासी श्री नन्दलाल की माँ बाढ़ के पानी में बह गयी। पुश्तैनी तौर से उनका परिवार केदारनाथ में ढोल बजाने का काम करता रहा है। आपदा के वक्त बहू–बच्चों सहित पूरा परिवार केदारनाथ में ही था। ऊपर की मंजिल में होने के कारण परिवार तो बच गया लेकिन माँ चली गयी। अब माँ की जगह नंदलाल को काम मिला है।

ग्वाड़ सारी गाँव की गोदावरी देवी की एक ही बेटी है। वृद्धा माँ की देखभाल बेटी और दामाद ही करते आये हैं। अब दामाद की मौत के बाद बूढ़ी माँ, बेटी और छोटे बच्चे ही घर पर हैं। ''मेरा जैसा भाग्य किसका होगा? पति पहले ही चले गये। बेटा था नहीं। बेटी–दामाद को ही बेटा माना। अब ये सहारा भी गया।''

उदयपुर गाँव की सम्पत्ति देवी के पति मन्दिर समिति में काम करते थे। चुन्नी गाँव की रोली देवी के पति भी मन्दिर समिति के सदस्य थे। किमाणा की सुलोचना और पठाली की बबीता के पति हेलीकॉप्टर सेवा से आजीविका कमाते थे। इन सभी स्त्रियों के सामने बच्चों की परवरिश की चुनौती है। साथ ही, बूढ़े सास–ससुर के साथ–साथ परिवार के अन्य सदस्यों की देखभाल की जिम्मेदारी भी है। ''खेती–बाड़ी से कैसे पूरा होगा? मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा। रहने के लिए ये कमरा भी चचिया सास ने दिया, जब वह ऊखीमठ गयी,'' इस युवा स्त्री का सहारा परिवार और गाँव के लोग ही हैं।

केदारनाथ क्षेत्र से सुरक्षित लौट कर वापस आये हुए पुरूषों की परेशानियाँ भी कम नहीं हैं। डूंगर गाँव के राधेलालजी बताते हैं, ''खच्चर–कंडी ढ़ोने का काम करने वाले आदमी कमाया हुआ पैसा अपने पास कहाँ रख पाते हैं? धूप–बारिश में यात्रा–रूट पर चलना हुआ....। हम लोग

कमाई का पैसा दुकान या लॉज में किसी के पास रख देते थे—सँभालने के लिए। यात्रा खत्म हो जाने के बाद पैसा लेकर घर आते थे।..जिसके पास पैसा रखा, वही खुद को संभाल नहीं पाया। खुद गया, दुकान और लॉज गई। पैसा भी गया। खाली हाथ घर वापस लौटे हैं हम लोग।'' परिवार की स्त्रियाँ दिलासा देती हैं, ''पैसा गया तो गया। कम से कम जान बच गयी। पैसा फिर कमा लेंगे—हाथ का मैल ठैरा पैसा तो।'' राधेलाल निराश हैं, ''दोनों खच्चर घर में बँधे खड़े हैं अब। गुड़—चना सस्ता है क्या? इन्हें खिलाना है पर कमाई कुछ नहीं....वहाँ से लौटे तो चारों ओर लाशें पड़ी थीं। अपने पहाड़ के लोगों का ऐसा हाल देखकर दिल टूट गया। अब कुछ करने को मन नहीं करता।''

हिमालयी ग्रामीण विकास संस्था, ऊखीमठ और उत्तराखण्ड महिला परिषद् द्वारा केदारघाटी के लगभग पैंतालीस तोकों में घर—घर जाकर किये गये सर्वे से पता चलता है कि लापता/मृतकों में इक्यावन प्रतिशत पच्चीस वर्ष से कम उम्र के बच्चे एवं युवा है। सर्वाधिक मौतें सोलह से बीस वर्ष की आयु के लड़कों की हुई हैं (तेइस प्रतिशत)। सर्वे के अनुसार मृतकों में अठारह प्रतिशत ग्यारह से पन्द्रह वर्ष की उम्र के बच्चे हैं एवं बारह प्रतिशत इक्कीस से पच्चीस वर्ष की उम्र के युवक हैं। आँकड़े यह भी बताते हैं कि इक्यानबे प्रतिशत मृतक पचास वर्ष से कम उम्र के हैं। 305 मृतकों में से तीन किशोरियाँ एवं एक महिला है। इस तरह, सर्वाधिक मौतें युवा लड़कों की हुई हैं। ये सभी युवा घोड़े—खच्चर, चाय की दुकानों, होटलों में काम करके रोजी—रोटी कमा रहे थे।

आपदा से प्रभावित लोगों को राहत सामग्री मिलना आवश्यक है। राहत सामग्री तो गाँवों में पहुँची लेकिन अधिकारियों/स्वयंसेवियों का टोटा ही रहा। पैंज गाँव में महिलाओं ने बताया कि सरकार या राहत सामग्री देने वाले लोग दूर के गाँवों में नहीं पहुँचते। जो ग्रामवासी तहसील/मुख्यालय तक पहुँचा उसे राहत सामग्री मिली। अकेली पड़ गयी स्त्रियाँ क्या करें? घर में पति व बच्चों की मौत के सदमें में पड़ी महिलायें कैसे दफ्तरों के चक्कर लगायें? गाँव में ही कैम्प लगते तो विधवा, परित्यक्ता, अकेली पड़ गयी औरतों को फायदा पहुँचता। महिलाओं के इस कथन के खरेपन का असर स्वास्थ्य सेवाओं में देखा जा सकता है। दूर—दराज के गाँवों की महिलायें उपचार नहीं पा सकीं क्योंकि गाँव से दूर होने के कारण स्वास्थ्य केन्द्र तक पहुँचना कठिन था। जीप—गाड़ी से आने—जाने का खर्च जुटाना भी एक समस्या रही। ग्रामीण महिलायें तो क्या सरकार ने भी मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे को नकारे रखा। डर, निराशा, स्वप्न, दुःख, पीड़ा, अपराधबोध, जड़ता जैसे लक्षणों पर काम होने न देने से भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य की बातें हाशिए पर ही रहीं।

परिवारजनों की अचानक मृत्यु हो जाने से सदमे में जी रही ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक मदद के साथ—साथ काउंसलिंग एवं सामाजिक सहयोग की जरूरत है। सितम्बर 2012 में ऊखीमठ क्षेत्र में आई आपदा से प्रभावित स्त्रियाँ अभी तक अपने बच्चों की मृत्यु के सदमें से

उबर नहीं पाई हैं। मंगोली, चुन्नी, किमाणा आदि गाँवों में जिन परिवारों के बच्चे भूस्खलन की चपेट में आकर जमींदोज हो गए, वहाँ माँ–दादी आज भी उन्हें सपनों में देखती हैं। इसी तरह, श्री केदारघाटी में मंदाकिनी में समाई और मलबे के नीचे दबी हुई लाशें, अभिभावकों, रिश्तेदार–मित्रों को सोने नहीं देतीं। काउंसलिंग का अर्थ यह नहीं कि कोई टीम जाकर लोगों से दुःख बताने को कहे और कुछ सुझाव या भाषण देकर वापस चली आये। सदमे के बाद सभी लोगों को काउंसलिंग की जरूरत भी नहीं होती। कई लोग तो स्वयं ही परिस्थिति को स्वीकार करके सदमे से उबर जाते हैं। कुछ लोग अपने दुःख के बारे में बात करना चाहते हैं तो कोई ऐसा नहीं भी करते। अनेक लोग अपरिचितों से बात करना भी पसंद नहीं करते। ग्रामीण महिलाओं से बातचीत करते वक्त भाषा की समस्या भी हो सकती है। इसलिए काउंसलिंग के लिए ऐसे संवेदनशील लोगों की जरूरत है जो गाँव में रहने के लिए तैयार हों एवं मानवीय रिश्तों की खातिर निःस्वार्थ भाव से मदद करें।

परिवार में कमाऊ युवा एवं पुरुषों के अचानक चले जाने से घर–गाँव में बची हुई स्त्रियों एवं वृद्धजनों के सामने रोजी–रोटी कमाने और घर–खेत बनाने का संकट है। यात्रा शुरू हो जाने पर भी घोड़े–खच्चर, कंडी ढोने का काम स्त्रियों और वृद्धजनों के लिए मुश्किल होगा। इसलिए एक नई अर्थव्यवस्था को जोड़ना और पोषित करना जरूरी है।

आज पहाड़ की नदी और स्त्री का दुःख एक जैसा है। माँ ने बेटों को जिन्दगी दी तो नदी ने भी धरती पर जिन्दगी बिखेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हर बार की तरह, इस वर्ष भी नदी और स्त्री दोनों ने उत्तराखण्ड के शांत नीले आसमान में बादलों को इकट्ठा होते और फटते हुए देखा। जल–प्रलय के बाद दोनों ही प्रछन्न मन रही। दोनों ही कष्ट भोग रही हैं। माँ को बेटों की मौत का दुःख है तो नदी का कष्ट भी कम नहीं। टूटे पहाड़ो की गाद को धारण कर नदी ने अपना शांत स्वरूप खोया तो स्त्रियों ने अपने पति और बेटों को। नदियों ने कहीं अपना मार्ग बदल लिया तो कहीं टूटे–फूटे तटों के घावों से भरे हुए अपने शरीर को सहलाती रहीं। हजारों मृतकों, वाहनों, दुकानों/लॉज, खेतों से उजड़ आई फसलों और मिट्टी–पत्थर के भार से दबा हुआ नदी का कोमल बदन पति और बेटों के दुःख से बोझिल हुई स्त्री के शरीर जैसा ही तो है।

उत्तराखण्ड में आई आपदा के बाद पहाड़ी नदी और स्त्री एकाकार होकर एक ऐसा पाठ पढ़ा रही हैं जिसके सार में जीवन का सत्य छिपा हुआ है। आपदा में माँ ने अपने बेटों, पत्नी ने पति को नदी और जंगल को सौप दिया। दाह संस्कार के बिना यूँ ही, प्रकृति में समा जाने, एक हो जाने के लिए। नदी ने भी स्त्री के विश्वास को तोड़ा नहीं। उसके पुत्र, पति, जेठ–ससुर, सभी को स्वीकार किया। अपनी गोद में सुला लिया और शरीर के ऊपर मिट्टी की चादर डाल दी, जिससे मृतकों की नींद ना उचटे–ऐसी नींद जो अब कभी नहीं खुलेगी।

इस अंक में इतना ही,

अनुराधा पाण्डे

मायल गाँव का संगठन

राधा खनका

महिला संगठन ने विकासखण्ड बेरीनाग, पोस्ट ऑफिस–नैनी, ग्राम मायल में बालवाड़ी खोलने की इच्छा जाहिर की। शुरूआत में ग्रामवासियों ने बालवाड़ी को आँगनवाड़ी समझा। जब संस्था के कार्यकर्त्ता बार–बार गाँव में गये और बालवाड़ी के बारे में बताया तो ग्रामवासियों ने बालवाड़ी खोलने के लिए सहमति दे दी। बालवाड़ी किस जगह पर चलायी जाये? कितने घण्टे चलायें? जब इन मुद्दों पर चर्चा होती तो ग्रामवासी संस्था की कार्यकर्त्ताओं से कहते, "आप लोग जानो।" जब गाँव में बालवाड़ी खोली तो ग्रामवासियों ने दो शिक्षिकाओं का चयन करने के पश्चात् उन्हें प्रशिक्षण के लिए अल्मोड़ा भेज दिया। बालवाड़ी क्या है, वे नहीं जानती थीं।

संस्था कार्यकर्त्ता ने महिला संगठन बनाने के बारे में कहा तो गाँववासी कहने लगे कि उनके पास समय नहीं है (हम फालतू नहीं है)। जब संस्था की कार्यकर्त्ता बार–बार गाँव में गयी तो उसके घर में माँ–पिताजी के पास जबाव भिजवा दिया कि आपकी लड़की बिगड़ गयी है। उस कार्यकर्त्ता से भी कहा कि वह गाँव में यूँ ही ना घूमा करे, लोग बातें करते हैं।

एक दिन, एक लड़के ने कार्यकर्त्ता से बहुत सी बातें कह दीं। वह भी चुप नहीं रही। उसने पहले तो लड़के को समझाया, फिर खूब डाँठा। उसके बाद, कानून की बातें कहकर उस लड़के को समझाया। यह सब सुनकर लड़के के घर के सदस्य डर गए और उन्होंने कार्यकर्त्ता से माफी माँगी। बाद में जब महिला संगठन का काम चलने लगा तो उस लड़के ने बहुत सहयोग किया। ज्यों ही कार्यकर्त्ता गाँव में जाती, वह अपनी पत्नी से कहता कि, "दीदी आ गई है, बैठक में जाओ और अन्य महिलाओं को भी अपने साथ लेती जाओ।"

शुरूआत में जब कार्यकर्त्ता संगठन बनाने की बातें कहते थे तो महिलायें "हमारे पास समय नहीं है," ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती थीं। एक बार संस्था के नौ कार्यकर्त्ताओं एवं सहयोगियों का दल नदी पार करके ढोलक लेकर उस गाँव में पहुँच गया। गाँव के प्राइमरी स्कूल के बरामदे में संस्था सदस्यों ने खूब जनगीत गाये। गाँव में जाकर कुछ महिलाओं और पुरुषों को संगठन के बारे में तथा अपने काम के बारे में बताया और अन्य गाँवों के संगठनों का उदाहरण दिया।

उस दिन से महिलायें गोष्ठी में बातचीत करने के लिए इकठ्ठा होने लगीं। उन्होंने निश्चय किया कि जब भी संस्था कार्यकर्त्ता कहीं जाने को कहेंगे तो वे जाकर सीखना चाहेंगी। जब महिला संगठन बना तो पहले संस्था कार्यकर्त्ताओं ने गाना गाया और फिर नुक्कड़ नाटक किया। इसके उपरान्त हर माह संगठन की बैठक होने लगी। महिलायें अपने गाँव की समस्याओं पर चर्चा करती थीं। सबसे पहले संगठन की सदस्याओं ने मिलजुलकर अपने गाँव में शराब बंद

की। इस कार्य में सफलता मिली तो महिलाओं का हौसला बढ़ गया। फिर क्या था? संगठन की सदस्याएँ एकजुट होकर एक के बाद एक समस्याओं को हल करने लगीं।

गाँव में पीने के पानी की समस्या थी। संस्था के कार्यकर्त्ता जल निगम के कार्यालय में गए। वहाँ पर अधिकारी से पूरी बात कही। उन्होंने मौखिक आश्वासन दे दिया कि अगले दिन प्लम्बर आकर पानी के नल को दुरुस्त कर देगा। इंतजार चलता रहा लेकिन दो माह बीत जाने पर भी विभाग से कोई नल ठीक करने के लिए नहीं आया। संगठन ने गाँव में बैठक की और निर्णय लिया कि पंद्रह महिलायें ब्लॉक में जायेंगी।

अगले दिन महिलायें ब्लॉक में पहुँचीं। इंजीनियर साहब वहीं दफ्तर में बैठे थे। वे महिलाओं को डाँटने लगे कि ब्लॉक में क्यों आयी हैं। महिलायें जोर–जोर से नारे लगाने लगीं। यह देखकर इंजीनियर साहब कमरा छोड़ कर बाहर जाने लगे। महिलायें कमरे के दरवाजे पर खड़ी हो गयीं और कहा कि जब तक उनकी माँगें पूरी नहीं होतीं, वे वहाँ से नहीं हटेंगी। शाम के चार बज गए पर बहस पूरी नहीं हुई। बाद में यह तय हुआ कि महिलाओं को पंद्रह नल, सॉकेट आदि सामान दे दिये जायें। महिलायें दस किमी की दूरी पैदल तय करके नलों को सिर में रखकर गाँव में लायीं। कार्यालय में कह दिया कि अगर तीन दिन के भीतर प्लम्बर गाँव में नहीं आयेगा तो वे फिर से धरना देंगी। महिलायें रात के नौ बजे घर पहुँची। तीसरे दिन प्लम्बर गाँव में आ गये। नलों को ठीक भी किया परन्तु पुरानी लाइन होने के कारण गाँव में पानी नहीं पहुँचा। महिलायें पुनः चर्चा कर के इस समस्या को हल करने में जुट गयीं।

इसी प्रकार, स्कूल में अध्यापकों की व्यवस्था की गई। अध्यापक समय से स्कूल में आ रहे हैं अथवा नहीं, पढ़ाई हो रही है या नहीं, उसकी देख–रेख भी महिला संगठन स्वयं करता है। अध्यापक यदि बैठक या अवकाश पर जायें तो महिला संगठन को सूचना देते हैं। जूनियर हाईस्कूल गाँव से तीन किमी की दूरी पर स्थित था। गाँव से इंटर कॉलेज की दूरी लगभग सौ मीटर थी परंतु बीच में रामगंगा नदी होने से बच्चे रोज दस किमी दूर झूलापुल पार करके स्कूल को आना–जाना करते थे। महिला संगठन ने अपने गाँव की मुख्य समस्या शिक्षा को माना। कक्षा छह से आठ में पढ़ने वाले बच्चे तीन किमी दूर नैनी केदारेश्वर मे पढ़ने जाते थे। वहाँ पर भी रास्ता खराब था। बीच में बड़ा नाला पड़ता था। बच्चे विद्यालय गए तो शाम को सुरक्षित घर आ भी पायेंगे या नहीं, इस बात का भय सा लगा रहता था।

इन्हीं समस्याओं के कारण महिला संगठन ने सरकार से रामगंगा नदी में पुल बनाने की माँग शुरू की। संस्था के कार्यकर्त्ता से अर्जी लिखने को कहा और पुल बनाने की ठान ली। अध्यापक से संपर्क किया और इस समस्या को हल करने के लिए अर्जी लिखवाकर जिलाधिकारी को भेज दी गई। पाँच माह बीत गए लेकिन पत्र का कोई उत्तर नहीं आया। महिलाओं और पुरुषों ने सम्मिलित बैठक करके गाँव से चंदा इकट्ठा किया। पंद्रह

महिला–पुरुषों का एक शिष्टमंडल जिलाधिकारी के पास गया। जिलाधिकारी को समस्या बताई। जिलाधिकारी ने उन्हें मौखिक आवश्वासन दे दिया। आश्वासन पाकर शिष्टमंडल के सदस्य घर आ गए।

दो माह के बाद बरसात के समय मायल गाँव के आगे कनारीबासा तोक में भूस्खलन हुआ। चार घर बह गये और सात आदमियों की मृत्य हो गई। वहाँ अनेक नेता, जिलाधिकारी और अधिकारीगण आये। उस गाँव में जाने के लिए रास्ता मायल गाँव से होकर जाता था। दिन के ग्यारह बजे थे। जिलाधिकारी आये। एक पेड़ की छाँव के नीचे जा बैठे। वे बहुत थक गए थे। ग्रामवासियों ने बैठने की व्यवस्था की। पानी पिलाया। महिलायें अपनी समस्या बता रही थीं कि तभी जानकी दीदी साड़ी के घेरे में रखे हुए कच्चे सड़े आम व नाशपाती फेंकने लगीं। जब अधिकारियों ने उनसे पूछा कि वे सड़े फल क्यों फेंक रही हैं तो उन्होंने कहा कि यदि रामगंगा नदी में पुल होता तो फल नहीं सड़ते। उन्होंने जिलाधिकारी से कहा, ''आप लोग एक दिन पैदल चलकर आ रहे हो तो इतनी परेशानी हो रही है। हमारे नन्हे–मुन्ने बच्चे दस किमी रोज कैसे पैदल चलते होंगे? जाड़ों में जब कोहरा लगा रहता है, बच्चे नदी पार करके ठंड से ठिठुरते हुए स्कूल जाते है। उन्हें कितनी परेशानी होती होगी? हर तीसरे–चौथे वर्ष इस क्षेत्र में कोई बच्चा नदी में गिर जाता है। जब तक बच्चे स्कूल से घर नहीं पहुँचते, तब तक हमारा मन काम करने में नहीं लगता। हमेशा बच्चों की चिंता लगी रहती है।''

यह सुनकर जिलाधिकारी महोदय थोड़ी देर तक चुप रहे। फिर सोच–विचार करके बोले कि पुल की मंजूरी हो जायेगी। महिलाओं ने उन्हें घेर लिया। जिलाधिकारी से कहा कि ग्रामवासियों को मौखिक आश्वासन दो वर्षों से मिल रहा है, अब लिखित मंजूरी चाहिये। जिलाधिकारी ने वहीं पर लिखित आश्वासन दिया।

छह माह बीतने के बाद भी कोई मंजूरी या सूचना नहीं मिली। तब महिलाओं ने गोष्ठी के लिए चंदा किया। जिलाधिकारी के पास गए। कार्यालय में पहुँचे तो देखा कि कोई नए जिलाधिकारी आए हुए थे। वे महिलाओं से तरह–तरह के प्रश्न पूछने लगे। महिलाओं ने जिलाधिकारी को समस्या का पूरा विवरण दिया। कहा कि वे लिखित आश्वासन दें। एक माह के

अंदर पुल बने या महिलाओं को बता दें कि पुल नहीं बन सकता। उन्होंने पुनः छानबीन की और महिलाओं को बताया कि कार्यवाही चल रही है। प्राथमिकता गाँव को दी जायेगी। महिलाओं ने कहा कि उन्हें यह आश्वासन लिखित चाहिए। जिलाधिकारी ने तीन माह के भीतर पुल की मंजूरी देने का लिखित आश्वासन दिया। उसके बाद ही महिलायें वहाँ से वापस गाँव में आयीं। वापस आते–आते रात के नौ बज गये। हाथ में मशाल लेकर रामगंगा नदी को पार करके घर पहुँची। तीन माह में पुल की मंजूरी हुई। आसपास के लोग कहने लगे कि गाँव के नजदीक पुल बनायें। महिलाओं ने अपने गाँव के किनारे से पुल बनवाया, जो सभी के लिए सुविधाजनक है।

जब स्वजल परियोजना का काम शुरू हुआ तो इस गाँव को भी कार्यक्रम के लिए चुना गया। महिलाओं ने स्वयं स्रोत ढूंढा और पानी लगवाया। नौ लाख रुपये की योजना में महिलाओं ने आधा काम स्वयं किया। गाँव की योजना का पैसा गाँववासियों ने ही कमाया। कोषाध्यक्षा जानकी दीदी थी। गाँव में जेई (इंजीनियर) आते थे तो वे पूरा हिसाब अधिकारियों को बताती थीं। एक बार किसी ने काम में गड़बड़ी की। संगठन की सदस्याओं ने उन्हें काफी डाँट लगाई। अगली बार से उन्होंने ऐसा नहीं किया। जब पानी की योजना पूरी हुई तो मायल गाँव में उद्घाटन करने के लिए विश्व बैंक की उपाध्यक्षा आई। महिलाओं का उत्साह देखकर दूसरे वर्ष भी उपाध्यक्ष मायल गाँव में चौबीस घंटे तक रहे। पूरी योजना की जानकारी ली। महिलाओं ने उन्हें पहले से लेकर अब तक की गतिविधियों के बारे में बताया। शाम को पहाड़ी खाना (सियल, भटिया, मडुवे की रोटी) खिलाया तो वे बहुत खुश हुए।

पहले मायल गाँव को कोई नहीं पहचानता था। अब महिला संगठन के माध्यम से क्षेत्र की बड़ी पहचान बन चुकी है। संस्था ने गाँव में कार्य करना छोड़ा, उसके बावजूद भी महिला संगठन स्वयं काम करता रहा। महिलायें आपस में पैसा जमा करती हैं, आंतरिक ऋण लेती हैं। एक दिन अध्यक्षा और कोषाध्यक्षा बैंक में गईं तो बैंक मैनेजर ने उनसे पूछा कि, "संस्था की कार्यकर्त्ता क्यों नहीं आई?" तब महिलाओं ने दो टूक जबाव दे दिया कि वे कब तक संस्था का हाथ पकड़ कर चलेंगी। वे सक्षम हो गई हैं। "हमने बहुत कुछ सीख लिया है और आगे भी सीखती रहेंगी," उन्होंने बैंक के मैनेजर से कहा।

महिला संगठन की सदस्या को ग्राम प्रधान बनाया। उन्होंने अपने गाँव में पंचायत घर बनाया, गाँव में बिजली लायीं। अभी भी सरकारी कर्मचारी उनका आदर करते हैं और काम के लिए पूछते रहते हैं। वर्तमान में गाँव से कुछ पलायन हुआ है, फिर भी महिलायें अपनी सोच बरकरार रखते हुए संगठन को मजबूत बनाये हुए हैं।

मेरा जीवन

मनीषा

मेरा नाम मनीषा (बदला हुआ नाम) है। जब मैं छह महीने की थी तो माँ की मृत्यु हो गई। पापा ने दूसरी शादी कर ली। वे मम्मी को अपने साथ ले गए और मुझे गाँव में ही दादा, ताईजी–ताऊजी के पास छोड़ गए। ताईजी–ताऊजी ने मेरी देखभाल की। साथ ही, मुझे पढ़ाया। कुछ समय बाद ताईजी ने अपनी बेटी की शादी कर दी। इस वजह से मम्मी को घर–गाँव में ही रूकना पड़ा। मैं उस समय दसवीं कक्षा में पढ़ती थी। मुझ से दो और बड़ी बहनें भी हैं। उनमें से एक दीदी ननिहाल में नानी के साथ रहती थी। नानी ने ही दीदी को पढ़ाया और शादी कर दी। छोटी दीदी ने दसवीं तक ही पढ़ा। मम्मी ने मुझे स्कूल में पढ़ने के लिए मना कर दिया पर मैंने उनकी बात नहीं मानी और रोज स्कूल जाती रही।

एक दिन स्कूल से वापस आकर अपनी कापी, किताबों का बैग अलमारी में रखा ही था कि मम्मी ने अलमारी में ताला लगा दिया। मैं दूसरे दिन स्कूल जाने के लिए तैयार हुई तो देखा कि अलमारी का ताला ज्यों का त्यों लगा हुआ है। मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ। दौड़कर मम्मी से चाबी माँगने गयी। उन्होंने मुझे चाबी नहीं दी और खेत की ओर चली गईं। दादी ने भी मम्मी से बहुत कहा कि मुझे स्कूल जाने दें पर उन्होंने दादी की कोई बात नहीं सुनी। मैं बहुत रोई। उसी दिन से मेरा स्कूल जाना बंद हो गया। जब मैं स्कूल जाते हुए बच्चों को देखती तो मन ही मन बहुत रोती। करती भी तो क्या? सिर्फ अपनी किस्मत पर रोती रहती थी।

उस समय न तो कोई समझने वाला था और ना ही समझाने वाला। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि यदि मेरी माँ जिंदा होती तो मैं भी अन्य बच्चों की तरह पढ़–लिख रही होती। मम्मी मुझसे हमेशा कुछ न कुछ कहती रहती थी। मैं हमेशा सोचती कि मौत आ जाये तो जीवन से मुक्ति मिले। उस जिंदगी में न कोई सुख था और ना ही कोई अपना। इसी बात को सोचते हुए कई बार मरने की कोशिशे कीं लेकिन नाकामयाब रही। अब कई वर्ष बीत जाने के बाद मैं भगवान को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे गलत काम करने से बचा लिया।

एक दिन मुझे जूनियर हाई स्कूल की टीचर मिलीं। उन्होंने मुझसे बात की और कहा कि घर में काम करने के लिए एक लड़की की जरूरत है। अगर मैं चाहूँ तो उनके साथ रह सकती हूँ। यह बात मैंने दादी को बताई। दादी ने कहा कि, ''यदि मन है तो चली जाओ, वैसे भी यहाँ रहकर क्या करोगी?'' जाने का मन तो नहीं था पर मम्मी के व्यवहार के कारण ''मैडम'' से हाँ कह दी। जब वहाँ गई तो बिल्कुल भी मन नहीं लगा। दादी की याद आती रहती थी। कई बार तो रोना आ जाता था। ''मैडम'' अच्छे स्वभाव की थीं। वे हमेशा मुझे समझाती रहतीं कि कोई भी परेशानी हो तो उन्हे बताऊँ। फिर भी मेरा मन वहाँ पर नहीं लगा। मैंने ''मैडम'' से घर वापस जाने की बात कही। ''मैडम'' ने मुझे बहुत समझाया पर मैं नहीं मानी। एक साल काम करने के बाद मैं घर वापस आ गई। ''मैडम'' कई बार मुझे बुलाने भी आयीं लेकिन मैं दोबारा उनके घर नहीं गई।

जब गाँव में वापस आई तो घर का वही माहौल था। कुछ समझ में नहीं आता था कि क्या करूँ। अगर ताईजी के पास रहती तो मम्मी उनसे भी लड़ाई करने चली जाती। इस तरह, मैं गाँव में ही भाभी के घर पर रहने चली गई। वहाँ पर एक साल तक रही लेकिन मम्मी उन्हें भी गाली देती रहती थीं। भाभी ने मेरी मम्मी के व्यवहार को देखा तो उन्हें बहुत ही बुरा लगा। उन्होंने मुझे संस्था की प्रमुख दीदी से मिलवाया। दीदी ने बालवाड़ी के बारे में बताया और काम करने को कहा। मुझे यह विचार अच्छा लगा। मैंने बालवाड़ी में काम करने के लिए हाँ कह दी। उसके बाद एक साल तक बालवाड़ी में काम किया लेकिन फिर बालवाड़ी बंद हो गई। बालवाड़ी बंद होने के बाद मन में थोड़ी सी निराशा हुई कि अब क्या होगा।

बालवाड़ी में शिक्षिका के रूप में काम करते हुए मैंने बहुत कुछ सीखा। सोच में परिवर्तन आया और समझ बनी कि कैसे अपने हक के लिए बोलना होता है। मैं अपने घर वापस गई और मम्मी से कहा कि घर पर मेरा भी अधिकार है। उस हक को पाने के लिए मैंने बहुत ही संघर्ष किया। आखिरकार, उन्होंने मुझे घर में एक कमरा दे दिया। इस तरह मैं अपने घर में रहने लगी।

उसके एक साल बाद उत्तराखण्ड सेवा निधि के माध्यम से गाँव में कृषि का प्रोजेक्ट आया। दीदी ने मुझे उस प्रोजेक्ट के कार्य पर लगा दिया। पहले हमने ट्रेनिंग ली और उसके बाद प्रोजेक्ट में काम करने लगे। मैं महिला संगठन के कार्यों और किशोरी गोष्ठियों में भी भागीदारी करती थी। संध्या केन्द्र, पुस्तकालय देखे और कई स्थानों पर भ्रमण के लिए भी गई।

इसके बाद उत्तराखण्ड महिला परिषद्, अल्मोड़ा से सूचना के अधिकार का प्रशिक्षण लिया। इस प्रशिक्षण से बहुत जानकारी मिली और मैं समझ गई कि अपने हक को पाने के लिए महिला को क्या करना होता है। उसके बाद मैंने कभी किसी की मनमानी नहीं सुनी और अपने मन की बात मानी। यहाँ तक कि मेरे घर वाले कहते कि न जाने कहाँ चली जाती है। बहुत बिगड़ रही है लेकिन मैंने इन बातों पर ध्यान देना छोड़ दिया और अपना फील्ड कार्य करती रही। जब मैंने शुरू में बालवाड़ी में काम किया तो मुझे बोलना कम आता था। अभी भी बोलती कम ही हूँ लेकिन समझ हर बात को जाती हूँ कि क्या सही है और क्या गलत। उत्तराखण्ड महिला परिषद् से जुड़कर बहुत कुछ सीखने को मिला। लेकिन मन में थोड़ा दुःख है कि अगर यह सहयोग पहले मिल जाता तो शायद मैं भी अपनी पढ़ाई पूरी कर पाती।

अपने घर की परिस्थितियों को झेलते हुए भी मैंने बहुत कुछ सीखा और देखा। आज मैं इस मुकाम पर पहुँच गई हूँ कि अपने निर्णय खुद ले सकती हूँ। इसलिए, मैंने शादी का फैसला भी खुद ही किया। अपने लिए एक अच्छा सा लड़का ढूँढा और आज उसी से शादी कर रही हूँ। ये हिम्मत मुझे संस्था के साथ काम करने से ही मिली। मैं उत्तराखण्ड सेवा निधि पर्यावरण शिक्षा संस्थान अल्मोड़ा का बहुत–बहुत धन्यवाद करती हूँ। इसी संस्था की वजह से मुझे जीवन जीने की राह मिली है।

ग्राम पंचायत चौण्डली का महिला संगठन

शिवनारायण किमोठी

विकासखण्ड कर्णप्रयाग जनपद चमोली की ग्राम पंचायत चौण्डली का महिला संगठन अपने पंचायती वनों के प्रति अत्यंत जागरूक है। महिलाओं के द्वारा गाँव के पश्चिमी हिस्से में घूमक तोक पर लगभग चार किमी क्षेत्र में बाँज प्रजाति के वृक्षों का जंगल विकसित किया गया है। जंगल की छटा देखते ही बनती है। समय–समय पर इस जंगल में आस–पास के गाँवों का भी चोरी–छिपे हस्तक्षेप होता रहा है किंतु महिलाओं की जागरूकता के कारण इस प्रतिबंधित जंगल में कोई भी हाथ डालने में असफल रहा। फलस्वरूप जंगल भली–भाँति विकसित हो सका है।

माह अप्रैल 2013 में जल संस्थान के द्वारा एक पानी की लाइन बिछायी जा रही थी। इस लाइन को उक्त पंचायती वन क्षेत्र के निचले हिस्से से होकर गुजरना था। पाइप लाइन बिछाने और खुदाई करने से कुछ छोटे पेड़ों का नुकसान हो रहा था। महिलाओं ने वृक्षों के प्रति दुर्व्यवहार को देखा तो ठेकेदार के मजदूरों से औजार छीन कर काम बंद करवा दिया। तब विभाग की आँखे खुली और कर्मचारी एवं ठेकेदार गाँव में आये। समस्या का समाधान निकालने का प्रयास किया गया।

इस संदर्भ में संगठन ने यह निर्णय लिया कि पाइप लाइन की खुदाई से जंगल को जो क्षति पहुँच रही है उसकी पूर्ति के लिए विभाग जुलाई माह में वन विभाग से बाँज प्रजाति की पौध उपलब्ध करवायेगा। इन पौधों को लगाने के लिए ठेकेदार द्वारा संगठन को पारिश्रमिक के रूप में दस हजार रुपये उपलब्ध करवाये जायेंगे।

इस वर्ष का क्षेत्रीय महिला सम्मेलन, 2012–13, ग्राम पंचायत चौण्डली में हुआ। गाँव के महिला संगठन ने अपनी पूर्व तैयारी के अनुसार अनुशासन समिति, सांस्कृतिक समिति, जलपान समिति आदि गठित करके अन्य गाँवों से सम्मेलन में भाग लेने आयी हुई महिलाओं के लिए व्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उक्त सम्मेलन में ल्वेटा, सिलंगी, जाख, दियारकोट, कुकड़ई, पुडियाणी, कौली, रिठोली, बधाणी, बजान, पलेठी आदि संगठनों की महिलाओं ने क्षेत्र में उत्तराखण्ड महिला परिषद् अल्मोड़ा के सहयोग से चलाये जा रहे ग्राम पुस्तकालयों, महिला साक्षरता एवं शिक्षण केन्द्रों, बालवाड़ियों के संचालन के लाभों को नाटकों और जन–गीतों के माध्यम से प्रस्तुत किया। सम्मेलन को सफल बनाने में सभी संगठनों ने अपनी–अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। ग्राम चौंडली में आयोजित महिला सम्मेलन अत्यंत सफल रहा और क्षेत्र में सर्वत्र महिलाओं की एकता और अनुशासनात्मक रवैये की प्रशंसा हुई।

दन्याँ में महिला सम्मेलन

चन्द्रा पंत

अर्न्तराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर दिनाँक 8 मार्च 2013 को उत्तराखण्ड शिवाशक्ति समिति दन्याँ, चलमोड़ीगाड़ा में महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में लगभग तीस गाँवों की चार सौ पचास महिलाओं ने भाग लिया। उत्तराखण्ड शिवा शक्ति समिति और उत्तराखण्ड महिला परिषद् के सौजन्य से लगभग पन्द्रह वर्षों से नियमित तौर पर दन्या क्षेत्र में सम्मेलनों का आयोजन हो रहा है। पहले–पहले सम्मेलनों में महिलाओं की भागीदारी बहुत ही कम रहती थी। महिलायें सम्मेलन में आती थीं तो बोल नहीं पाती थीं लेकिन धीरे–धीरे जो परिवर्तन आया, वह वास्वत में देखने लायक है।

जब हम संस्था कार्यकर्त्ता गाँवों में जाते हैं और महिलाओं की बैठकें करते हैं तो सभी महिलायें उत्सुक रहती हैं। वे काफी समय पहले से ही सम्मेलन की तैयारी में जुट जाती हैं। महिलायें स्वतः कहती हैं कि वे सम्मेलन में नाटक करेंगी, अपने–अपने गाँवों में किए गए कार्यों के बारे में बतायेंगी। सभी काफी उत्साह के साथ महिला सम्मेलन की तैयारियाँ करती हैं।

इस वर्ष 8 मार्च को जब दन्याँ में सम्मेलन किया तो सभी गाँवों की महिलाओं ने अपनी समस्याओं को नाटकों और गीतों के माध्यम से प्रस्तुत किया। संस्था कार्यकर्त्ता कभी सोच भी नहीं सकती थीं कि महिलायें अपने गाँव की समस्याओं के बारे में इतनी जागरूक होंगी। इस बार दन्याँ की महिलाओं ने साक्षरता केन्द्रों के माध्यम से जो पढ़ना–लिखना सीखा था, वह भी नाटकों व गीतों के माध्यम से प्रस्तुत किया।

इस सम्मेलन में धौलादेवी ब्लॉक की खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती मनविंदर कौर जी ने भी प्रतिभाग किया। वह महिलाओं की भागीदारी व कार्यक्रमों को देखकर काफी प्रभावित हुईं।

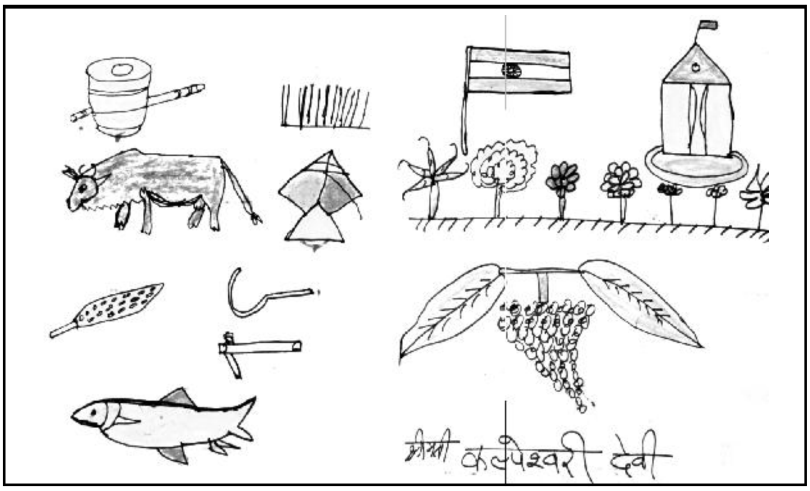

साथ ही उन्होंने महिलाओं से कहा कि संगठन बहुत मजबूत है। वे इसी तरह भविष्य में भी संगठन से जुड़ी रहें। जहाँ पर सहयोग की जरूरत होगी तो सरकार मदद देगी और सहयोग करेगी। सम्मेलनों के आयोजन से दन्याँ क्षेत्र में

बहुत ही जागरूकता आयी है।

सम्मेलनों में भाग लेने के लिए महिलायें दस से पंद्रह किमी दूर गाँवों से दन्याँ पहुँचती हैं और काफी उत्साह के साथ कार्यक्रमों में भागीदारी करती हैं। जब से महिला सम्मेलनों का आयोजन किया जाने लगा, महिलाओं को एक मंच मिला है। जहाँ पर वे खुलकर अपनी बातें कह सकती हैं और निःसंकोच होकर कार्यक्रम प्रस्तुत करती हैं। संस्था के प्रति महिलाओं को बहुत ही अपनापन लगता है। संस्था का भी यह प्रयास रहेगा कि हमेशा संगठनों के साथ जुड़ी रहें और गाँव में जो भी सरकारी योजनाएं और कार्यक्रम आते हैं, उनका पूरा–पूरा लाभ महिलाओं को मिलता रहे। संस्था और संगठनों का आपस में अच्छा तालमेल है। संस्था की कार्यकर्त्ता भी गाँव में जाकर उन्हें समय–समय पर गोष्ठियों के माध्यम से जानकारियाँ देती रहती हैं ताकि कार्यों में ठहराव न आये।

इस वर्ष के कार्यक्रम में जूनियर हाईस्कूल काफली के सहायक अध्यापक योगेन्द्र सिंह रावत जी, प्राथमिक विद्यालय धसपड़ के श्री कस्तुभानंद भट्टजी, प्राथमिक विद्यालय डसीली से सहायक अध्यापक श्री विक्रम सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता मनोज पंत एवं श्री नंदाबल्लभ जोशीजी ने भी भाग लिया। इन सभी ने मिष्ठान–वितरण व व्यवस्था में पूरा सहयोग दिया। श्री योगेन्द्र सिंह रावत जी तो बिल्कुल अपनी जिम्मेदारी समझ कर एक सप्ताह से संस्था के साथ महिला सम्मेलन की तैयारी में लगे थे। स्त्री–पुरुषों के सम्मिलित और अथक प्रयास से इस सम्मेलन का अयोजन हुआ। इस सम्मेलन में उत्तराखण्ड महिला परिषद् अल्मोड़ा से श्रीमती अनुराधा पाण्डे, रेनू जुयाल एवं धरम सिंह लटवाल ने प्रतिभाग किया। उत्तराखण्ड महिला परिषद के सौजन्य से ही हम इस महिला सम्मेलन को कर पाए। दन्याँ क्षेत्र के महिला सम्मेलन की अपनी एक अलग ही पहचान बन चुकी है।

परिवर्तन

मुन्नी कोरंगा

पहले जब महिला संगठन नहीं बने थे, शामा जिला बागेश्वर क्षेत्र की महिलायें घर से जंगल तक के कामों में ही उलझी रहती थीं। सन् 1990 में जब लीती–धूरा गाँव में बालवाड़ी खुली तो लोग सोचते थे कि ये छोटे बच्चों का कैसा विद्यालय होगा? विद्यालयों में तो पुरुष अध्यापक हैं लेकिन बालवाड़ी में महिला शिक्षिकाएं हैं। शुरूआत में लोग बालवाड़ी के महत्व को नहीं समझ पाये थे।

धीरे–धीरे गाँवों में महिला संगठन बनाये गये। गोष्ठी में अभिभावकों को बालवाड़ी कार्यक्रम, संस्था के उद्देश्य, जल, जंगल जमीन एवं स्वास्थ्य संबंधी विषयों के बारे में बताया जाता था। गोष्ठी की वजह से लोगों में जागरूकता आने लगी। ग्रामवासी बच्चों की शिक्षा एवं स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हुए। महिलाओं ने जंगलों को बचाया और वन–अग्नि पर नियंत्रण किया। शराब पर रोकथाम लगायी। महिलायें एकजुट होकर शादी–जनेऊ व अन्य समारोहों में सामाजिक सहभागिता निभाती थीं। ग्रामवासियों को भी महिला संगठनों पर गर्व होता था।

लीती के संगठन की बातें आसपास के अन्य गाँवों में भी होती थीं। बालवाड़ी के माध्यम से महिलाओं में काफी जागरूकता आयी। सन् 2002 में जब शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि लीती धूरा की बालवाड़ी में आये तो उन्होंने अत्यंत गहराई से कार्यक्रम को देखा। अध्यापकों को प्रशिक्षण देने वाले एवं उच्च शिक्षा प्राप्त किये हुए प्रतिनिधि बालवाड़ी पाठ्यक्रम के बारे में गहराई से शिक्षिकाओं से पूछने लगे। मैंने उन्हें बालवाड़ी पाठ्यक्रम के बारे में पूरी जानकारी दी। जैसे–हम बच्चों को बालकार्य करवाते हैं तो मिट्टी गूँथने से बच्चों की अंगुलियों व इन्द्रियों का विकास होता है, लिखने की शुरूआत होती है। शांति खेल से एकाग्रता बढ़ती है आदि। उन लोगों ने बालवाड़ी पाठयक्रम से काफी सीखा। जब शिक्षक–शिक्षिकाएं बच्चे के साथ बच्चा बनकर कार्य करते हैं तो बाल मनोविज्ञान को समझना कठिन नहीं है। पहले हमारे क्षेत्र में लगभग पैंतीस बालवाड़ियाँ संचालित होती थीं। जब से शिक्षा–विभाग ने बालवाड़ियों के पाठ्यक्रम के बारे में सीखा, उन्होंने इसी पाठ्यक्रम को आँगनवाड़ी में लागू कर दिया।

आखिर जो कार्यक्रम पहले संस्था गाँवों में करती है, उसी कार्यक्रम में सरकार क्यों हस्तक्षेप करती है? अब गाँवों में आँगनवाड़ी खुलने एवं लोगों के पलायन की वजह से बालवाड़ियों की संख्या में कमी आ गई है। जिस क्षेत्र में पहले पैंतीस बालवाड़ियाँ चलती थीं, अब सिर्फ छह केन्द्र चल रहे हैं। जिस क्षेत्र में बालवाड़ी के माध्यम से काफी जागरूकता आयी, वहीं केन्द्र बंद हो गये। इससे छोटे बच्चों की शिक्षा के कार्यक्रम में ठहराव सा आ गया है।

महिला की स्थिति

विनोद कुमार

देश की आधी आबादी महिलायें हैं। धार्मिक आधार पर देवी, सामाजिक आधार पर परिवार की धूरी, आर्थिक आधार पर घर की संचालिका, अन्य भी कई परिभाषाएं महिलाओं की हैं। हर परिभाषा एक आदर्श और आदर्श की परिधि में बँधी एक बंदिनी महिला की है। भारत जैसे कृषि–प्रधान देश में जहाँ महिलायें सत्तर प्रतिशत खेती का कार्य स्वयं करती हैं, वहाँ फैसले लेने में केवल बीस प्रतिशत महिलायें आगे आती हैं। महिला जिसे जन्म से ही दोहरी नागरिकता प्राप्त हो जाए और वह केवल उपभोग की वस्तु मान ली जाए, उसे अनेक अत्याचार सहन करने पड़ते हैं। जन्म से ही अनेक प्रकार की हिंसा झेलनी पड़ती है। पिछले कई दशकों से विश्व भर में महिला सशक्तिकरण पर सरकारों, गैर सरकारी संगठनों और अनेक समाज सेवी–संस्थाओं ने अपने तरीके से कार्य किये हैं लेकिन दुर्भाग्यवश कहीं भी अभी तक पचास प्रतिशत महिलायें संसद तक का सफर तय नहीं कर पायी हैं, यहाँ तक कि विकसित देशों में भी नहीं।

विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं पर होने वाले अपराध दिन–प्रति दिन बढ़ते जा रहे हैं। इसमें भारत देश की कहानी अलग नहीं है। सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में महिलायें अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं। आमतौर पर धारणा है कि महिलाओं की आड़ में पंचायतों के सारे फैसले पुरुष सदस्य ही करते हैं। जिन महिलाओं ने आगे बढ़ने की सोची उनके ऊपर अनेक प्रकार के अत्याचार हुए और बाधाएँ आईं।

आज के दौर में महिला शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से प्रताड़ना झेलती है। इस तरह के किस्से रोज ही हमें प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष तरीके से देखने को मिलते हैं। हमारे देश में प्रतिदिन पाँच में से तीन महिलायें घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं। घरेलू हिंसा में तो केवल पहाड़ की अनपढ़ भोली–भाली स्त्रियाँ ही नहीं, बल्कि शहर की पढ़ी–लिखी महिलायें भी शामिल हैं। मानसिक, शारीरिक, मौखिक, सामाजिक, भावनात्मक रूप से प्रताड़ना भी हिंसा का ही रूप है।

घरेलू हिंसा को समस्या के रूप में केवल देखा जाता है, माना नहीं जाता। यह समस्या गंभीर है। हमें इसे स्वयं समझना और दूसरों को समझाना होगा ताकि इसके खिलाफ कदम उठा सकें। उत्तराखण्ड एक पर्वतीय राज्य है। यहाँ की महिलाओं को अत्यधिक परिश्रम करना होता है, फिर भी पुरुष–प्रधान समाज के द्वारा अनेक प्रकार से महिलाओं पर अत्याचार किए जाते हैं।

आज के परिप्रेक्ष्य में हम कह सकते हैं कि महिलाओं के मुद्दे समाज में सबसे ज्वलंत मुद्दे बन गए है। आज देश में जिस प्रकार से महिलाओं पर दिन प्रतिदिन अत्याचार व अपराध हो रहे हैं, उससे महिलायें अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। इस समस्या का निराकरण सोच–समझकर करना होगा।

मेरी डायरी

पुष्पा देवी

मेरा नाम पुष्पा देवी है। मैं गाँव मल्लाकोट में रहती हूँ। मैं मार्च माह में महिला साक्षरता एवं शिक्षण केन्द्र से जुड़ी। केन्द्र से जुड़कर मुझे अच्छा लगा। मुझे महिलाओं के साथ काम करने में बहुत अच्छा लगता है। महिलायें भी केन्द्र में खुश रहती हैं।

मैं जब तक संस्था से नहीं जुड़ी थी, तब तक लोगों के सामने बात करते समय और गाँव से बाहर जाते हुए बहुत झिझक होती थी। जब से मैं संस्था से जुड़ी और अल्मोड़ा में प्रशिक्षण के लिए गयी, वहाँ पर बातें सुनी, तब से मेरी समझ बनी। पहले से तो मैं चार लोगों के सामने भी नहीं जा पाती थी। कहीं जाना भी हुआ तो बहुत डर लगता था। यहाँ तक कि अपने मायके भी अकेले नहीं जाती थी। अब मैं हर जगह अकेली चली जाती हूँ और संस्था में हो रहे सभी कार्यक्रमों में शामिल होती हूँ।

जब मैं साक्षरता केन्द्र में शिक्षिका के पद पर कार्य कर रही थी, तब पहली बार अल्मोड़ा में प्रशिक्षण के लिए गयी। मैं बहुत ही डरी हुई थी कि न जाने क्या होगा। सोचती थी कि वहाँ पर न जाने क्या पूछा जायेगा, लेकिन जब ट्रेनिंग ली तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अल्मोड़ा में बातें सुन कर मुझे समझ में आया कि महिलाओं को कभी पीछे नहीं रहना चाहिए। किसी से दबना भी नहीं चाहिए। महिलाओं को अपना निर्णय स्वयं लेना चाहिये।

मुझे राधा दीदी के सहयोग से संस्था में जुड़ने का मौका मिला। दीदी के कारण ही इतना विश्वास व हिम्मत आ पायी है। साथ ही, मैंने साक्षरता केंद्र में बहुत मन लगाकर काम किया। मैंने अपनी तरफ से महिलाओं को अच्छी से अच्छी एवं संपूर्ण जानकारी देने की कोशिश की। जब साक्षरता केन्द्र खुला तो मुझे बहुत खुशी हुई कि अपने पैरों पर खड़ी हो पाऊँगी। साक्षरता केंद्र में महिलाओं के साथ शिक्षा का काम करके हुए पता ही नहीं चलता कि समय कब व्यतीत हो जाता है।

जब मालुम हुआ कि फरवरी माह से महिला साक्षरता एवं शिक्षण केंद्र बंद होकर किसी अन्य गाँव में जा रहा है तो बहुत ही आश्चर्य और दुःख हुआ, सिर्फ इस बात की

तसल्ली थी कि केन्द्र के कारण ही मैं समाज में पहचान बना पायी। आगे चलकर और काम करना चाहती थी। लेकिन मन में यह डर सता रहा था कि अब मैं कहा जाऊँगी और क्या काम करूँगी? मैं ऐसा सोच ही रही थी कि राधा दीदी ने मुझे फिर से संस्था में जोड़ दिया। अब मैं किशोरियों के साथ काम करती हूँ और गाँवों एवं विद्यालयों में जाती हूँ। मैं और शांति दीदी किशोरियों के साथ काम करते हैं।

मुझे यह काम अच्छा लगता है। मैं काम को बड़ी लगन ओर मेहनत से करती हूँ। हम गाँवों में महिलाओं की गोष्ठियाँ भी करवाते हैं। गोष्ठियों में महिलाओं को बताते हैं कि समाज में किस तरह से परिवर्तन हो रहा है और महिलाओं के हक क्या हैं। हम संस्था के कार्यकर्त्ता उनके उत्तर का इंतजार करते हैं कि महिलायें हमारी बातों से सहमत हैं या नहीं। हम लोग हर महीने गाँवों में जाते हैं और गोष्ठियाँ करते हैं। हमें महिलाओं के साथ बातचीत करना बहुत अच्छा लगता है। साथ ही, यह भी पता चल रहा है कि समाज में महिलाओं के साथ क्या–क्या काम हो रहा है।

एक महिला की कहानी

माया जोशी

किसी गाँव में एक गरीब महिला कमला (बदला हुआ नाम) रहती है। उसका मायका ससुराल के गाँव से नजदीक ही है। जब कमला की शादी हुई तो उसकी उम्र मात्र बीस वर्ष की थी। बाइस वर्ष की उम्र में ही उसके दो बच्चे हो गए। घर की स्थिति भी कुछ अच्छी नहीं थी। उसका पति बहुत शराब पीता था। इसी बुरी लत के कारण कमला के पति की मौत हो गई। उस समय कमला की उम्र मात्र बाइस वर्ष की थी। जब तक ससुरजी जीवित थे, वह परिवार में ठीक से रह रही थी। पति की मौत के पाँच वर्ष बाद ससुरजी की भी मौत हो गई।

ससुरजी की मौत के बाद उसके देवर अत्याचार करने लगे। देवर भी बड़े शराबी थे। रोज शराब पीकर शाम को अपनी भाभी को मारने के लिए जाते और पत्नी को भी मारते–पीटते। मारपीट से तंग आकर पत्नी अपने मायके चली जाती लेकिन पति उसे मनाकर पुनः वापस घर ले आते। कमला अपने देवर की आदतों से तंग आ गई और गाँव का घर छोड़ कर बाजार में कमरा लेकर रहने लगी। अब वह आँगनवाड़ी में काम करती है और स्वेटर बना करके घर का खर्च वहन करती है। उसका देवर शराब पीकर वहाँ भी उसे गाली दे जाता है।

बाधाएं और संघर्ष

नंदी कोरंगा

आज गाँवों में लड़कियों की क्या स्थिति है? इस स्थिति को तभी जाना जा सकता है जब हम किशोरियों की जिंदगी को गहराई से परखने की कोशिश करें और उनकी भावनाओं को समझें। हर किशोरी कुछ न कुछ काम करना चाहती है परंतु उस पर परिवार एवं गाँव का इतना दबाव रहता है कि कोई भी निर्णय अपनी इच्छा से नहीं ले पाती है। किशोरी सबसे पहले अपनी माँ से पूछती है परंतु पहले माँ ही मना करती है, यह कहकर कि–''तेरे पापा डाटेंगे।''

यदि किसी किशोरी के दादा–दादी जीवित हैं तो उनसे अनुमति लेनी होती है। यदि अनुमति मिल गई तो घर–गाँव से बाहर चले गए अन्यथा अनुमति मिलना मुश्किल ही होता है। किशोरियाँ अपने मन से कोई नया काम नहीं कर पाती हैं। जिन किशोरियों ने बदलाव चाहा, सामाजिक बंधनों को तोड़ना चाहा और खुलकर बाहर आयीं, उन्होंने कुछ न कुछ सफलता अवश्य पायी। जिसमें कुछ करने की इच्छा होती है उसे कोई रोक नहीं सकता है। उसे किसी की परवाह भी नहीं होती है।

ऐसी ही है ममता की कहानी। ममता बागेश्वर जिले के एक गाँव में रहने वाली लड़की है। उसने अपने गाँव के विद्यालय से इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की। ममता की उम्र साढ़े सत्रह वर्ष की है। इस उम्र तक रात्रि विश्राम के लिए वह कहीं भी घर से बाहर नहीं रही। गाँव में जब पूजा–पाठ या शादी होती तभी वह घर से बाहर जाती थी। शाम को जल्दी घर वापस नहीं आती तो उसके परिजन काफी डाँटते थे। वे कहते कि लड़कियों को रात तक घर से बाहर नहीं रहना चाहिए। वह कैसी लड़की जो देर से घर वापस आये? ममता कुछ नहीं कहती, चुपचाप सहती रहती थी।

एक बार ममता से मेरी बात हुई कि वह अल्मोड़ा में किशोरियों की गोष्ठियों में भाग लेने के लिए जाये। तब उसने बताया कि लड़की होने की वजह से उसे परिवार के सदस्य डाँटेंगे। उसने अनुरोध किया कि मैं ही उसके परिवार से अल्मोड़ा जाने की आज्ञा ले लूँ। मैंने उसके माँ–पिता, दादा–दादी सभी से बात की। वे उसे घर से बाहर भेजने को सहमत तो हुए परंतु अनुरोध किया कि मैं ममता को साथ ही ले जाऊँ और वापस लाऊँ। इस तरह ममता अल्मोड़ा में किशोरी कार्यशाला में भाग लेने के लिए तैयार हुई।

जब ममता अल्मोड़ा आयी तो उसे बहुत ही परेशानी हुई। उसके सिर में दर्द होने लगा। खाना भी उसने ना के बराबर ही खाया। तीन दिन की कार्यशाला थी। एक दिन तो दिन–भर सोई रह गयी। उसने कुछ नहीं खाया। मैंने सोचा कि इस लड़की को क्यों कार्यशाला में लायी हूँ। इसने तो कुछ सीखा नहीं और ऊपर से स्वास्थ्य भी खराब हो गया।

कार्यशाला समाप्त हो गयी। हम सभी घर वापस चले गये। हम तो ममता को इसलिए

गोष्ठी में लाये थे कि वह कुछ सीख कर जायेगी। घर जाकर अन्य किशोरियों को सिखायेगी लेकिन कौन कब, कितना, कहाँ से सीखता है, इसे हम कार्यकर्त्ता भी तो अपने नजरिये से देखते हैं। किसी के मन के भीतर की बात कौन जान सकता है?

घर वापस जाकर ममता ने गाँव की बहुत सी लड़कियों को बताया कि अल्मोड़ा में किशोरियों के विकास की बातें बतायी जाती हैं। हम जैसी लड़कियाँ कार्यशाला में भाग लेने के लिए आती हैं। वे लड़कियाँ तो बातचीत और कीर्तन–भजन में भी बहुत अच्छी होती हैं। उसने कहा कि ''मैंने तो वहाँ कुछ किया नहीं, केवल यही देखकर आयी हूँ। अल्मोड़ा में लड़कियाँ कह रही थीं कि कुछ न कुछ काम करते रहना चाहिए।''

अल्मोड़ा से घर वापस आने के बाद ममता की शादी तय होने लगी। तब उसने अपने परिवार के सदस्यों से कहा कि मैं अभी अठारह वर्ष की नहीं हुई। आप मेरी शादी क्यों कर रहे हो? अगर ऐसा किया तो यह कानूनी रूप से गलत है।'' घर वाले डर गए। वे चुप रहे। शादी की बात रोक दी। ममता के पास पचास से अधिक बकरियाँ हैं। वह उन्हें जंगल में चराने का काम करती है। बारहवीं पास होने के बाद उसे विद्यालय नहीं भेजा गया।

ममता के पास मोबाइल फोन था। वह इंटरमीडिएट का परीक्षाफल जानने के लिए फोन को अपने पास ही रखती थी। जिस दिन परीक्षाफल आने वाला था, उसने अपने परिवारवालों से कहा कि ''मैं तो फेल होने वाली हूँ। बकरियों के साथ जा रही हूँ। शाम को अपनी बकरियों को ढूँढ कर वापस ले आना। आपने मुझसे काम ही करवाया। पढ़ने का समय ही नहीं दिया। अगर मैं फेल हो गयी तो घर नहीं आऊँगी, बकरियों को ढूँढ लेना।'' यह सुनकर उसके माँ–पिता काफी परेशान हो गए। उसके परिवार के सदस्यों को काफी दुःख हुआ। ममता दूर जंगल में बकरियाँ लेकर चली गयी। उसने तो फोन से पता कर लिया था कि वह पास हो गई है। जब परिजनों को मालुम हुआ कि ममता उत्तीर्ण हो गयी है तो वे सभी खुश हुए लेकिन ममता पुनः परेशान हो गयी। सोचने लगी कि अब मुझे विद्यालय नहीं भेजेंगे–या तो मेरी शादी होगी या बकरियाँ ही चरानी होंगी। घर में दो अन्य बच्चे–एक लड़का, एक लड़की हैं, उन्हें पढ़ाना है, यही उसके परिवार का फैसला था।

अचानक कुछ दिनों के बाद मेरे पास ममता का फोन आया कि उसकी शादी होने वाली है। परिवार का काफी दबाव था। अब वह कुछ भी कहने की हालत में नहीं थी। उसने बताया कि चार–पाँच दिन बाद सगाई और एक महीने बाद शादी होने वाली है।

उसी समय अल्मोड़ा से फोन आया कि दिल्ली में प्रशिक्षण के लिए कुछ किशोरियों का चुनाव होना है। मैंने ममता को फोन करके पूछा कि क्या वह दिल्ली जाना चाहती है। वह अठारह वर्ष की हो गई थी। ममता की खुशी का ठिकाना न रहा। अल्मोड़ा आने के लिए तैयार हो गयी। ग्रामवासियों को मालुम हुआ तो कहने लगे कि इसकी तो शादी होने वाली

है, अल्मोड़ा क्यों जाने लगी?

ममता ने अपने परिजनों से कह दिया कि पहले उसे दिल्ली जाना है, तभी वह शादी के लिए सहमति देगी। उसने कहा कि पहले वह कुछ सीखेगी, तभी शादी करेगी। माँ–बाप, दादा–दादी काफी परेशाान हो गए। उसके दादा–दादी कहने लगे कि हमारी लड़की को न जाने किसने भड़का दिया है। अब यह घर में किसी का कहना ही नहीं मानती है। ममता का आत्मविश्वास ऐसा बढ़ा कि अल्मोड़ा भी अकेली ही आयी और वहाँ से दिल्ली अरविंद आश्रम में प्रशिक्षण के लिए चली गयी। वहाँ पहुँचने के बाद ममता का फोन आया कि उसे अरविंद आश्रम में बहुत अच्छा लग रहा है और सीखने को भी काफी कुछ है। जितने भी समय के लिए वह यहाँ पर है, दिन रात मेहनत करके सीखेगी। उत्तराखण्ड सेवा निधि अल्मोड़ा व पर्यावरण एवं शिक्षा समिति शामा का आभार व्यक्त करते हुए ममता स्वयं में गर्व का अनुभव करती है।

नीरज का जीवन

माया जोशी

संध्या केन्द्र बिन्ता में एक बच्चा अध्ययन करने आता है। उसका नाम है नीरज। वह कुशाग्र बुद्धि का बालक है। नीरज लिख नहीं सकता, परंतु उसकी स्मरण शक्ति बहुत तेज है।

उसे संध्या केन्द्र में कही–सुनी जाने वाली काफी कहानियाँ याद हैं। उसके माता–पिता बेरोजगार हैं। बिन्ता में आयोजित बाल मेले में सामान्य ज्ञान के बत्तीस प्रश्न पूछे गये। उसमें से चौदह प्रश्नों के उत्तर नीरज ने दिए। अभी उसकी उम्र दस वर्ष की है।

अब बिन्ता का संध्या केन्द्र बंद हो गया है। नीरज मुझे या शिक्षिका को जब भी देखता है तो पूछता है कि केन्द्र कब खुलेगा? केन्द्र बंद होने की वजह से वह परेशान है। कहता है कि, ''कहानी सुनना चाहता था, अब कैसे सुन पाऊँगा?'' नीरज प्राइमरी पाठशाला में पढ़ता है। वहाँ भी सभी बच्चे उसकी मजाक बनाते हैं। टीचर भी उसकी तरफ विशेष ध्यान नहीं दे पाते। अध्यापकों को लगता है कि नीरज कुछ नहीं कर पायेगा। तभी उनका ध्यान

उस छोटे बच्चे पर नहीं है। मैं समझती हूँ कि नीरज एक काफी समझदार बच्चा है। सिर्फ लिख नहीं सकता है। बाकी सभी काम कर लेता है। छोटे बच्चे भी उसे अपने साथ खेलने नहीं देते। इस तरह के बच्चों पर शिक्षा विभाग के साथ–साथ हम सभी क्षेत्रवासियों को ध्यान देने की जरूरत है।

महिला संगठन बोरखोला (खकोली)

बोरखोला गाँव का संगठन काफी मजबूत है। महिलाओं ने अपने गाँव में काफी अच्छा जंगल बनाया है। महिलायें जंगल से कच्ची लकड़ी व बाँज की पत्तियाँ नहीं काटती हैं। खास बात यह है कि गाँव के पुरुष भी महिलाओं को सहयोग करते हैं। जब गर्मी के मौसम में जंगलों में आग लगती है तो महिलायें आधी रात को भी आग बुझाने के लिए दौड़ पड़ती है। आग बुझाने दूसरे गाँव के जंगलों में जाती हैं। उन्हें आग बुझाने के लिए जंगलात द्वारा रुपये भी मिलते हैं। उस धनराशि को भी महिलायें अपने कोष में जमा करती हैं। हर महीने झाड़ियों व रास्तों की सफाई करती हैं। महिलाओं ने अपने गाँव में शराब की रोकथाम की है। आज बोरखोला (खकोली) में अगर कोई नशे का सेवन करता भी है तो शांतिपूर्वक अपने घर के अंदर ही रहता है। नशे की वजह से गाँव में कोई गाली–गलौज नहीं करता। ना ही महिलायें गाली–गलौज करती हैं।

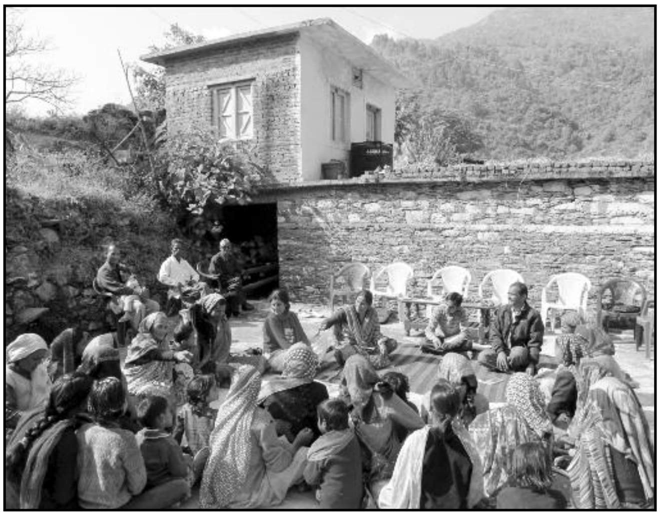

हर पाँच तारीख को संगठन की गोष्ठी की जाती है। गोष्ठी में गाँव की समस्याओं और हिसाब–किताब की चर्चा होती है। संगठन के पास गाँव के सामुहिक उपयोग के लिए पूरा सामान भी है। जैसे छोटे–बड़े बर्तन, गैस का चूल्हा, चाँदनी, दरियाँ, कुर्सी (सौ), मेज (पन्द्रह) आदि। संगठन के पास लगभग एक लाख रुपये भी हैं। कुछ धनराशि कर्ज में दी गई है। कुछ पैसा बैंक में है। दस रुपया महीने जमा करते हैं। महिलायें बराबर संध्या केन्द्र को देखने जाती है। संध्या केन्द्र भी ठीक चलता है। महिलायें हर काम संगठिन होकर करती है। संगठन की अध्यक्षा तारा जोशी, राधिका बोरा व सचिव माया बोरा हैं जो हर समय अपना सहयोग देने को तैयार रहती हैं। इस संगठन में तीन तोक हैं। सत्तर महिलायें संगठन की सदस्याएं हैं। सभी सदस्याएं अध्यक्षा की बात मानती हैं।

साक्षरता गीत

प्रेमा कोरंगा

ननां छना बै मेरी इजू मैं किलै बिवाई,
ओ बाबू तुमिलै मैं किलै नि पढ़ाई?
दाद–भुली पढ़ाई लिखाई, सियाप बनाई,
च्यालन कि बिया जैसे मैं किलै तिराई?
पढ़–लिखी बै मैलैं बाबू–सियाप बन छी,
गौं घरौं क आज मैं विकास कनै छी।
अनपढ़ा चैलिक जवैं अनपढ़ मिलुछै,
बचपन की दुखी चैल, हमेशा दुखी रुछै।
दिन रात पिबेर ऊछ करुछ लड़ाई,
सवार विणान मैरी भैत हंसी कराई।।

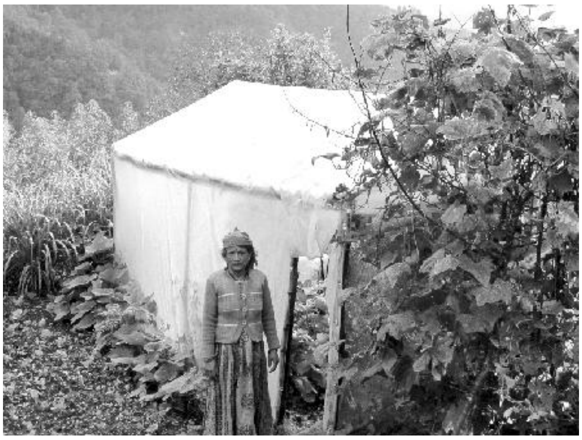

कृषि में सुधार का प्रयास

दर्बान सिंह कोरंगा

बागेश्वर जनपद मुख्यालय से बावन किमी दूर विकासखण्ड कपकोट की बिचला दानपुर पट्टी की अठारह ग्राम पंचायतों में पर्यावरण एवं शिक्षा समिति, शामा ने सन् 1988–89 से शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, जल–जंगल–जमीन, किशोरी कार्यक्रम, पर्यावरण जागरूकता अभियान के साथ–साथ पहाड़ों में टिकाऊ खेती की परियोजना उत्तराखण्ड सेवा निधि पर्यावरण शिक्षा संस्थान, अल्मोड़ा के सहयोग से शुरू की। वर्तमान में जलवायु परिवर्तन से कृषि पर पड़ रहे प्रभावों का अध्ययन किया जा रहा है। पारिवारिक सर्वेक्षण में परिवार के सदस्यों की संख्या, उम्र, शिक्षा, व्यवसाय, पशु संख्या, पशुओं से दूध एवं खाद का उत्पादन, प्रतिदिन चारे पर व्यय, छः माह में कृषि से कुल उत्पादन, पारिवारिक संसाधन, बिजली, गैस, शौचालय के साथ–साथ गाँव के जंगल की स्थिति एवं मृदा परीक्षण के आँकड़े इकट्ठा करके अध्ययन किया जा रहा है। यह सर्वेक्षण नियमित रूप से छः माह में एक बार किया जाता है।

जलवायु परिवर्तन एवं टिकाऊ खेती कार्यक्रम के माध्यम से संस्था ने अपने कार्य क्षेत्र में पैंतालिस पॉली–हाउस, बीस पॉलीथीन टैंकों का निर्माण किया। पॉली–हाउस एवं पॉली–टैंक

निर्माण के लिए संस्था ने आवेदक के चयन के लिए जमीन के सर्वेक्षण के साथ–साथ एक फार्म भरा। इस फार्म में आवेदक का नाम, पता, भूमि का चयन एवं एक पासपोर्ट साइज फोटो लगायी जाती है। उसके बाद ही, आवेदक का चयन कर पॉली–हाउस व पॉली–टैंक का निर्माण कार्य शुरू किया जाता है। पॉली–हाउस निर्माण में कुल लागत एक हजार छः सौ से छः हजार रुपये तक आयी है। पॉली–हाउस की लम्बाई 17 फीट से 36 फीट तक तथा चौड़ाई 7 फीट से 13 फीट तक है। पॉली–हाउस व पॉली–टैंक निर्माण में संस्था द्वारा आवेदकों को पॉली–शीट एवं नेट–शीट के साथ तकनीकी सहयोग दिया गया।

पॉली–हाउस लकड़ी एवं बाँस के बनाए गये। इसके अतिरिक्त कुछ कृषकों के पास लोहे के एंगिल के पुराने पॉली–हाउस बने हुए थे। उनके पॉलीथीन फट गये थे। ऐसे कृषकों को पॉलीथीन–शीट उपलब्ध करवाकर पॉली–हाउसों के सतत उपयोग में मदद देने का कार्य भी किया गया। पॉली–शीट की चौड़ाई कम होने पर उसे जोड़ने के लिए एस. आर. 998 का प्रयोग किया लेकिन कुछ समय के बाद जोड़ खुलकर निकलने लगा। उसके बाद पॉली–शीट को जोड़ने के लिए इलेक्ट्रिक सोल्डर का प्रयोग किया गया, इसमें अभी सफलता मिल रही है।

जनपद बागेश्वर में सब्जी उत्पादन के क्षेत्र में शामा का मुख्य स्थान है। विशेष रूप से शामा क्षेत्र के कृषक मौसमी सब्जी जैसे–आलू, बन्दगाभी, फूलगोभी, लाई, मूली, धनिया, पालक, लहसुन आदि का उत्पादन करते हैं। शामा क्षेत्र की सब्जी विपणन के लिए बागेश्वर जिला मुख्यालय के साथ–साथ हल्द्वानी मण्डी तक भेजी जाती है। पॉली–हाउस लगाने के बाद पौध तैयार करने के साथ–साथ शिमला मिर्च, बैंगन आदि सब्जियाँ भी बाजार में आने लगी हैं। समय की बचत के साथ–साथ स्थानीय कृषकों को अच्छा लाभ भी मिल रहा है।

शामा क्षेत्र के कृषक लछम सिंह ने 36 फीट लम्बे, 10 फीट चौड़े पॉली–हाउस से अपनी घर की खपत के बाद पचास किलो शिमला मिर्च पैंतालिस रुपया प्रति किलो की दर से बाजार में बेची। इसी प्रकार, एक कृषक ने 20 फीट लम्बे 7 फीट चौड़े पॉली–हाउस से छब्बीस किलो फूलगोभी का उत्पादन कर बीस रुपया प्रति किलो की दर से बाजार में बेची। अब शामा क्षेत्र के कृषकों में सब्जी उत्पादन को लेकर काफी जागरूकता आ रही है। वे मौसम के अनुसार सब्जी उत्पादन करके अपनी आय बढ़ा रहे हैं।

संस्था द्वारा समय–समय पर कृषको की गोष्ठियों के आयोजन, कार्यक्रमों की समीक्षा और जानकारियों का आपस में आदान–प्रदान करके मार्गदर्शन किया जाता है। इस वर्ष शामा क्षेत्र में पॉली–हाउस, पॉली–टैंक, रूट ट्रेनर, स्याही हल, कुदाल, रेक, मडुवा थ्रेशर, धान मड़ाई मशीन एवं विभिन्न प्रकार के फलदार पौधों का वितरण संस्था द्वारा किया गया है। पर्यावरण एवं शिक्षा समिति शामा व उत्तराखण्ड सेवा निधि पर्यावरण शिक्षा संस्थान अल्मोड़ा द्वारा कृषि के क्षेत्र में कार्य शुरू करने पर कृषकों द्वारा सराहना की जा रही है।

कन्या–भ्रूण हत्या

दिलीप राज

जूठा भंन्डा मॅजौ हम,
धाण करला हम।

दूध को गिलास तेरू बेटा पेलू चम,
बेटी ते जन्म किले दीनि माँजी।
बेटा–बेटी मां यू भेद किले होई।
नौना जाला रेगुलर, प्राइवेट जाला हम,
आखिरि तो फस्ट डिविजन, लेक औला हम।
सुण रे माँजी, सुण रे बाबा।
अब कतिगा च तो नौनो से कम।।
नौना प्योला दारु रम, हम नी कैसे कम।
पू दारु की भट्टी ते, बंद करला हम।
अन्ध्यारु ह्वे जो कूडी ते, उजाल्यू करला हम।
अब बतावा थनु हम, कैसे नीच कम।।
होन्दू जब हे माँजी, नौना को जन्म
खुशी मनोन्दा हे माँजी, बाबा अर तुम।
होन्दू जब जन्म हे माँजी मेरो,
अल्ट्रासाउन करी मारी मेकू।

नौना का ब्यो मा माँजी। रुचि करदा तुम।
मेरा ब्यो मा हे माँजी। कमीशन खान्दा तुम।
मेरठ, मुजफ्फनगर, ब्येवे क माँजी।
भी दगड़ी तुमुन कन बुरु करयाली।
सुण हे माँजी, सुण हे बाबा।
अब कतिगा च तो नौना से कम।।

महिला शिक्षण

रविता बिष्ट

मेरा नाम रविता बिष्ट है। मैं नयारघाटी ग्राम स्वराज्य समिति बाड़ियूँ संस्था से जुड़ी हूँ। मैं हथनूड़ गाँव की रहने वाली हूँ। वर्तमान में महिला साक्षरता केंद्र की संचालिका हूँ। मेरा जन्म एक पिछड़े गाँव में हुआ। वहाँ लड़कियों को मुश्किल से आठवीं कक्षा तक पढ़ाया जाता था। स्कूल गाँव से चार किमी की दूरी पर है। जंगल के रास्ते से होकर विद्यालय जाना होता है। मेरी माँ निरक्षर हैं लेकिन पढ़ाई के महत्व को समझती हैं। स्कूल गाँव से दूर होते हुए भी उन्होंने मुझे बारहवीं कक्षा तक पढ़ाया। माँ खुद पाँच बजे उठकर मुझे विद्यालय के लिए आधे रास्ते तक छोड़ने आती थीं व मेरा पूरा सहयोग करती थीं। ग्रामवासियों ने अनेक बातें बनाईं पर माँ ने किसी की न सुनी। मैं गाँव की प्रथम लड़की हूँ, जिसने बारहवीं कक्षा तक वहीं पर पढ़ाई की।

मैं एक खुले विचारों वाली लड़की हूँ। इस वजह से बचपन में सभी बच्चे मेरे दोस्त हुआ करते थे। मुझे पढ़ता–लिखता देखकर गाँव के किसी व्यक्ति ने मेरे पापा से कहा कि अपनी लड़की को ज्यादा मत पढ़ाइये, हो सकता है कि आगे चलकर अपमानित होना पड़े। इस कारण मेरी पढ़ाई वहीं रोक दी गयी और पापा मेरी शादी के लिए जिद करने लगे। मात्र सत्रह साल की उम्र में मेरी शादी हो गई। मेरा सपना था कि खूब पढ़कर कोई अच्छा सा काम करूँ लेकिन यह इच्छा धरी की धरी रह गयी। शादी एक ऐसे क्षेत्र में हुई जहाँ पर महिलायें खेती–बाड़ी के काम से जुड़ी हुई थीं। समय के साथ मेरे दो बच्चे भी हो गए। बच्चों की परवरिश में समय बीतने लगा। जब मैं पढ़ाई के बारे में सोचती तो मन ही मन निराश होती थी।

सन् 2007 में अचानक हमारे गाँव में ग्राम्या परियोजना आ गई। प्रधानजी व गाँव के एक सज्जन ने मेरे ससुरजी से कहा कि उनकी बहू पढ़ी–लिखी है। उसे ग्राम्या में महिला प्रेरक के पद पर नियुक्त कर देते हैं। प्रधानजी ने मुझसे बात की और मेरे घरवालों को मनाकर नौकरी दिला दी। जब ट्रेंनिग के दौरान पहली बार स्वयं कोटद्वार गई तो दुनिया देखने को मिली। तब से मैं नियमित तौर पर ट्रेनिंग व मीटिंग में जाने लगी। दुनिया में कई बदलाव देखे और स्त्री के महत्व को समझ पाई। जब मुझे ग्राम्या परियोजना में काम करते हुए पाँच वर्ष पूरे हो गए तो गाँव व संस्था के लोगों ने मुझे महिला साक्षरता एवं शिक्षण केन्द्र की संचालिका के रूप में चुना। तब मुझे बहुत खुशी हुई और सपना पूरा होने का एहसास हुआ।

अब मैं जून 2012 से संस्था के साथ जुड़ी हूँ। पहले मैं गोष्ठियों में खुलकर नहीं बोल पाती थी लेकिन संस्था के साथ जुड़कर मेरे अंदर आत्मविश्वास जागृत हुआ। मासिक गोष्ठियों में बाड़ियूँ जाती हूँ तो वहाँ अलग–अलग गाँवों से आई हुई लड़कियों से मिलती हूँ। तब एक परिवार सा महसूस होता है। अब केंद्र में महिलाओं से बोलने में झिझक नहीं होती। उनके साथ घुलमिल कर बातें करना भी अच्छा लगता है। इसी तरह हर महिला से कहती हूँ कि अपने अधिकारों को समझे व संघर्ष करने की क्षमता रखे। कोई ना कोई सहयोगी जरूर बनेगा, यह मेरा विश्वास है।

हथनूड़ गाँव में महिला साक्षरता एवं शिक्षण केंद्र रोज दो घण्टे चलता है। वर्तमान में महिलाओं के साथ–साथ दो पुरूष भी केंद्र में पढ़ने आते हैं। मुझे महिलाओं को पढ़ाना अच्छा लगता है। इससे पहले मुझे गाँव में महिलायें एक 'बहू' के रूप में जानती थीं, लेकिन अब महिला साक्षरता केंद्र की 'संचालिका' के रूप में जानती हैं। गाँव में जब महिलाओं से मिलना–जुलना होता है तो वे मुझे ''मैडम'' कह कर पुकारती हैं, तब मुझे बड़ा गर्व होता है। इससे पहले मैं 'ग्राम्या' परियोजना में महिला–प्रेरक के पद पर कार्य करती थी लेकिन जो उपलब्धियाँ मुझे महिला साक्षरता एवं शिक्षण केंद्र चलाते हुए मिल रही हैं, वे उस पद पर नहीं मिलीं। पहले मैंने नयारघाटी ग्राम स्वराज्य समिति के बारे में केवल सुना था लेकिन अब संस्था से जुड़कर जो बातें सीखने को मिलीं, वे पहले कभी नहीं मिली थीं।

अतः मेरा यही प्रयास है कि जो मैंने संस्था के साथ जुड़कर सीखा, उसे केंद्र को चलाते हुए अन्य महिलाओं को सिखाऊँ। एक दिन अचानक महिला साक्षरता केंद्र में आने वाली एक महिला ने आकर मुझे धन्यवाद दिया। जब मैंने कारण पूछा तो उसने बताया कि स्कूल में जाकर स्वयं हस्ताक्षर किये तो बड़ी खुशी हुई। मैंने संस्था को कोटि–कोटि धन्यवाद दिया कि इस कार्य की वजह से मुझे यह सम्मान मिला है। साक्षरता केन्द्र में पढ़ना सीख रही महिलायें कुछ इस तरह से कहती हैं :

सुनीता देवी : मैं बिल्कुल निरक्षर थी। मैंने महिला साक्षरता एवं शिक्षण केंद्र में आकर अपना नाम लिखना सीख लिया है। जब मैं स्कूल में अभिभावकों की बैठक में गई तो वहाँ पर हस्ताक्षर किए। यह देखकर वहाँ के प्रिसिंपल साहब ने पूछा कि ''पहले आप अगूँठा लगाती थीं, अब यह बदलाव कैसे आया?'' मैंने कहा, ''मैं रोज महिला साक्षरता केंद्र में जाती हूँ और वहाँ पर अपना नाम लिखना सीख लिया।'' उन्होंने संस्था की बड़ी सराहना की और कहा कि अगर ऐसे कार्यक्रमों से महिलाओं का विकास हो तो बहुत अच्छा है।

मालती देवी : मैं अपना नाम लिखना जानती थी लेकिन अक्षरों का ज्ञान नहीं था। अब महिला साक्षरता एवं शिक्षण केंद्र में आकर अक्षर पहचानने लगी हूँ। इतना जान गई हूँ कि मेरे तीनों बच्चों का नाम 'अ' अक्षर से शुरू होता है। वे आरती, अतुल व अरुण हैं। यह भी जानती हूँ कि मेरी लड़की के नाम में बड़ी 'ई' की मात्रा लगती है। मेरे लड़के अतुल में त के साथ छोटे उ की मात्रा लगती है और अरूण लिखते वक्त र में उ की मात्रा लगती है।

शशी देवी : पहले मेरे बच्चे शाम को पढ़ाई नहीं करते थे और टी.वी. के सामने बैठ जाते थे। जब से मैं महिला साक्षरता केंद्र में पढ़ने जाती हूँ तो संचालिका द्वारा दिया गया कार्य रात को घर पर ही पूरा करती हूँ। मुझे देखकर बच्चे भी पढ़ने बैठ जाते हैं। मैं संस्था का हृदय से धन्यवाद करती हूँ। जब से मैं महिला साक्षरता एवं शिक्षण केंद्र में आने लगी तब से बच्चे भी सुधर रहे हैं और मुझे देखकर स्कूल का होमवर्क पूरा करते हैं।

संगठन की सदस्याओं ने महिलाओं के सम्मेलन के लिए यह गीत भी तैयार किया है :

सम्मेलन गीत

चल दीदी हम भी जौंला
महिला सम्मेलन देखी–सुणीं औंला।।

मन की बात बोली औंला
समाज की बात इत ल्यौला।।
बाड़ियूँ को क्षेत्र माँ सम्मेलन हौला
ते गीत देखी औंला।।

चल दीदी हम भी जौंला
महिला सम्मेलन देखी–सुणीं औंला।।

तौ डाइयों कं रंग देखी औंला
ते गौ की हरयाली देखी औला।।
तौ दीदी भुलीयो तो मील औंला
अपणी दुख–सुख रखी जौंला।।

चल दीदी हम भी जौंला
महिला सम्मेलन देखी–सुणीं औंला।।

प्रेरणादायी व्यक्तित्व

महानंद बिष्ट

स्वर्गीय श्री आनन्द सिंह बिष्ट का जन्म ग्राम दोगड़ी कांडई, विकासखण्ड दशोली, जनपद चमोली के एक गरीब परिवार में एक जुलाई, 1938 को हुआ। बचपन से ही शिक्षा में अभिरुचि थी लेकिन संसाधनों की कमी तथा विद्यालय गाँव से कोसों दूर होने के कारण कक्षा आठ तक की ही शिक्षा प्राप्त कर पाए। बचपन से ही समाज व देश की सेवा करने का सपना था, इसलिए आर्मी के महार रेंजिमेंट में 24 जनवरी 1957 को भर्ती होकर करीब छह साल तक कार्य किया। जब फौज से छुट्टी लेकर घर में आते तो गाँव तथा क्षेत्र की समस्याओं को देखकर कुछ उपयोगी कार्य करने की इच्छा होती थी। कभी मन में देश की सेवा का भाव आता तो कभी दूर–दराज के गाँवों की दशा देखकर समाज सेवा करने की इच्छा बलवती हो जाती।

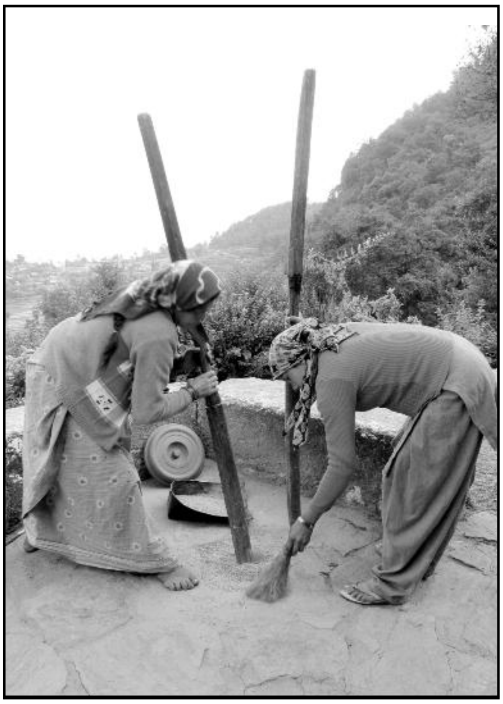

29 मार्च 1964 को फौज से मेडिकल लेकर वह अपने गाँव वापस आ गए। उस वक्त, गाँव के बच्चे विद्यालय दूर होने के कारण प्राइमरी कक्षा से आगे नहीं पढ़ पाते थे। इसी कारण, बालिकायें भी स्कूल नहीं भेजी जाती थीं। अभिभावक सोचते कि पाँचवीं कक्षा पास करने के बाद कहीं जाना नहीं है इसलिए पढ़ना ही क्यों? बिष्ट जी हमेशा सोचते रहते कि जिस प्रकार मुझे पढ़ने की इच्छा थी, वैसी ही अन्य बच्चों के मन में होती होगी, परंतु विद्यालय न होने के कारण शिक्षा का अभाव बना रहता।

बिष्ट जी ने ग्रामीण बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए प्रयास करने, महिलाओं के सिर एवं पीठ के बोझ को कम करने, महिलाओं की उन्नति तथा गाँधीवादी विचारधारा के तहत लोगों की सेवा के उद्‌देश्य से दशोली ग्राम स्वराज्य मंडल में कार्य शुरू किया। दूर–दराज के क्षेत्रों में शिविरों के माध्यम से लोगों में जागरूकता लाने का निर्णय लिया। 26 नवम्बर 1978 को जनपद चमोली, विकासखण्ड दशोली, के ग्राम दोगड़ी कांडई, बमियाला सहित छह ग्रामों की आम सभा की और बातचीत कर सर्वसम्मत उद्‌देश्यों के साथ कार्य करने का निर्णय लिया। दूरस्थ पहाड़ों में बसे अशिक्षित बालक–बालिकाओं के लिए जूनियर हाईस्कूल का प्रबंध करना, पर्यावरण प्रदूषण को रोकना, वन–संरक्षण के लिए जागृति पैदा करना, वनीकरण, ग्रामीण क्षेत्रों में

बालवाड़ियों की व्यवस्था कर शिक्षा को बढ़ावा देना, महिलाओं को संगठित कर शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए जागरूकता पैदा करना, पर्वतीय महिलाओं की कष्ट–मुक्ति के लिए कार्य करना, कुटीर उद्योगों की स्थापना कर लोगों को रोजगार से जोड़ने का प्रयास करना आदि उद्देश्यों के साथ संस्था की स्थापना की गई।

सबसे पहले, जो पीड़ा मन में थी और जिसके लिए सरकारी नौकरी को छोड़ा, उसे पूरा करने की ठान ली। सन् 1979 में जन–सहयेाग और श्रमदान से तीन माह में विद्यालय भवन का निर्माण किया गया तथा दो बी.टी.सी. प्रशिक्षित युवकों को अध्यापकों के रूप में नियुक्त भी कर दिया। प्रांरभ में कक्षा पाँच से छः में प्रवेश कर रही छब्बीस बालिकाओं के साथ शिक्षण का कार्य शुरू हुआ। 2 अक्टूबर 1979 को ग्रामीणों तथा जन–प्रतिनिधियों के सहयोग से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उक्त विद्यालय को अपने हाथों में ले लिया गया। आखिर सरकार को जन–शक्ति और ग्रामवासियों की इच्छा–शक्ति के सामने झुकना पड़ा।

अब गाँवों में विद्युतीकरण की समस्या को दूर करने का प्रयास शुरू हुआ। कई वर्षों से ग्राम सभा दोगड़ी कांडई और टंगसा के निवासी उत्तर प्रदेश सरकार से विद्युतीकरण की माँग करते आ रहे थे लेकिन बिजली उपलब्ध नहीं हो पा रही थी। संस्था के स्वयं–सेवकों ने पास ही में बह रही गवनी नदी से विद्युत उत्पादन कर गाँवों को जगमगाने का फैसला लिया। सभी ग्रामीणों का सहयोग लिये जाने का भी निर्णय लिया गया। बिष्ट जी कुछ साथियों के साथ विद्युत गृह निर्माण के लिए जगह ढूंढने निकल पड़े। उन्होंने बाकोड़ी नामक स्थान पर जगह का चयन कर दान, चंदा और श्रमदान से आठ सौ फीट ऊँची चट्टान को काटकर नहर का निर्माण करवाया। दान–चंदा की राशि के साथ ही दिल्ली के निवासी श्री योगेशजी के सहयोग से एक टरबाइन तथा अन्य सामग्री खरीद कर लायी गयी। आठ मई 1981 को जनता की मेहनत कामयाब हो गई और गाँव में बिजली पहुँच गई। इसके साथ ही एक आटा चक्की और तेल पिराई की मशीन भी लगा दी गई। इसकी देखरेख सभी ग्रामीणों के सहयोग से होने लगी।

सन् 1987 में उत्तराखण्ड सेवा निधि के सहयोग से दशोली, जोशीमठ, पोखरी, कर्णप्रयाग, गैरसैंण ब्लाकों में शौचालयों का निर्माण, पर्यावरण शिक्षा एवं महिला विकास शिविर, पर्यावरण संवर्धन यात्राएं, वन पंचायत सम्मेलन, पॉली–हाउस, पॉलीथिन–टैंक का निर्माण, सिलाई–प्रशिक्षण, रेशम–कीट पालन, टसर उद्योग, अरगबत्ती–मोमबत्ती बनाने के लिए प्रशिक्षण आदि कार्यों को ग्रामीणों के साथ मिलकर किया। साथ ही चिपको आंदोलन की शुरूआत में रैणी गाँव की महिलाओं एवं मंडल घाटी के निवासियों को भरपूर सहयोग दिया। जंगलों को बचाने के लिए यहाँ की महिलायें पेड़ों पर चिपक पड़ीं और साइमन कंपनी के कर्मचारियों को चमोली से बाहर खदेड़ने में सफल रहीं। इन सभी कार्यों में क्षेत्र की जनता के साथ–साथ सर्वोदयी कार्यकर्त्ताओं का अभूतपूर्व योगदान रहा।

आज इस क्षेत्र के लोग जागरूकता में बहुत आगे हैं। श्री बिष्ट जी ने लगभग पैंतीस वर्ष तक गाँधीवादी विचारधारा के साथ समाज की सेवा के लिए कार्य किया। मंडल घाटी में चिपको आंदोलन की शुरूआत करते हुए लोगों का पूरा सहयोग मिला। हालांकि आज चिपको आंदोलन के स्थान के रूप में मंडल घाटी को भुलाया गया हो लेकिन इस आंदोलन में यहाँ की जनता का महत्वपूर्ण योगदान था। साथ ही, चिपको आंदोलन के बाद इस क्षेत्र के लोगों ने उत्तराखण्ड सेवा निधि, अल्मोड़ा के सहयोग से बैल के कंधों के लिए जुआ तैयार करने हेतू अंगू के वृक्षों का वृह्द् स्तर पर रोपण किया।

लगभग पैंतीस वर्षों की समाज सेवा के बाद 11 अक्टूबर 2001 को पी.जी.आई. चंडीगढ़ में श्री बिष्ट जी का देहांत हो गया। इन वर्षों में निरंतर सहयोग के लिए उत्तराखण्ड सेवा निधि की भूमिका को इस क्षेत्र की जनता हमेशा याद रखेगी। पच्चीस वर्ष पहले किये गये उत्तराखण्ड सेवा निधि के कार्यों को आज भी धरातल पर देखा जा सकता है। चाहे विद्यालयों में शौचालय निर्माण हो या विद्यालयों की चाहरदीवारी या वनीकरण के कार्य। आज जब उत्तराखण्ड सेवा निधि के माध्यम से नवज्योति महिला कल्याण संस्थान, गोपेश्वर द्वारा विभिन्न कार्य गाँवों में संपादित होते हैं तो बुजुर्ग महिलायें पिछले दिनों को याद करती हैं। जिन बालिकाओं ने बालवाड़ी कार्यक्रम में पिछले वर्षों में शिक्षा पाई थी, आज वे सामाजिक कार्यों में भागीदारी निभाने के लिए सबसे आगे आती हैं।

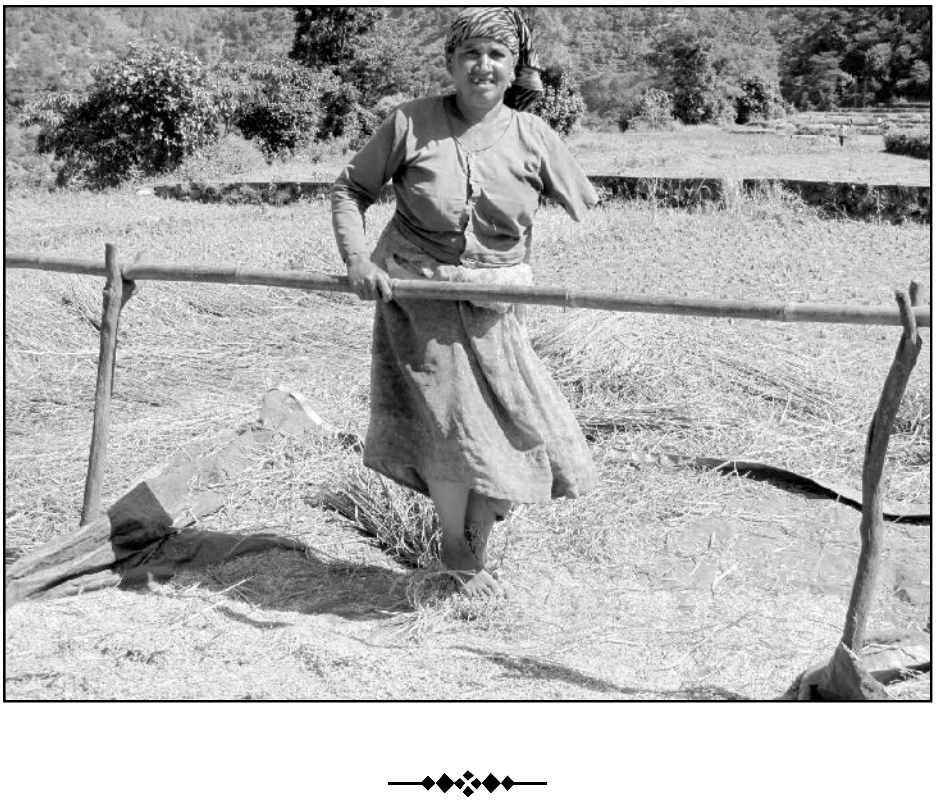

शैक्षिणक भ्रमण

सत्येन्द्र रावत

उत्तराखण्ड महिला परिषद् से जुड़े क्षेत्रीय महिला संगठनों के पदाधिकारियों के शैक्षणिक भ्रमण (17 से 20 मार्च 2013) से गाँवों में संगठन मजबूत हुए हैं। उत्तराखण्ड महिला परिषद् अल्मोड़ा के आर्थिक सहयोग से लोक कल्याण विकास समिति, सगर, चमोली के तत्वाधान में कुजौं–मैकोट क्षेत्र के अलग–अलग गाँवों से पाँच–पाँच महिलाओं को भ्रमण में शामिल किया गया। पहली बार, भ्रमण कार्यक्रम में शामिल हो रही महिला पदाधिकारियों के मन में कई आशंकायें थीं। संगठन से जुड़ने पर उन्हें अन्य गाँवों के कार्यों को देखने का अवसर मिला। एक साथ बस में सफर करने और परिचय प्रगाढ़ होने से आपसी रिश्ते मजबूत हुए।

अल्मोड़ा पहुँचने पर महिला संगठनों को उत्तराखण्ड महिला परिषद् के कार्यों की जानकारी प्राप्त हुई। बैठक में बातचीत करते हुए महिला संगठनों ने अपने–अपने गाँवों में किए जा रहे रचनात्मक कार्यों की जानकारी दी। भ्रमण में सम्मिलित महिला सदस्याओं ने अपने–अपने गाँवों में किए जा रहे जल–जंगल, घास–चारा, पर्यावरण संरक्षण के कार्यों की समीक्षा की। पदाधिकारियों का कहना था कि वे पहली बार अल्मोड़ा पहुँची हैं। यहाँ पर अपने घर–परिवार का सा माहौल देखकर संगठन से जुड़ने की इच्छा मजबूत हुई है और महिला परिषद् के तत्वाधान में नई जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं।

भ्रमण दल ने संस्था द्वारा निर्मित चाल–खाव, स्वच्छ शौचालयों का अवलोकन भी किया। महिला संगठन की एकता से गाँवों में कई सामाजिक बुराइयों का बहिष्कार किया गया है। इन सभी कार्यों से भ्रमण दल को नई ऊर्जा प्राप्त हुई है। दल की सदस्याओं ने वापस लौट कर अपने–अपने गाँवों में बैठकें की और भ्रमण के अनुभवों से सभी को अवगत करवाया। साथ ही गाँवों में मासिक बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया गया। ऐसे अनुभवों से अन्य सदस्याओं में भी एकता एवं संगठन की मजबूती की समझ बनी। महिला पदाधिकारियों का कहना था कि संगठन की शक्ति सर्वोपरि है। भ्रमण दल की सदस्याओं ने उत्तराखण्ड महिला परिषद् द्वारा ग्रामीण स्तर पर किये जा रहे कार्यों को देखा। भ्रमण में आई हुई महिलाओं ने बताया कि गाँवों में महिला शिक्षण, स्वच्छ शौचालय, महिला सारक्षता एवं शिक्षण केन्द्र तथा ग्रामीण पुस्तकालयों से सभी वर्गों को लाभ प्राप्त हो रहा है।

भ्रमण दल द्वारा सुदूरवर्ती क्षेत्र खेती गाँव, दन्याँ में जाकर गोष्ठी भी आयोजित की गई। इस क्षेत्र की कार्यकर्त्ता दया उप्रेती ने बताया कि गाँव में महिला संगठनों का निर्माण बालवाड़ी शिक्षण कार्य से हुआ। बैठक में महिला ग्राम प्रधान एवं महिला संगठन की अध्यक्षा ने सभी अतिथियों का स्वागत किया।

खेती गाँव में हुई बैठक और महिला संगठनों के कार्यों से कुजौं–मैकोट, डुंग्री, खण्डरा, बैलीधार क्षेत्र की महिलायें काफी प्रभावित हुईं। भ्रमण दल में गई हुई महिलाओं ने स्वयं बिना

किसी बाहरी मदद से अपने–अपने गाँवों में गोष्ठी की। साथ ही, महिलाओं की समस्याओं को हल करने के लिए एकता पर जोर दिया। अब संगठन की अगुवाई में आयोजित हर बैठक में महिलायें एकजुट हो रही हैं तथा अन्य गाँवों की महिला प्रतितिधि भी शैक्षणिक भ्रमण में सम्मिलित होने की इच्छा जता रही हैं।

किशोरियों के अनुभव

लीला कोरंगा

किशोरी शिक्षण कार्यक्रम की शुरूआत में जब हम गाँव में गोष्ठी करते थे तो किशोरियाँ बोलती नहीं थी और गोष्ठी में कम ही आती थीं। रोज–रोज गाँव में किशोरियों की गोष्ठी की तो उन्होंने बताया कि स्कूल में 'मैडम' पढ़ाती हैं, वे किताबों से भी पढ़ती हैं पर किशोरियों के जीवन में जो बातें जरूरी हैं, वे उन्हें कहीं भी नहीं बताई जातीं। किशोरियों के साथ हम संस्था के कार्यकर्त्ता अपने अनुभव बाँटते हैं। संगठन के माध्यम से उनके माता–पिता को भी समझाते हैं। जिन लड़कियों की शादी जल्दी कर देते हैं, उसके बारे में किशोरियाँ स्वयं आवाज उठाती हैं। हम गोष्ठियों में स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, खानपान आदि मुद्दों पर बातचीत करते हैं। गोष्ठी में बताते हैं कि हिंसा क्या है? हिंसा केवल मारकाट नहीं है। छेड़छाड़ करना, दहेज के बारे में बातें सुनाना, बहुओं के लड़का न होने पर ताने देना, सास का बहू से बुरा व्यवहार करना, यह सब भी हिंसा है। फिर भी लड़की का जन्म होने पर माँ को ही दोषी माना जाता है और लड़की के साथ हिंसा और भेदभाव किया जाता है।

ऐसे कई विषयों पर किशोरी संगठन के माध्यम से काफी जानकारी मिलती है। ये ही बातें हमारे जीवन में घटती हैं। जैसे 'मेरी पहचान' के बारे में बताते हैं कि हम लड़कियाँ अपने नाम के महत्व को पहचानें और आगे बढ़ें। अठारह वर्ष की उम्र से पहले शादी नहीं कर सकते हैं। उत्तराखण्ड से बाहर के जो लोग लड़की भगाकर पहाड़ में आ रहे हैं, उस विषय पर भी हम आवाज उठाते हैं। पहले की अपेक्षा अब यह बहुत कम हो गया है। हम किशोरियाँ आपस में भी स्वयं के बारे में काफी चर्चा करती हैं। हमें किसी भी प्रकार की हिंसा को सहन नहीं करना चाहिए। यह हमारी कमी है कि हम समझते हैं कि बदनामी हो जायेगी और ऐसे ही घुटते रहते हैं। अब हम आगे आयेंगे और जिस तरह दिल्ली में दामिनी के साथ हुआ, ऐसा किसी किशोरी के साथ ना हो, ऐसा संकल्प लेते हैं। ये सभी बातें हम किशोरियों से करते हैं और अपने अभिभावकों को भी समझाते हैं। जब हम लड़कियाँ आगे बढ़ेंगी, तभी समाज बदलेगा और हम सभी की जिंदगी में बदलाव आयेगा।

किशोरी संगठन

सुनीता गहतोड़ी

पर्यावरण संरक्षण समिति, पाटी, चंपावत जिले में उत्तराखण्ड सेवा निधि के सहयोग से कार्य कर रही एक छोटी सी संस्था है। शुरूआत में संस्था के माध्यम से बालवाड़ियाँ चलती थीं लेकिन अब बंद हो गई हैं। अब किशोरी और महिला संगठनों का काम लगभग पंद्रह गाँवों में चलता है। नियमित रूप से प्रत्येक गाँव में हर माह गोष्ठी करते हैं। जिले में महिला संगठन बहुत ही कमजोर हैं क्योंकि महिलाओं के पास खेती का काम अधिक होने के कारण गोष्ठी के लिए समय ही नहीं हो पाता, परंतु किशोरी संगठन का कार्य अच्छा चलता है।

संस्था के कार्यकर्त्ता गाँवों में किशोरी गोष्ठियाँ आयोजित करते हैं। किशोरियों को उनकी पहचान और रिश्तों की समझ के साथ–साथ हिंसा तथा दहेज–प्रथा जैसे मुद्दों पर जानकारियाँ देते हैं। हमारा सबसे मजबूत संगठन कानीकोटी गाँव में है। कई लड़कियाँ तो गाँव से बाहर नौकरी करने के लिए चली गई हैं। कुछ स्कूलों में पढ़ा रही हैं। कुछ आँगनवाड़ी और पुस्तकालयों में काम कर रही हैं। किशोरियों का कहना है कि इस प्रकार की निरंतर गोष्ठियों से उनकी झिझक दूर होती है और आगे बढ़ने की आत्मशक्ति मिलती है। इसके अलावा कुछ किशोरियाँ पढ़ाई के लिए गाँव से बाहर जा रही हैं।

कुछ किशोरियाँ कम्प्यूटर भी सीख रही हैं। ग्राम हरोड़ी की एक किशोरी ने दो महीने जोश्यूड़ा गाँव में आकर कम्प्यूटर का काम सीखा। हरोड़ी से जोश्यूड़ा लगभग तीस किमी की दूरी पर है। आज वह स्वयं एक कम्प्यूटर केन्द्र चला रही है। कुछ गाँवों की किशोरियाँ संगठन के माध्यम से अपनी समस्याओं को सुलझा लेती हैं।

गाँवों के अलावा हम स्कूलों में भी कार्यशालायें करते हैं। हम पाँच विद्यालयों में नियमित रूप से कार्यशाला करते हैं। विद्यालय में किशोरियों को पढ़ाई के साथ–साथ उन्हें जीवन जीने के सही तौर–तरीके के बारे में भी जानकारियाँ मिलती हैं। हम किशोरियों को खेल के माध्यम से आगे लाते हैं और फिर विषय के अनुसार उनकी पहचान, रिश्तों की समझ, दहेज प्रथा और हिंसा के बारे में बताते हैं। सूचना अधिकार के बारे में भी बताते हैं। विद्यालयों के अध्यापकों का कहना है कि इस प्रकार के कार्यक्रमों से किशोरियों को आगे बढ़ने में मदद मिल रही है। उन्हें स्वास्थ्य के बारे में जानकारियाँ मिल रही हैं। किशोरियों की झिझक दूर हो रही है। इस प्रकार काम करते हुए हमारी संस्था किशोरियों को आगे लाने का पूर्ण प्रयास कर रही है।

बालवाड़ी से समाज में आये परिवर्तन

लीला बिष्ट

पच्चीस साल पहले उत्तराखण्ड में बालवाड़ी का कार्यक्रम सक्रिय रूप से शुरू हुआ। बालवाड़ी की शिक्षिका काफी लगन के साथ बच्चों के साथ काम करती थी। शुरूआती दौर में बालवाड़ी में उम्र का कोई भी बंधन नहीं था। सात–आठ साल के बच्चे भी बालवाड़ी में आते थे। जो लड़कियाँ ग्वाला जातीं, वे भी एक–दो घंटा बालवाड़ी में आ जाया करती थीं। बालवाड़ी में उन्हें नाम व पता लिखना एवं अन्य बहुत सी ज्ञान की बातें सिखायी जाती थीं। बालवाड़ी खुलने से लड़कियाँ और महिलायें बहुत खुश रहती थीं। ये लड़कियाँ न तो ज्यादा पढ़ी–लिखी थीं और ना ही खेती–बाड़ी के अलावा अन्य कोई काम करती थीं। उन्हें बालवाड़ी में कम समय में ही नाम लिखना और पढ़ना सिखा दिया जाता था।

बालवाड़ी में पढ़ने के बाद कई लड़कियों ने प्राइमरी पाठशाला में कक्षा दो और तीन में नाम लिखवाया। उसके बाद अनेक लड़कियों ने इण्टर पास करके स्वयं बालवाड़ी चलाई। दन्याँ क्षेत्र में उन दिनों बालवाड़ी का कार्यक्रम बहुत अच्छा चलता था। गाँव में भी काफी चहल–पहल थी। गाँव की महिलायें बच्चों को बालवाड़ी में छोड़ कर चार घंटा घर–बाहर का काम करती थीं। बालवाड़ी चलने से उनका कार्य बोझ बहुत हल्का होता था, जिससे गाँव की महिलायें काफी खुश रहती थीं।

महिलाओं का कहना था कि बालवाड़ी का कार्यक्रम चलने से हमारी लड़कियाँ भी प्राइमरी पाठशाला में पढ़ने लगी हैं। जब लड़कियों की शादी होती तो वे ससुराल से अपने मायके के लिए पत्र भेजती थीं। एक लड़की गीता ने इण्टर पास किया और उसके बाद बालवाड़ी भी चलाई। एक–दो साल बालवाड़ी चलाने के बाद उसकी शादी हो गई। जहाँ गीता की शादी हुई, वहाँ बालवाड़ी कार्यक्रम चलता था। गीता वहाँ की शिक्षिका को भी काफी सहयोग देती थी और बालमेले में भावगीत, कहानी, खेल आदि कार्यक्रम भी करवाती थी। वह दयालपुर गाँव में बालवाड़ी की पूरी देख–रेख करती थी।

शादी के एक साल बाद ही गीता आँगनवाड़ी की शिक्षिका बन गई। जब वह आँगनवाड़ी के प्रशिक्षण में भाग लेने गई तो वहाँ भी सभी कार्यक्रमों में आगे रहकर भावगीत, कहानी, खेल, शांति–खेल आदि करवाती थी। अन्य आँगनवाड़ी की कार्यकर्त्ता उसे देखती ही रह गईं। उसने अपने साथियों को बताया कि शादी से पहले मायके में बालवाड़ी चलाई थी, जिसका प्रशिक्षण उत्तराखण्ड सेवा निधि द्वारा दिया जाता है। उसने कहा कि प्रशिक्षण के दौरान उन्हें बताया गया था कि बालवाड़ी में बिना डराये–धमकाये, बिना डंडा दिखाये हुए विभिन्न गतिविधियाँ की जाती हैं। बालवाड़ी के माध्यम से ही उसे ससुराल भी बहुत अच्छा मिला और यहाँ भी आँगनवाड़ी में कार्य करने का मौका मिला है। अब वह ऐसा कार्यक्रम आँगनवाड़ी में भी करेगी। आँगनवाड़ी की सभी कार्यकर्त्ता काफी प्रभावित हो गईं। गीता की सक्रियता से उसकी प्रशिक्षक भी काफी खुश थीं। उन्होंने कहा कि बालवाड़ी की तरह आँगनवाड़ी में भी कार्यक्रम करें।

गीता एक सक्रिय शिक्षिका है। वह महिला संगठन की सदस्या भी है। ऐसे ही ससुराल में कई अन्य लड़कियों की नौकरी आँगनवाड़ी, आशा (स्वास्थ्य) और आजीविका कार्यक्रम में लगी है। गाँव की महिलायें भी काफी आगे बढ़ी हैं। वे भी अपने जल–जंगल–जमीन का रख–रखाव करती हैं और अपने अधिकारों के बारे में काफी जागरूक हुई हैं। महिलायें पंचायतों में भी आगे आ रही हैं। अब वे पंचायतों की खुली बैठकों में जाती हैं। पंच अपने वार्डों के बारे में जानकारी लेती हैं और ब्लॉक द्वारा आयोजित की जाने वाली बैठकों में सम्मिलित होकर चर्चा करती हैं।

महिला संगठन गोगिना धारी

उमा रौतेला

संगठन बनने से पहले गोगिना धारी गाँव की महिलायें सीमित दायरे में काम करती थीं। जब से गाँव में महिला साक्षरता एवं शिक्षण केन्द्र खुला तब से महिलाओं की झिझक कम हुई। धीरे–धीरे एक दूसरे से परिचय करते हुए महिलायें थोड़ा–बहुत बातें करने लगीं। उसके बाद महिला साक्षरता एवं शिक्षण केन्द्र में शिक्षिका प्रार्थना सिखाती थी तो महिलायें थोड़ा–थोड़ा गाती थीं। शिक्षा में महिलाओं की बहुत रुचि है। चेतना गीत गाते हुए वे बहुत प्रसन्न दिखाई देती है और महिला साक्षरता एवं शिक्षण केन्द्र में शिक्षिका के साथ गाते–गाते नाचने भी लगती हैं। कभी किसी दिन अपने गाँव या समाज के बारे में मुद्दे भी उठाती हैं। वे कहती हैं कि सभी महिलायें मिलकर और साथ में जुड़कर समाज में बातें करेंगी और यदि कोई घटना या परेशानी हो तो उसे हल करेंगी। एक महिला आवाज उठाती है तो सभी महिलायें उसका साथ देती हैं।

अगर किसी अन्य गाँव के लोग जंगल में लकड़ी के दरवाजे या तख्ते बनाने के लिए पेड़ काट दें तो सभी महिलायें वन को बचाने के लिए एक साथ आवाज उठाती हैं। बाहर के लोग हमारे गाँव में जंगल का नुक्सान करते हैं तो सभी महिलायें प्रधान के माध्यम से एक प्रस्ताव लिखकर भेजती हैं। तब गाँव में जनता की खुली बैठक रखी जाती है। उस बैठक की भरी पंचायत में नुक्सान करने वाले व्यक्ति पर जुर्माना किया जाता है। जुर्माने का पैसा ग्राम पंचायत के कोष में जमा होता है। महिलाओं ने नारे भी रचे हैं :

पेड़ों पर हथियार उठेंगे	–	हम भी उनके साथ कटेंगे।।
पाँच छह सा	–	बंद करो जुआ शराब।।
बाबू जी का क्या कहना	–	कोई निरक्षर ना होना।।
जन–जन की यही पुकार	–	महिलाओं को दो अधिकार।।

कम्प्यूटर प्रशिक्षण केंद्र दोगड़ी–काण्डई

नंद किशोर बिष्ट

नवज्योति महिला कल्याण संस्थान, गोपेश्वर ने उत्तराखण्ड सेवा निधि पर्यावरण शिक्षा संस्थान, अल्मोड़ा के माध्यम से चमोली जिले के ग्राम दोगड़ी–काण्डई में कम्प्यूटर प्रशिक्षण केंद्र की शुरूआत की है। बच्चों के सर्वांगीण विकास को देखते हुए संस्था द्वारा कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है।

केन्द्र प्रारंभ करते समय गाँव में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में सर्वसम्मति से एक कम्प्यूटर प्रशिक्षण समिति गठित की गयी। समस्त ग्रामवासियों ने गोष्ठी में हिस्सा लिया। प्रतिभागियों का विचार था कि जो ग्रामीण–जन शहरी क्षेत्रों की ओर अग्रसर हो रहे हैं वे अपने गाँव में ही कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। प्रथम चरण में बड़ा ही हर्ष का माहौल रहा। सरलता से प्रशिक्षण समिति का गठन हो गया। इसमें श्री कुंदन सिंह नेगी, सहायक अध्यापक (राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दोगड़ी काण्डई) को संरक्षक, श्री धीरेन्द्र सिंह बिष्ट को अध्यक्ष तथा संचालन की जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई। इसके पश्चात् दोगड़ी काण्डई गाँव के महिला संगठन की अध्यक्षा ने अपने विचार प्रस्तुत करते हुए कहा कि जो संस्था हमारे ग्रामीण बच्चों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण से जोड़ पाई, उसके सहयोग की सराहना करते हैं। ग्राम–प्रधान श्रीमती गुड्डी देवीजी ने कहा कि अगर उत्तराखण्ड के हर गाँव में कम्प्यूटर प्रशिक्षण का ज्ञान दिया जाये तो यह राज्य तकनीकी व विज्ञान के क्षेत्र में काफी आगे आ सकता है। गोष्ठी में बातचीत करके केन्द्र के संचालन के लिए कुछ नियम भी बनाए गये –

- प्रारंभिक चरण में संस्था द्वारा सोलह बच्चों का चयन किया गया, जिसमें दस बालिकायें व छः बालक सम्मिलित किए गए
- ग्रामवासियों की सहमित से तय हुआ कि प्रतिमाह पन्द्रह रुपये शुल्क का प्रावधान रखा जाना चाहिए
- बच्चों के दो समूह बनाये गए। प्रथम समूह में पाँच बालिकायें तथा तीन बालक हैं। उनके लिए तीन घंटे का समय रखा गया। दूसरे समूह में पाँच बालिकायें तथा तीन बालक हैं। तीन घंटे का समय उनके लिए भी रखा गया
- समिति के द्वारा अतिरिक्त बच्चों को भी कम्प्यूटर प्रशिक्षण देने के लिए दोपहर एक बजे से सांय सात बजे तक का समय रखा गया है।

किशोरी गोष्ठी के अनुभव

दया उप्रेती

जब किशोरी कार्यक्रम की शुरूआत हुई तो गाँव में गोष्ठी का आयोजन हुआ। गोष्ठी में विद्यालयों में कार्यशालायें की जायें, इस विषय पर गहन रूप से चर्चा हुई। यह कार्य मुझे कैसा लगा होगा? संस्था से जुड़े हुए हम कार्यकर्त्ता विद्यालयों में गए। संपर्क किया तो अध्यापकों ने कार्यशाला के लिए व्यवस्था की। हमें एक कक्ष में बैठाया। चेतना गीत में तो सभी बच्चों ने प्रतिभाग किया। कक्षा शुरू की तो एक मेला जैसा हो गया। फिर हमने खेल किये और गीत गाये।

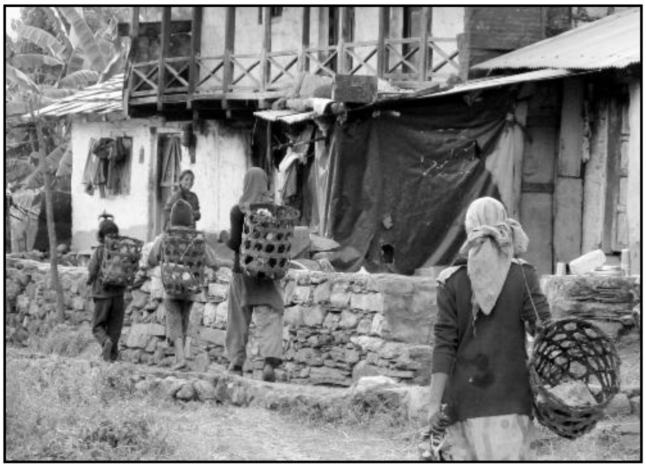

जब दूसरी बार विद्यालय में गये तो हमने एक ही विषय की कक्षा ली। उसमें चालीस किशोरियों ने प्रतिभाग किया। लड़की की पहचान, उसके स्वास्थ्य के महत्व के बारे में बताया। किशोरियों ने बातचीत में रुचि भी ली। एक कक्षा में आठ–दस बार जाने के बाद ही शैक्षणिक माहौल बन सका। किशोरियाँ मुद्दे पर आयीं और बातचीत को सुनने–समझने लगीं। पचास किशोरियों में से दस किशोरियाँ अपनी बात सबके सम्मुख रख पाईं। उन्होंने बताया कि हिंसा पाँच प्रकार की होती है :

1. शारीरिक हिंसा 2. मानसिक हिंसा 3. आर्थिक हिंसा 4. यौन हिंसा 5. सामाजिक हिंसा।

अब किशोरियों को हिंसा के बारे में अच्छी समझ आ गई है और वे इस मुद्दे पर गंभीर होकर बातें करने लगी हैं। अब वे व्यक्तिगत बातें और घटनाएँ भी बताने लगी हैं। वे कहती हैं कि यदि हमारे साथ हिंसा होगी तो हम पहल करेंगी और अपनी माँ व भाभियों को भी समझायेंगी।

इन्हीं किशोरियों में से अमलाण गाँव में दो किशोरियाँ राधा व मुन्नी गाँव की बैठकों में आती थीं। उनके मन में आया कि हम भी तो आगे बढ़ सकते हैं। सभी लोग स्कूल जाते हैं तो हम क्यों नहीं जा सकतीं? कार्यशाला से नियमित संपर्क बना रहा। रोज शिक्षा की बातें होती थीं। ये दोनों किशोरियाँ बाइस वर्ष की उम्र की थीं। वे सोचती थीं कि इस उम्र में विद्यालय कैसे जायेंगी? हमने आपसी विचार–विमर्श किया और पहले उन्हें कक्षा आठ की परीक्षा देने के लिए फार्म भरवाया। फिर ऐसे ही वे आगे बढ़ीं। आज हाईस्कूल की परीक्षा दी है। उन्होंने पच्चीस वर्ष की उम्र में शादी की और दोनों ही स्वयं निर्णय लेती हैं। ससुराल में भी उनका महत्व है।

महिला साक्षरता एवं शिक्षण केन्द्र कीमू

मुन्नी कोरंगा

सितम्बर, 2011 में गाँव के निवासियों ने संस्था के साथ मिलजुल कर कीमू में महिला साक्षरता एवं शिक्षण कार्यक्रम की शुरूआत की। इसके लिए गाँव में महिलाओं एवं पुरुषों की मीटिंग की गई। महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखण्ड महिला परिषद् अल्मोड़ा के माध्यम से महिला साक्षरता एवं शिक्षण केन्द्र खोले गये। निरक्षर महिलाओं को केन्द्र में समय निकालकर नियमित रूप से आना जरूरी है। गोष्ठी में सभी महिलाओं ने कहा कि वे साक्षरता केन्द्र में आने के लिए तैयार हैं। उनका कहना था कि संस्था हमारे पीछे इतना पैसा खर्च कर रही है तो हम भी अपना समय निकालकर केन्द्र में आयेंगी।

गोष्ठी में शिक्षिका के पद के लिए श्रीमती सरस्वती आर्या को नियुक्त किया गया। वह शादी से पहले अपने मायके की बालवाड़ी में शिक्षिका के रूप में कार्य करती थी। शिक्षा को साक्षरता के पाठ्यक्रम से जोड़ते हुए किस तरह कार्यक्रम को संचालित करना है, इसके बारे में सरस्वती को समझाया। शिक्षिका मन ही मन में सोच रही थी कि बड़ी उम्र की महिलाओं के साथ शिक्षण के कार्यक्रम को कैसे कर पाऊँगी? तब मैंने उसे महिला साक्षरता एवं शिक्षण केन्द्र ओलखढूंगा में जाकर कार्यक्रम के बारे में सीखने की सलाह दी। शिक्षिका ओलखढूंगा गाँव के साक्षरता केन्द्र में गयी और महिलाओं के साथ की जाने वाली गतिविधियों के बारे में वहाँ की शिक्षिका जानकी कोरंगा से जानकारी ली।

साक्षरता केन्द्र ओखलढूँगा में विभिन्न गतिविधियों की जानकारी लेने के बाद श्रीमती सरस्वती आर्या अपने केन्द्र में वापस आ गईं। फिर उन्हें कार्यक्रम चलाने में कोई परेशानी नहीं हुई। जब पाठ्यक्रम में कोई परेशानी आ भी जाती तो वह मुझसे या फिर ओखलढूंगा गाँव की शिक्षिका, जानकी, से पूछ लेती।

शिक्षिका अलग–अलग गतिविधियाँ महिलाओं को सिखाती है। जैसे–भाषा ज्ञान, अंक ज्ञान आदि। पहले महिलाओं को सरल अंक, शब्द आदि सिखाती हैं। उसके बाद जब महिलायें सरल अंक एवं शब्दों को स्पष्ट रूप से सीख लेती हैं तो उन्हें थोड़ा–थोड़ा करके सरल अक्षरों से कठिन अक्षरों की ओर ले जाते हैं। इससे महिलाओं को शब्दों, अंकों को पढ़ने व लिखने में कोई परेशानी नहीं होती और आगे पढ़ने–लिखने के लिए जिज्ञासा बढ़ती है।

गाँव की ही श्रीमती पदीमा देवी जब भी केन्द्र में आती तो सभी से कहती कि उसे पढ़ना–लिखना नहीं आता और वह देख नहीं पाती है। फिर भी, वह महिलाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करेगी। वह कहती कि जब हम सब एक–साथ मिलकर लिखेंगे–पढ़ेंगे, तभी हमारा एवं हमारे गाँवों का नाम रोशन होगा।

अब गाँव में हर माह महिला संगठन की गोष्ठी होती है। गोष्ठी में महिलायें स्वास्थ्य,

महिला साक्षरता एवं शिक्षण, महिला अधिकार, सूचना का अधिकार, सामाजिक सहभागिता आदि विषयों पर चर्चा करती हैं। गाँव में कोई भी शुभ–कार्य जैसे शादी, जनेऊ–संस्कार पुराने रीति–रिवाजों के अनुसार ही होता है। एक प्रथा बहुत ही प्रचलित है और अच्छी भी है कि जब किसी के घर पर कोई शुभ–कार्य होता है तो सभी ग्रामवासी मदद करते हैं। जिसके बस में जितना होता है, उतना देते हैं। जैसे–कोई रुपया देता है तो कोई गेहूँ, चावल, घी, तेल, हल्दी, मिर्च, दूध, दही, लकड़ी का गठ्ठर आदि देकर मदद करता है। जिसके पास जो उपलब्ध हो, वह सामग्री देते हैं। अब तो गाँव में नई प्रथाएँ भी प्रचलित हो गई हैं। अपने–अपने तरीके से विवाह किया जा रहा है लेकिन अभी भी बुजुर्गों द्वारा चलाई गई प्रथा चलन में है। गाँव में एकजुट होकर काम किया जाता है। इस बारे में भी साक्षरता एवं शिक्षण कार्यक्रम में चर्चा की जाती है।

स्वास्थ्य पर पहल

पुष्पा पुनेठा

उत्तराखण्ड महिला परिषद् के माध्यम से दन्याँ क्षेत्र के लगभग चालीस गाँवों में महिला संगठनों के कार्य चलते हैं। हर माह में महिला संगठनों की गोष्ठी होती है। महिलायें ग्राम–कोष भी जमा करती हैं। कोष के माध्यम से गाँव की सामूहिक जरुरत की चीजें खरीदती हैं तथा कर्ज निकाल कर व्यक्तिगत कार्य भी करती हैं। साथ ही महिलाओं ने बैंक में खाता खोलना, पैसा जमा करना–निकालना आदि काम सीखे हैं। महिलायें जब कोष से ऋण निकालती हैं तो ब्याज सहित वापस जमा करती हैं। इससे कोष की धनराशि बढ़ती है।

मासिक गोष्ठी में महिलाओं के कार्य व ग्राम विकास के मुद्दों पर चर्चा की जाती है। जिस मुद्दे पर समस्या होती है, उसकी जानकारी दी जाती है। गाँव में महिलाओं की चर्चा के काफी मुद्दे होते हैं। उन मुद्दों में से कुछ इस प्रकार हैं –

- जल, जंगल, जमीन
- पेंशन
- शराब उन्मूलन
- आपदा में भूमि कटाव
- बी पी एल कार्ड व राशन
- स्वास्थ्य
- नरेगा के कार्य, जॉबकार्ड बनाना
- शिक्षा
- सूचना अधिकार की जानकारी
- जाति, धर्म व स्त्री–पुरूष असमानमा के मुद्दे

उपरोक्त सभी मुद्दों पर गोष्ठियों में चर्चा की जाती है। महिलाओं को नई–नई जानकारियाँ दी जाती है ताकि वे ब्लॉक में जाकर विभिन्न योजनाओं का लाभ ले सकें। लगभग सभी गाँवों की महिलायें वर्ष में दो या तीर बार अल्मोड़ा में आयोजित की जाने वाली गोष्ठियों में जाती हैं। वहाँ पर महिलाओं से संबंधित विकास के मुद्दों पर चर्चा की जाती है।

संगठनों की शुरुआत में महिलायें स्वास्थ्य के बारे में ज्यादा जागरूक नहीं थीं। उन्हें छोटे बच्चों एवं स्वयं के टीकाकरण आदि का भी ध्यान नहीं रहता था। जब गाँवों में संगठनों की गोष्ठी हुई तो उन्हें स्वास्थ्य की जानकारी मिली। तब से गाँव में काफी परिवर्तन आया। अब, गर्भवती महिलायें आशा पद वाली कार्यकर्त्ता से संपर्क बनाये रखती हैं तथा समय पर टीकाकरण करवाती हैं। प्रसव हेतु 108 नम्बर (एम्बुलेंस) में फोन करके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जाती हैं तथा सुरक्षित प्रसव होने पर नंदा कन्या–धन योजना का लाभ लेती हैं। अपने शिशु का समय पर टीकाकरण करवाती हैं ताकि बच्चा स्वस्थ रहे। घर की ताजी हरी सब्जी, दूध, मठ्ठा, दालें व आयरन–युक्त भोजन खाती हैं। लड़का–लड़की में भेद को कम करने का प्रयास करती हैं। अब महिलायें स्वयं और बच्चे के स्वास्थ्य के प्रति काफी जागरूक रहती हैं। जब महिला स्वस्थ रहेगी तो खुश भी रहेगी।

आजकल महिलायें सचल चिकित्सा वाहन के आने पर अपनी जाँच करवाती हैं तथा स्वास्थ्य कार्ड और बी पी एल कार्ड के माध्यम से भी सरकारी अस्पतालों से लाभ लेती हैं। पहले दवा लाकर घर में रख देती थीं और दो–तीन माह बाद जब भी तबीयत खराब होती तो उसी दवा को खा लेती थीं। अब साक्षरता केन्द्र में जाकर उन्हें दवा की एक्सपायरी (मियाद खत्म होना) डेट का पता लगाना आता है। वे तारीख देखकर ही दवा खाती हैं। महिलाओं में स्वास्थ्य के प्रति काफी जागरूकता आई है। यह सब बदलाव उत्तराखण्ड महिला परिषद् व स्थानीय संस्था दन्याँ के सम्मिलित प्रयासों से आया है।

महिला साक्षरता एवं शिक्षण केन्द्र में भाषा ज्ञान

पुष्पा पुनेठा, पूनम, कमला, विनिता, सुनीता

महिला साक्षरता एवं शिक्षण केन्द्र में महिलाओं का भाषा ज्ञान बढ़ाने के लिए परिचय करने के बाद चित्रांकन करवाते हैं। चित्रांकन के माध्यम से महिलायें पैन पकड़ना सीखती हैं। बिना किसी दबाव के अपनी इच्छा से चित्र बनाते हुए महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ता है। इसके बाद बिन्दु–क्रम वाली कॉपी में काम करवाते हैं। चित्रांकन एवं बिन्दु–क्रम करने के बाद महिलाओं को स्वर, व्यंजन की पहचान और लिखने का अभ्यास करवाते हैं। महिलाओं को श्यामपट में सरल अक्षर लिखने को प्रोत्साहित करते हैं। जैसे–प, म, न, ज, र, ग आदि। साथ ही, चार्ट दिखाकर उन्हें अपने नाम के अक्षर ढूँढने को कहते हैं। महिलाओं को बिना मात्रा वाले शब्दों की पहचान करवाते हैं। अभ्यास पुस्तिका–एक से महिलायें दो अक्षर वाले शब्दों को पढ़ना–लिखना सीखती हैं। जैसे–नल, कल, चल, जल आदि।

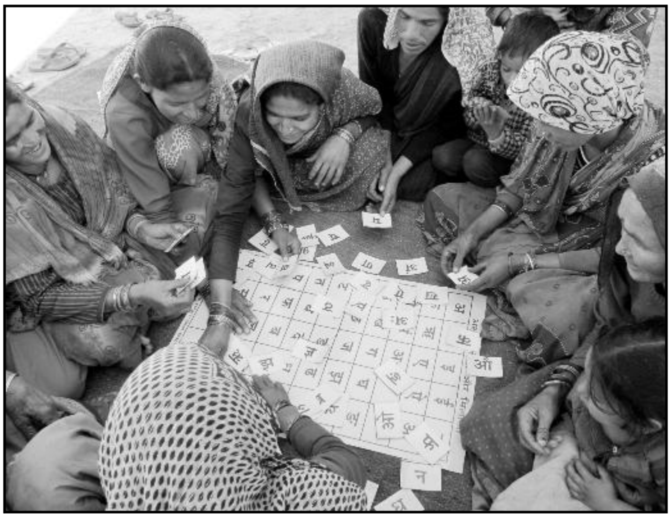

अभ्यास पुस्तिका–दो से महिलायें मात्राएं एवं मात्रा वाले शब्द लिखना सीखती हैं। जैसे–कमला, खाना, खाती, सुनीता, पानी, है आदि। मात्रा वाले शब्दों के साथ–साथ महिलाओं को सरल से कठिन शब्दों की ओर ले जाकर अभ्यास करवाया जाता है। इसके बाद छोटे–छोटे वाक्य बनाकर भाषा ज्ञान से सम्बन्धित कहानियाँ पढ़ते है। इसके बाद कहानी के उद्देश्य, कथानक और सीख पर महिलाओं के साथ चर्चा करते हैं। महिलाओं को सरल वाक्यों वाले पैराग्राफ लिखवाते हैं। साथ ही, महिलायें अपने परिवार के सदस्यों जैसे–बच्चों और गाँव, विकास खण्ड, जिला, पोस्ट ऑफिस आदि का नाम लिखने के कार्य में काफी रूचि लेती हैं। संयुक्त अक्षर सीखने एवं लिखने से भी महिलाओं का भाषा–ज्ञान बढ़ता है। जब महिलायें स्वयं ही छोटे–छोटे वाक्य लिखने लगती हैं उसके बाद उन्हें कठिन शब्द एवं संयुक्त अक्षर (जैसे–सदस्य, संगठन, स्कूल, संयुक्त, जुर्माना) वाले वाक्य लिखवाने का अभ्यास करवाया जाता है।

इसके बाद महिलायें अभ्यास पुस्तिका–तीन से संगठन के कोष का हिसाब–किताब लिखना सीखती हैं। महिलाओं को स्वास्थ्य सम्बधित जानकारी दी जाती है। पंचायतों में महिलाओं की भूमिका पर चर्चा करने से नेतृत्व के गुणों का विकास हो, इस उद्देश्य से शिक्षिका

काम करती है। पंच व ग्राम–प्रधान के कार्यों के बारे में बताने से महिलाओं की जानकारी भी बढ़ती है।

अभ्यास पुस्तिका–तीन से नरेगा एवं जॉब–कार्ड, सूचना का अधिकार और बेरोजगारी भत्ते से सम्बन्धित जानकारी दी जाती है। साथ ही, महिलायें बैंक से रूपये निकालना व जमा करने का फार्म भरना भी सीखती हैं।

इस कार्यक्रम से हम महिलाओं का शिक्षण करते हैं और उनकी सोच को विस्तार देते हैं। साथ ही, साक्षरता एवं शिक्षण केन्द्र में प्रार्थना, नारे, परिचय व चेतना गीतों के माध्यम से भाषा का विकास हो रहा है।

साल भर चलने के बाद केन्द्र में महिलाओं की प्रगति का मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन से महिलाओं की भाषा–संबंधी प्रगति का भी पता चलता है। साल भर में एक बार महिलाओं का क्षेत्रीय सम्मेलन किया जाता है। सम्मेलन में महिलायें प्रार्थना, नारे, चेतना–गीत व नाटकों का प्रदर्शन करती हैं। इस उत्साहपूर्ण कार्यक्रम से महिलाओं की भाषा के विस्तार का व्यापक रूप देखने को मिलता है। महिला साक्षरता एवं शिक्षण कार्यक्रम से मिली हुई सामग्री और प्रशिक्षण के माध्यम से महिलाओं की भाषा, खासकर लेखन–क्षमता, बढ़ती है। साथ ही, वे अक्षर एवं शब्दों को पहचानना सीखती हैं। इससे उनके दैनिक जीवन में सकारात्मक प्रभाव होते हैं।

ग्रामीण महिलाओं का संसार : एक झलक

सोनिया बिष्ट

मेरा नाम सोनिया बिष्ट है। मैं कक्षा सात में पढ़ती हूँ। मेरी उम्र ग्यारह साल है। मैं नयारघाटी क्षेत्र के हथनूड़ गाँव में रहती हूँ। मेरा जन्म एक ऐसे क्षेत्र में हुआ जहाँ लड़कियों की शिक्षा की ओर ध्यान नहीं दिया जाता। भाई को पढ़ने के लिए बाहर भेजते हैं लेकिन लड़कियों की पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते। मुझे दुःख इस बात का है कि जहाँ समाज में 'महिला सशक्तिकरण' की बातें होती हैं, वहाँ भी लड़का और लड़की के भेदभाव का अंतर नहीं मिट पाया है। फिर भी मैं खुश हूँ कि मेरी माँ, जो एक संघर्षशील व पढ़ी–लिखी महिला है, मेरा सहयोग करती है। मुझे धैर्य व ढाँढस देती है कि वह हमेशा मेरे साथ है। मैं एक खुले विचारों की लड़की हूँ लेकिन घर से बाहर नहीं बोल पाती। मेरे अंदर कुछ करने की क्षमता है पर कर नहीं पाती। इसी कमजोरी को देखते हुए मेरी माँ मुझे प्रेरित करती है और आगे बढ़ने को उत्साहित करती है।

जब हमारे गाँव में किशोरी संगठन बना तो मैं नौ साल की थी। मुझे खुशी थी कि मैं भी

किशोरी संगठन से जुड़कर आगे बढ़ूँगी। मेरी तमन्ना थी कि मैं किशोरी संगठन में जुड़ूँ और वहाँ से अल्मोड़ा जाने का सौभाग्य मिले। मैं समाज के बारे में बहुत कुछ सीखना चाहती थी। कुछ समय बाद हमारी संस्था से किशोरी संगठन का काम बन्द हो गया और मेरा सपना अधूरा रह गया। मुझे बहुत निराशा हुई। मैं सोचती थी कि यहाँ से मुझे आत्मविश्वास व आत्मबल जगाने के लिए सहयोग मिलेगा। फिर भी, माँ का मेरे साथ एक मजबूत रिश्ता है जो मेरे भविष्य के सपने सजाये हुए है। मैं आगे चलकर समाज सेविका बनना चाहती हूँ और लोगों को महिला अधिकारों के बारे में समझाना चाहती हूँ। भविष्य में इसी दिशा में मेरा अथक प्रयास रहेगा। हमारे गाँव में एक पुस्तकालय है, जहाँ मैं रोज पढ़ने और खेलने के लिए जाती हूँ। मैं इस केंद्र की जनरल मॉनीटर हूँ। पुस्तकालय में बड़े–बुजुर्ग व छोटे बच्चों के लिए पुस्तकें रखी गई हैं।

हमारे गाँव में महिला साक्षरता एवं शिक्षण केंद्र भी है। वहाँ पर महिलाओं को पढ़ने के साथ–साथ आत्मविश्वास, आशीर्वाद, सक्षम होने व आगे बढ़ने के लिए सहयोग तथा सामाजिक कार्यों में भाग लेने का साहस मिलता है। इस केंद्र में आने वाली कुछ महिलायें बिल्कुल निरक्षर थीं, उन्होंने भी अपना नाम लिखना सीखा। जब स्कूल में अभिभावक संघ की गोष्ठी हुई तो उन्होंने अँगूठा लगाने के स्थान पर स्वयं हस्ताक्षर किए। उन्हें बड़ी खुशी हुई और हमें भी गर्व हुआ। महिलाओं की उन्नति देखकर मन प्रसन्न हो गया।

अंत में सभी महिलाओं से यही विनती है कि वे अपनी बेटियों को बेटे से कम न समझें, बल्कि उनका मार्गदर्शन करें जिससे उन्हें आगे बढ़ने में सहयोग और नये मौके मिल सकें। जहाँ एक बेटा शिक्षित होता है वह अपने तक ही सीमित रहता है और जहाँ एक बेटी शिक्षित होती है, वहाँ पूरा परिवार शिक्षित होता है। साथ ही साथ समाज में वह अपनी छवि बनाती है। यह कथन मेरे दिल और दिमाग पर छाया रहता है। मैं इसे पूरा करने के लिए लगातार परिश्रम व संघर्ष करूँगी, ऐसी मेरी इच्छा है। मेरा महिलाओं से अनुरोध है कि अपनी खुशी को मत दबाओ। खुद को पहचानो और समाज में नारी शक्ति को जानो क्योंकि हर साक्षर नारी समाज की रीढ़ है।

अतः मेरा उत्तराखण्ड महिला परिषद् से निवेदन है कि वह हम जैसी बालिकाओं को सहयोग दे और समाज में महिला सशक्तिकरण को गहराई से मजबूती प्रदान करने के लिए आगे बढ़ने में मार्गदर्शन करे।

पैनखण्डा महिला परिषद्

हेमा पंवार

'जनदेश' संस्था विगत पन्द्रह वर्षों से चमोली जिले के दशोली व जोशीमठ विकासखण्ड में महिला संगठनों एवं किशोर/किशोरी ग्रुप के साथ मिलकर कार्य कर रही है। पहले संस्था ने दो–तीन वर्षों तक जोशीमठ विकासखण्ड के कुछ गाँवों में कार्य किया था। वर्तमान में पैनखण्डा महिला परिषद् के रूप में एक संगठन बनाया गया है। 2007 में परिषद् की शुरूआत एक बड़े संगठन के रूप में हुई थी। शुरूआत में परिषद् से कुल पचास–पचपन महिला संगठन जुड़े थे परंतु धीरे–धीरे एक सौ पाँच संगठन जुड़ गये हैं। इसमें से सौ महिला संगठन जोशीमठ विकासखण्ड से हैं तथा पाँच दशोली विकासखण्ड से हैं। परिषद् का नाम ''पैनखण्डा महिला परिषद्'' है जो हमारे विकासखण्ड की दो अलग–अलग पट्टियों, तल्ला पैनखण्डा व मल्ला पैनखण्डा, से मिलकर बना है। वर्तमान में संस्था अलग–अलग पट्टी के नाम से नहीं जानी जाती है, इसलिए फैडरेशन का नाम ''पैनखण्डा महिला परिषद्'' रखा गया है। पैनखण्डा महिला परिषद् का एक बैंक खाता है। उसका संचालन फैडरेशन की अध्यक्षा व कोषाध्यक्षा तथा संस्था की कार्यकारी सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों से होता है।

वर्तमान में इस खाते में पाँच लाख तीन हजार रुपये की धनराशि जमा है। इसमें से दो लाख सत्तर हजार रुपया गाँव की एस.एम.एन. ग्रुप व महिला संगठन की सदस्याओं ने ऋण में लिया है। पैनखण्डा महिला परिषद् में जो संगठन शुल्क जमा करते हैं, उन्हें फैडरेशन ऋण देती है। पैनखण्डा महिला परिषद् वर्ष भर में प्रत्येक संगठन से वार्षिक सदस्यता शुल्क के रूप में सौ रुपये लेता है। उसी संगठन को मदद दी जाती है जिसका सदस्यता शुल्क फैडरेशन में जमा हुआ है।

पैनखण्डा महिला परिषद् से जो सदस्याएं ऋण लेती हैं, वे उस धनराशि को ब्याज सहित अपने महिला संगठन में डेढ़ रुपये के ब्याज के आधार पर जमा करती हैं। हाल ही में फैडरेशन की बैठक में चर्चा हुई कि आय बढ़ाने हेतु ब्याज को फैडरेशन में जमा किया जाना चाहिए। जिससे फैडरेशन हर महिला संगठन को आजीविका बढ़ाने में मदद दे सके। वर्तमान में साठ संगठनों की महिलाओं ने फैडरेशन से खेती हेतु ऋण लिया है। आलू एवं राजमा के बीज, गाय खरीदने, दुकान चलाने, बेटी की शादी, मकान बनाने व घरेलू कार्यों के संचालन हेतु ऋण लिया जाता है। ऋण लेने की धनराशि महिलायें प्रार्थना पत्र में लिखती हैं। यह संगठन पर निर्भर है कि उस सदस्या को कितना ऋण देना चाहिए।

पैनखण्डा महिला परिषद् व जनदेश संस्था मिलकर संगठनों की क्षमता विकास हेतु आजीविका प्रशिक्षण, महिला अधिकार प्रशिक्षण आदि का आयोजन करते हैं। जोशीमठ विकास खण्ड के लगभग सभी संगठन सब्जी उत्पादन, दूध, राजमा, चौलाई, तुलसी माला, फूल माला व जड़ी–बूटी का कार्य करते हैं। इन कार्यों से महिलाओं की आजीविका बढ़ी है।

पैनखण्डा महिला परिषद् ने अपने क्षेत्र में अनेक प्रकार के सामाजिक कार्य किये हैं। जैसे–लगभग आज से चार साल पहले जोशीमठ विकासखण्ड में बाहरी राज्यों यथा हरियाणा, दिल्ली से शादी करने के लिए कुछ लोग गरीब घर की बेटी व अनुसूचित जाति के घरों से शादी करके ले जा रहे थे। शहर में वापस जाकर वे इन लड़कियों की शादी बूढ़े व्यक्तियों से कर रहे थे। इससे इन युवा लड़कियों को अनेक प्रकार की परेशानियाँ हो रही थीं। पैनखण्डा महिला परिषद् व जनदेश ने इसकी रिपोर्ट पुलिस थाने व पटवारी चौकी में दी। जिससे पाखी, जाख, बड़ागाँव आदि क्षेत्रों में इस तरह की घटनाओं पर रोक लगी। कुछ लोगों को जेल भी जाना पड़ा। अब जोशीमठ के किसी भी गाँव में ऐसी स्थिति नहीं है। शादी ब्याह में ससुराल पक्ष से भी जो लोग ज्यादा धन की माँग करते हैं, उस पर रोक लगाने का प्रयास किया गया है।

पैनखण्डा महिला परिषद् और जनदेश आपस में मिलकर गाँव में गरीब व विधवा महिलाओं की लड़कियों को स्कूल फीस, स्कूल बैग आदि देने में मदद करते हैं। साथ ही, लड़की के वयस्क होने पर अपनी ओर से बेटी की शादी के लिए थोड़ा–बहुत आर्थिक/सामाजिक मदद करते हैं। इसके साथ ही साथ "बेटी बचाओ" अभियान भी गाँव–गाँव में चलाया जा रहा है। जिसके अंतर्गत पैनीगाँव की महिला श्रीमती मुन्नी देवी व पाण्डुकेश्वर गाँव की श्रीमती सुमन देवी को राज्य स्तरीय "बेटी बचाओ अभियान पुरस्कार" से सम्मानित किया गया है।

इसके अलावा कुछ महिला संगठनों ने बैग बनाने का कार्य किया है। महिलायें बैग का विपणन करके आजीविका चलाती हैं व कुछ अपने घरों में प्रयोग करती हैं। पाण्डुकेश्वर में लागवगढ़, विनायकचट्टी व वामणी गाँव के लोग छः माह भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलने पर तुलसी की माला, टोकरियाँ आदि बनाकर बहुत अच्छी तरह से अपनी आजीविका चलाते हैं। साथ ही, मेरग गाँव, बड़ापैन गीरा, बाँसा, बड़गिन्डा, भैग, काणाकोट, देवग्राम आदि गाँवों के निवासी सेब व सब्जी का उत्पादन करते हैं।

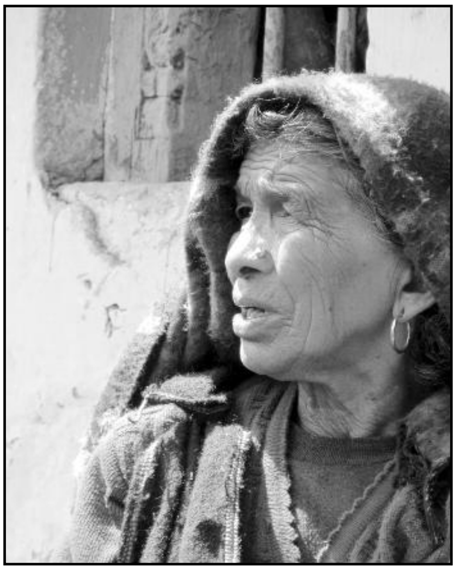

इसके अलावा पैनखण्डा महिला परिषद् अपने क्षेत्र में जागरूकता कार्यक्रम, महिला अधिकार, रोजगार गारंटी योजना, बालिका–शिक्षा, लड़की–लड़का का भेदभाव (असमानता) आदि मुद्दों की जानकारी महिला संगठनों को देता है। साथ ही, परिषद् ने विभिन्न सरकारी योजनाओं जैसे–विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, जनश्री योजना, गौरा देवी कन्याधन आदि कार्यक्रमों का लाभ अपने क्षेत्र में दिलवाया है।

साक्षरता एवं शिक्षण केन्द्र की कहानी

मीरा नेगी, कमला शर्मा, सुनीता डसीला, यमुना मेहता

एक गाँव था। उस गाँव में तीस परिवार रहते थे। गाँव में राधा नाम की एक महिला रहती थी। एक बार वह अपने मायके के गाँव में गयी। वहाँ पर महिला साक्षरता एवं शिक्षण केन्द्र चल रहा था। वह केन्द्र में गयी और जानकारी ली। साक्षरता एवं शिक्षण केन्द्र की शिक्षिका ने बताया कि उनके क्षेत्र में एक संस्था कार्य करती है। संस्था के माध्यम से क्षेत्र में चार साक्षरता एवं शिक्षण केन्द्र चलते हैं। इन केन्द्रों में महिलाओं को चित्रांकन, बिन्दु–क्रम, अंक–ज्ञान, भाषा–ज्ञान आदि गतिविधियाँ करवायी जाती हैं। साथ ही, महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दों पर जानकारी दी जाती है। राधा ने कहा कि वह भी ऐसा ही एक केन्द्र अपने ससुराल के गाँव में खोलना चाहती है। उसने शिक्षिका से पूछा कि उसे केन्द्र खोलने के लिए कहाँ पर सम्पर्क करना होगा? साक्षरता एवं शिक्षण केन्द्र की शिक्षिका ने राधा को बताया कि वह अपने क्षेत्र की संस्था से सम्पर्क करके तथा गाँव की सहमति लेकर केन्द्र खोल सकती है।

राधा अपने ससुराल में वापस पहुँची। उसने गाँव के महिला–पुरूषों से साक्षरता एवं शिक्षण केन्द्र के संबंध में बातचीत की। सभी ग्रामवासी केन्द्र खोलने को तैयार हो गये। गाँव की कुछ महिलायें उस क्षेत्र में कार्य कर रही संस्था के कार्यकर्त्ताओं के पास गयीं तथा उनसे गाँव में साक्षरता केन्द्र खोलने की माँग की। फिर संस्था के माध्यम से राधा के गाँव में साक्षरता एवं शिक्षण केन्द्र खोला गया। उसमें तीस महिलाओं ने नामांकन करवा लिया।

राधा पढ़ी–लिखी स्त्री है। सभी ग्रामवासियों ने मिलकर उसे शिक्षिका चुन लिया। गाँव में महिला संगठन भी बना। शिक्षिका को प्रशिक्षण के लिए उत्तराखण्ड महिला परिषद् अल्मोड़ा में भेजा गया। वहाँ से महिलाओं के लिए शिक्षण–सामग्री भी आयी। अब राधा अपने गाँव में नियमित रूप से साक्षरता एवं शिक्षण केन्द्र चलाती है। तीस महिलायें केन्द्र में आती हैं। महिलाओं को गिनती और भाषा सीखने में काफी रूचि है। उनके गाँव में खुशहाली का माहौल है। महिलाओं को उनके अधिकारों के विषय में जानकारी दी जाती है जिससे आत्म–विश्वास बढ़े और संगठन भी मजबूत बना रहे। केन्द्र में महिलाओं को विधवा–पेंशन, राशन–कार्ड, जॉब–कार्ड, सूचना का अधिकार प्रयोग करने के लिए आवेदन–पत्र भरना एवं अन्य विषयों पर जानकारी दी जाती है। साक्षरता एवं शिक्षण कार्यक्रम में हिस्सा लेने से उनकी खुद की पहचान बनी है और महिलाओं की खुशी व मेल–जोल भी बढ़ गया है।

किशोरियों में आया बदलाव

कमला जोशी

मैंने सन् 2001 में बालवाड़ी का काम शुरू किया। सबसे पहले दन्याँ गाँव में बालवाड़ी चलाई। गाँव में बच्चों के साथ काम करना अच्छा लगा। छोटे–छोटे बच्चों ने बालवाड़ी कार्यक्रम में काफी रूचि ली। गाँव और संस्था के प्रति जुड़ाव हुआ। घर से भी कोई रोक–टोक नहीं थी। धीरे–धीरे स्वयं का आत्मविश्वास बढ़ा। परिवार से भी ज्यादा गाँव के महत्व को समझा। मैंने दन्याँ, मुनौली, रुवाल, डसीली गाँवों में बालवाड़ी चलाई।

सन् 2012 में किशोरी संगठन का काम शुरू किया। दस गाँवों जैसे कोट्युड़ा, थली, कुलौरी, दन्याँ, ज्योशूड़ा एवं जी जी आई सी व बालिका इण्टर कालेज दन्याँ में काम करने का अनुभव हुआ। पहले किशोरियाँ गोष्ठी में नहीं आती थीं। बार–बार गोष्ठियों के आयोजन करने व विद्यालयों में जाने से किशोरियों के अनुभव बढ़े। बार–बार उनके घर में जाकर अभिभावकों को समझाया। पहले से किशोरियों को कक्षा पाँच और आठ से आगे नहीं पढ़ाया जाता था। जब से संगठन बना, किशोरियाँ काफी उत्साह व जागरूकता के साथ आगे बढ़ीं। उन्होंने पढ़ाई के महत्व को समझा और अपने अधिकारों को जाना। इससे उनकी स्वयं निर्णय लेने की क्षमता बढ़ी है।

आज किशोरियाँ आगे की पढ़ाई के लिए घर से बाहर जा रही हैं। जब हम संस्था से जुड़े हुए कार्यकर्त्ता गाँवों में जाते हैं तो पहले और आज की स्थिति को देखकर हमारा उत्साह बढ़ता है। कुछ आगे काम करने की इच्छा होती है। विद्यालयों में अध्यापक भी किशोरी कार्यशालाओं की काफी सराहना करते हैं। साथ ही, हमारा और किशोरियों का उत्साहवर्धन करते हैं।

शुरूआत में जब संस्था में आवासीय शिविर होता था तब कई परिवार किशोरियों को भेजने के लिए राजी नहीं होते थे। धीरे–धीरे किशोरियों व उनके माता–पिता को समझाने पर सभी सहमत हो गये। आवासीय कार्यशालाओं के बाद लड़कियों का उत्साह बढ़ा। किशोरियों को पहली बार घर से बाहर निकलने का मौका मिला। अब किशोरियाँ घर से बाहर जा रहीं हैं। संस्था व विद्यालयों में कार्यशाला करने से काफी उत्साह आया है। आज क्षेत्र की किशोरियाँ गोष्ठी में स्वयं ही आ जाती हैं। वे हर काम में आगे रहती हैं। किशोरियों की पढ़ाई का स्तर बढ़ा

है। खेलने में भी लड़कियाँ झिझकती नहीं है और स्वयं नये–नये खेल करवाती हैं। चेतना गीतों के द्वारा भी उनका उत्साह बढ़ा है।

इन कार्यशालाओं का जितना असर किशोरियों पर हुआ उससे कही ज्यादा हमारी निजी जिंदगी में है। धीरे–धीरे किशोरियों के साथ मिलकर बातचीत करने से हम सभी संस्था कार्यकर्त्ताओं के अनुभव बढ़े। अल्मोड़ा में किशोरी प्रशिक्षण के दौरान काफी जानकारी मिली। किशोरी कार्यक्रम का ढाँचा व मुद्दे समझने की क्षमता आई। विद्यालयों में अध्यापकों से अपनी बात कहने का मौका मिला। जब से मैं किशोरी संगठन से जुड़ी, खुद मेरा आत्मविश्वास बढ़ा। नयी–नयी जानकारी प्राप्त हुई।

मेरा तो संस्था के प्रति काफी लगाव व जुड़ाव है। गाँव के लोग भी काफी जागरूक हुए हैं। हम सभी किशोरी संगठन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। गाँव व विद्यालय के साथ–साथ अपना भी विकास हो रहा है। विद्यालयों में कार्यशाला करने से किशोरियाँ अपनी साफ–सफाई पर विशेष ध्यान दे रही हैं। खुलकर अपनी बातें आगे बढ़ाकर उन्नति करने की कोशिश कर रही हैं। जब हम गाँवों में जाते हैं तो किशोरियाँ खुद गोष्ठी में आती हैं। अपनी बातें कहती है, उनमें खुलापन आ रहा है।

पहले विद्यालयों में किशोरी कार्यशाला करनी होती थी तो मैं सोचती थी कि कैसे इस काम को कर पाऊँगी? बार–बार किशोरी कार्यशाला करने से अध्यापकों ने भी सहयोग दिया। विद्यालयों के प्रधानाचार्य व संस्था से भी काफी सहयेाग मिला। किशोरियों के साथ काम करने की हमारी रुचि बढ़ी। अब हमें विद्यालयों में कार्यशाला करने में कोई परेशानी नहीं हो रही है। जब हम विद्यालयों में कार्यशाला के लिए जाते हैं तो सबसे पहले प्रधानाचार्य जी से मिलते हैं। उनके सहयोग से हमारा मनोबल बढ़ता है। किशोरी कार्यक्रम लड़कियों व हम सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण विषय है।

31. किशोरी संगठन बाजन

लीला मठपाल

बाजन एक बड़ा गाँव है। वहाँ पर साठ परिवार रहते हैं। गाँव में महिला संगठन की सदस्याओं में काफी एकता है। सन् 1996 में महिला संगठन बना। महिला संगठन के सहयोग से ही बालवाड़ी खुली। तीन से छः वर्ष की उम्र के सभी बच्चे रोज बालवाड़ी में आते थे। बच्चे काफी खुश रहते थे। कुछ समय बाद बालवाड़ी बंद हो गई। फिर वहाँ संध्या केन्द्र खुला। पाठ्यक्रम बदला, गणित में कमजोर होने के वजह से शिक्षिका को बदलने के लिये कहा लेकिन टेस्ट में बैठने के लिये उस गाँव का कोई भी लड़का या लड़की तैयार नहीं हुए। इस वजह से बाजन में संध्या केन्द्र बंद हो गया। बहुत समझाने पर भी कोई लड़की संध्या केन्द्र चलाने को तैयार नहीं थी। वे टेस्ट में बैठने से बहुत डरती थीं। दो साल तक संध्या केन्द्र बंद रहा।

उसके बाद गाँव में किशोरी संगठन बनाया गया। बाजन में एक जनवरी से पाँच जनवरी 2012 तक किशोरियों के लिए आवासीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में काफी लड़कियों ने भाग लिया। जब हमने उनके घर–घर जाकर माताओं से बात की तो उन्होंने शर्त रख दी कि लड़कियाँ रात को सोने के लिए घर वापस आयेंगी। हमने उन्हें समझाया कि वहाँ अन्य गाँवों की लड़कियाँ भी आयेंगी। साथ ही, अल्मोड़ा से प्रशिक्षक दीदी और हम संस्था के कार्यकर्त्ता भी वहाँ पर रहेंगे। लेकिन वे राजी नहीं हुई। इस तरह बाजन गाँव की किशोरियाँ सोने के लिए घर ही वापस गईं।

कार्यशाला के पहले दिन छब्बीस किशोरियाँ उपस्थित थीं। बाजन की लड़कियाँ शाम के समय भैंस का दूध निकालने के लिए घर जाती, फिर भोजन करने स्कूल में आतीं और पुनः सोने के लिए अपने घर वापस जातीं। वे दो दिन तक अपने घर गयीं लेकिन तीसरे दिन से कार्यशाला का माहौल व अन्य लड़कियों को देखकर उनका मन भी वहीं रहने को हुआ। इसके बाद बाजन गाँव की लड़कियाँ सभी के साथ आवासीय शिविर में रहने लगीं। कार्यशाला में जो कुछ उन्होंने सीखा उसे अपने घर में बताया।

हम संस्था के कार्यकर्त्ता हर महीने गाँव में गोष्ठी के लिए जाते हैं। हमने महिला संगठन की गोष्ठी में संध्या केन्द्र के बारे में बातें कीं। सभी ग्रामवासी संध्या केन्द्र खोलना चाहते हैं। किशोरियों से कहा कि वे परीक्षा में बैठें, जो उसमें चुना जायेगा, वही संध्या केन्द्र चलायेगा। इस बार किशोरी संगठन बनने से लड़कियों में परिवर्तन हुआ। दस लड़कियाँ परीक्षा देने को तैयार हो गईं। आज गाँव में दोबारा संध्या केन्द्र खुल गया है और किशोरी संगठन भी काफी अच्छा बन गया है। क्षेत्र में लगभग दो सौ तीस किशोरियाँ हैं। हर महीने की पन्द्रह तारीख को गोष्ठी होती है। सभी किशोरियाँ गोष्ठी में आती हैं एवं विषयों को ध्यान से सुनती हैं।

समय से सहमी किशोरियाँ

मीरा नेगी

नयारघाटी ग्राम स्वराज्य समिति, बाडियूँ के सहयोग से ग्राम हथनूड़ में एक पुस्तकालय चलाया जा रहा है। पुस्तकालय की संचालिका नीलम हैं।

एक दिन शिवानी, सुषमा, रूपा एवं कुछ अन्य किशोरियाँ आपस में कानाफूसी कर रही थीं। संचालिका सभी से काफी घुलीमिली है। विशेष रूप से लड़कियों को समझाने और बातें करने में दोस्त की तरह ही व्यवहार करती है। संचालिका ने कानाफूसी का कारण पूछा कि उससे छिपकर क्या बातें हो रही हैं? शुरू में तो लड़कियों ने कुछ नहीं बताया लेकिन पीछे से सुषमा, शिवानी को कोहनी मारते हुए धीरे से कुछ बोली। नीलम ने पुनः कारण पूछा तो शिवानी ने धीरे से कहा कि वे रोज टीवी में देख रही हैं कि पाँच–सात वर्ष की छोटी–छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हम लड़कियाँ कुछ नहीं कर सकतीं? पुनः सहमे हुए अंदाज में लेकिन बड़े भोलेपन से रूपा कहने लगी कि ''दीदी या कुण क्यी किबात नींच (इसके लिए कोई किताब नहीं है)?''

तभी सुषमा तपाक से बोली कि जैसे पुलना बोर्ड स्कूल में अल्मोड़ा से आई दीदी के साथ हम लड़कियों की बातचीत हुई थी, खेल हुआ था और अपनी–अपनी जिंदगी की बातें हुई थीं, वैसे ही लड़कियों का संगठन बनाकर इस मुद्दे पर खूब चर्चा होनी चाहिए। हमारे साथ हिंसा की घटना न हो, ऐसी ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है? उस समय तो नीलम ने हाँ कहते हुए किशोरियों के सवालों को टाल दिया लेकिन शाम को अपने पति से इस बात पर चर्चा की। उन्होंने सुझाव दिया कि तुरंत ही संस्था में जाकर इस मुद्दे पर बात करनी चाहिए। नतीजतन् एक मई, 2013 को संस्था की मासिक गोष्ठी में इस बात पर चर्चा हुई। गोष्ठी में आई हुई सभी प्रतिभागियों को लगा कि वास्तव में महिला के प्रति हिंसा आज के समय की सबसे बड़ी समस्या है। सभी की यह राय थी कि इस विषय पर उत्तराखण्ड सेवा निधि अल्मोड़ा में चर्चा हो। इसीलिए यह लेख लिख रही हूँ।

पूरे हिंदुस्तान में किशोरियाँ सहमी हुई हैं। जो बड़ी लड़कियाँ इस मुद्दे को समझती हैं, उन्हें तो कुछ समझाया या सिखाया जाये। छोटी बच्चियाँ इन बातों से अनभिज्ञ हैं। उनकी उम्र मात्र सात–आठ साल की है, उन्हें क्या समझाया जाये? बहरहाल जो कुछ भी हो, आज किशोरियाँ यूँ ही सहमी हुई नहीं हैं। यह बात आसान नहीं है। इस मुद्दे पर कुछ न कुछ काम करने की आवश्यकता तो है ही। हम कब तक यूँ ही एक दूसरे का मुँह ताकते रहेंगे?

महिला संगठन कोड़ा

भगवती तिवारी

'सीड' संस्था के तत्वाधान में ग्राम सभा रणा में महिला संगठन बना। रणा गाँव का ही एक तोक कोड़ा है। कोड़ा अपने आप में रेवेन्यू गाँव भी है। इस गाँव की खेती, पानी, जंगल भी रणा से अलग है। सन् 2002 में कोड़ा गाँव में महिला संगठन बना। संगठन बनने से पहले महिलायें बिखरी–बिखरी सी थीं। सभी अपने–अपने कामों में व्यस्त रहती थीं। संगठन बनने के बाद महिलाओं ने सबसे पहले एकता की। मिलजुलकर गाँव के रास्ते साफ किए, नौले साफ किए, जंगलों की छानबीन की, खेतों की मुक्त–चराई पर रोक लगायी। इन सभी कार्यों को करने से महिलाओं को बहुत ही सुविधा हुई। महिलाओं को खुश देखकर पुरुषों ने भी सहयोग दिया, इससे महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ा।

अपने जंगलों को बढ़ाने के लिए महिलायें दो किमी दूर काण्डे गाँव से श्रमदान में बाँज के पेड़ लायीं और स्वयं गड्ढे खोदकर वृक्षारोपण किया। दो साल तक रणा नर्सरी से पौधे ले जाकर वृक्षारोपण किया गया। उन पौधों की सुरक्षा के लिए जंगलों को बंद करवाया गया। सभी ने मिलकर जानवरों की मुक्त–चराई पर रोक लगायी। दूसरे गाँव के जानवरों के चरान पर भी रोक लगाई गई। औपचारिक चौकदारी के बिना सामाजिक सहयोग से जंगलों की सुरक्षा हुई। गाँव के ऊपर जंगल में कुछ चाल–खाव भी खोदे गए। गर्मी के मौसम में आग लगने पर सभी ग्रामवासियों ने मिलकर आग बुझाई और जंगलों को बचाया। नवम्बर माह में घास कटाई भी सभी ग्रामवासी मिलकर करते हैं। घास को काटने और बाँटने का ढंग बहुत ही अच्छा है।

गाँव में पानी के लिए एक नल है। गाँव के बीच के नौले को साफ करके उसमें भी नल लगाया गया है। सभी उसी नौले से पानी भरते हैं। इस नल से दिन का पानी कहीं और चला जाता है। सुबह तक नौला भरा रहता है। इस तरह सभी ग्रामवासियों को पर्याप्त पानी मिलता है। कुछ पानी रणा गाँव से दिया गया है। जानवरों के लिए भी पर्याप्त मात्रा में पानी हो जाता है। यहाँ पर एक खाव भी बनाया गया है। गाँव में जल–जंगल–जमीन के संरक्षण से संबंधित व्यवस्थाएँ महिलाओं ने स्वयं बनायी हैं।

शुरुआत में बीस रुपये प्रति सदस्या के अनुसार कोष जमा किया गया। संगठन की सदस्याओं ने होली, शादी–विवाह में प्राप्त पुरस्कारों को कोष में जमा करके उस धनराशि से गाँव के लिए आवश्यक सामग्री खरीदी। पहले शादी–विवाह या अन्य किसी काम में दूसरे गाँवों से बर्तन, चाँदनी–कनात आदि सामान लाते थे। अब संगठन ने स्वयं यह सामान खरीद लिया है।

गाँव से बाहर रहने वाले लोग कोड़ा में आये तो उन्होंने संगठन को देखा। सभी बहुत

खुश हुए। दिल्ली समिति ने संगीत का सामान जैसे ढोलक, चिमटी, मजीरा, हारमोनियम, तबला तथा चाय रखने का बर्तन (हॉट–पॉट) महिला संगठन को पुरस्कार के रूप में दिया। इस सहयोग से महिलायें बहुत खुश हुईं। उन्होंने स्वयं कोष के पैसे से भी बड़े डेग, टब, ड्रम, दरी, चाँदनी आदि सामान खरीदा। इससे गाँव में सभी को सुविधा हो रही है।

संगठन बन जाने के बाद गाँव में सभी ग्रामवासी बच्चों का जन्मदिन मनाने लगे हैं। हर माह तीन तारीख को महिला संगठन की गोष्ठी होती हैं। गोष्ठी में पुरुष भी आते हैं। गाँव के किसी भी शादी–विवाह में महिलायें रास्तों की सफाई करने जाती हैं। शादी वाले परिवार के काम में भी हाथ बँटाती हैं। सभी काम मिलजुल कर करती हैं।

पिछले वर्ष जंगल में आग का काफी आतंक हुआ। गाँव के चारों ओर से जंगल में आग लग गयी। ग्रामवासियों ने मिलकर आग बुझाई और गाँव को बचा लिया। सभी महिला–पुरुष मिलकर कार्य करते हैं। इस तरह, कोड़ा गाँव का संगठन निरंतर प्रगति कर रहा है।

गल्ला गाँव की झलक सबसे अलग

महेश गलिया, बची सिंह बिष्ट

नंदा पत्रिका के पिछले अंक (2012) में हमने 'अंधकार से प्रकाश की ओर' शीर्षक से एक लेख लिखकर गल्ला गाँव की चर्चा की थी। प्रारम्भ में कार्य की स्थिरता और दूरगामी परिणामों को लेकर स्पष्ट मार्गदर्शन देने वाला कोई नहीं था। ऐसा नहीं कि गल्ला और उसके आसपास के गाँवों में विकास के उपक्रम नहीं हुए हों। यूँ तो राजधानी देहरादून से दो गैर–सरकारी संगठनों ने यहाँ अपना बसेरा किया। साथ ही, स्थानीय स्तर पर भी कई संस्थाएं सक्रिय रहीं पर ग्रामवासियों के दृष्टिकोण और तमाम संस्थाओं के विचारों में तालमेल नहीं बन पाया।

गल्ला गाँव में स्थानीय ग्रामवासियों के प्रयासों के तहत लंबे समय से फल–पौधशाला द्वारा बागवानी के तहत गुणवत्ता में सुधार, पलायन रोकने के लिए स्वावलंबी आजीविका के साधन खड़े करने के प्रयास तथा आजीविका से जुड़े जल–जंगल एवं जमीन को सुरक्षित एवं संरक्षित रखने के प्रयास जारी रहे हैं।

उत्तराखण्ड सेवा निधि पर्यावरण शिक्षा संस्थान अल्मोड़ा के सहयोग से स्थानीय नवयुवकों को चमोली, टिहरी, चंपावत, बागेश्वर, पिथौरागढ़ एवं अल्मोड़ा जिलों में किये जा रहे वैज्ञानिक समझ वाले प्रायोगिक कृषि–संबंधी कार्यों को देखने का अवसर मिला। उसी प्रेरणा का

परिणाम है कि गल्ला गाँव के प्रकृति–संरक्षक कृषि/बागवानी के काम को निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। कृषि–बागवानी के कार्यों का केन्द्र बन रहे गल्ला गाँव को दूर से भी रात में सी एफ एल की रोशनी तथा दिन में सोलर हीटर की छतरी की चमक से पहचाना जा सकता है।

गाँव में कुरमुला कीट का आतंक बना हुआ था। स्थानीय कृषि रक्षा इकाई के उद्यान सचल दल के द्वारा उपलब्ध करवायी गयी जैड 78 एवं 10 फॉरेट जैसी घातक कीटनाशी दवाएँ भी यहाँ बे–असर रहीं। इन दवाइयों से मिट्टी, पानी, हवा तो प्रदूषित हुई परंतु किसानों की समस्या का हल नहीं हुआ। किसानों को समाधान मिला, उत्तराखण्ड सेवा निधि पर्यावरण शिक्षा संस्थान के सहयोग से प्राप्त बीएल कुरमुला ट्रैप से। यह बहुउपयोगी यंत्र है, इसीलिए लोग जरूरत के अनुसार ही इसका प्रयोग कर रहे हैं।

गाँव में पानी की बहुत कमी है। हर परिवार का काफी समय व श्रम रोज की जरूरत भर का पानी जमा करने में लग जाता है। पहले गाँव में पच्चीस सीमेंट की पक्की टंकियों का निर्माण हुआ था। जल–संग्रह के लिये उपयोग करने हेतु एक लाख पचास हजार लीटर पानी को संरक्षित करवाया गया था, लेकिन उच्च लागत से बने ये पक्के टैंक सूखे गाँवों में धन की बर्बादी का नमूना बन गए। अब "निकरा परियोजना" से पचास पॉलीथीन टैंकों का निर्माण बरसाती पानी जमा करने के लिए किया गया है। अधिकांश टैंक घरों के पास ही बने हैं। कुछ टैंक घर से दूर खेतों के बीच में भी बनाये गये हैं। बहते पानी को रोककर पाँच से दस लाख लीटर पानी का उपयोग कृषि बागवानी में हो रहा है। गल्ला के कृषकों के पास सूखे समय में भी उपयोग करने के लिए अपना कोष जमा है।

वन बचाने का काम तभी संभव है जब लोगों को उसका शाश्वत विकल्प मिले। ऐसा एक प्रयास सौर ऊर्जा से भोजन बनाने वाली "सोलर हीटर छतरी" के रूप में किया गया है। हमने इस यंत्र का एक नमूना उत्तराखण्ड सेवा निधि पर्यावरण शिक्षा संस्थान, अल्मोड़ा के परिसर में देखा था। इसी से प्रेरित होकर किसानों ने खुद इसे पाने के लिए प्रयास किया और सफलता पाई। यह यंत्र चालीस प्रतिशत परिवारों ने अपनाया है। सोलर छतरी से समय व ईंधन दोनों की बचत हो रही है। जंगलों पर लकड़ी के लिए दबाव घटा है। प्लास्टिक के अस्तर वाले टैंक न्यूनतम लागत में अधिकतम लाभ देने वाले सिद्ध हुए हैं। इसमें स्थानीय सहयोग अधिकतम है। इन सब कार्यों को चलाने और अनुश्रवण करने के लिये ग्राम महिला संगठन एवं जनमैत्री की

स्थानीय कृषक टोली बनी है। यह समुदाय के द्वारा अपनाया गया वह प्रयास है जिसमें विचार व कार्य एक ही दिशा में हो रहे हैं।

गाँव में पौधाशालाएं बनी हैं। उसका संचालन स्वयं करने में ग्राम की मानव शक्ति सक्षम है। सोलर कुकर, जल संरक्षण हेतु पॉलीथीन–टैंक, कुरमुला–ट्रैप को लोग स्वयं ठीक से संचालित कर लेते हैं। गल्ला गाँव के इर्द–गिर्द के गाँव सूपी, तल्ला, देवटॉडा, भटेलिया, काफली, किरोड़, सतबूंगा, पाटा, लोद, दुकानेधार आदि गाँव भी महिला संगठनों के प्रयत्नों से जुड़कर अनेक प्रकार की सामाजिक एवं पर्यावरण संरक्षण से संबंधित गतिविधियों को अपना रहे हैं।

बागवानी में नींबू, कागजी नींबू, माल्टा, कीवी के प्रयोग बढ़ाये गए हैं तथा परम्परागत कृषि–यंत्रों के अलावा शारीरिक श्रम में कमी लाने वाले नये कृषि–यंत्र प्रयोग के रूप में इस्तेमाल हो रहे हैं। मौनपालन नये प्रयोग में है क्योंकि ग्रामीणजनों ने कीटनाशकों और रासायनिक खादों के स्थान पर परम्परागत खादों का महत्व समझा है। वे स्वयं कम्पोस्ट खाद बनाने के प्रयोग कर रहे हैं।

ऐसे उत्साहनजक माहौल में यह बात गौण है कि तमाम गतिविधियों की लागत क्या रही? यह महत्वपूर्ण है कि जलवायु परिवर्तन के विश्वव्यापी प्रभावों के बीच गल्ला गाँव ने किस तरह उससे निपटने की तैयारियाँ की हैं और गाँववासी एक दूसरे से सीखते हुए स्वयं खेतीबाड़ी का काम बदल रहे हैं। यह बहुत बड़ा कदम नहीं भी कहा जाये तो भी इतना निश्चित है कि लोगों की आजीविका को स्थायित्व देने तथा सीमांत कृषक समुदाय को आने वाले समय के लिए विचार व कौशल–युक्त बनाने का यह प्रयास अपने आप में एक अनूठा अभिक्रम है। इसमें वैज्ञानिक सोच है, प्रेरणा है, पुरुषार्थ है और सबसे अधिक महत्वपूर्ण है लोगों की जागरूकता और सीखने की चाह। इसी विचार से गल्ला गाँव की पहचान बन पाई है।

बागवानी को आगे बढ़ाने का प्रयास

पीताम्बर गहतोड़ी

लगभग बीस वर्ष पहले पाटी क्षेत्र के निवासी, बागवानी से अपनी आजीविका चलाते थे लेकिन आज यहाँ पर सेब की प्रजाति सिर्फ दो प्रतिशत रह गयी है। प्लम, खुबानी, नींबू की प्रजाति दस से पन्द्रह प्रतिशत तक ही रह गई है। फलदार वृक्षों के कम होने का मुख्य कारण प्रशिक्षण का ना होना, उद्यान विभाग द्वारा सही पौधों का ना मिलना तथा कटाई–छँटाई पर ठीक तरीके से ध्यान न देना ही रहा।

क्षेत्र में बागवानी को पुर्नजीवित करने का प्रयास पम्तोला ग्राम, विकासखण्ड पाटी, के निवासी श्री चिंतामणि भट्ट जी ने किया है। उन्होंने सन् 2005–06 में पेड़ों के लगभग चार सौ पौधे लगाये। प्रशिक्षण न होने के कारण उन्हें चालीस प्रतिशत तक सफलता मिली। उन्होंने पच्चीस पौंध कीवी की लगाई, इसमें पूर्ण सफलता मिली।

वर्ष 2008–09 में उत्तराखण्ड सेवा निधि अल्मोड़ा के सहयोग से बागवानी कार्यक्रम शुरू करने का प्रयास किया। जिसमें सूपी, ग्राम गल्ला, रामगढ़ के निवासी श्री महेश गलिया जी एवं श्री बची सिंह बिष्ट जी के सहयोग से बीस–पच्चीस युवाओं की एक गोष्ठी तोली गाँव में की गयी। श्री गलियाजी द्वारा सेब, आड़ू की प्रदर्शनी लगायी गयी। पन्द्रह युवाओं ने गल्ला गाँव में जाकर श्री महेश गलिया जी से पाँच दिवसीय प्रशिक्षण लिया। तत्पश्चात् उत्तराखण्ड सेवा निधि ने पछहत्तर प्रतिशत अनुदान देकर गल्ला रामगढ़ से युवाओं को सेब और आड़ू के सौ–सौ पौंधे वितरित किए। पन्द्रह युवाओं ने बागवानी करने का प्रयास किया।

इस कार्यक्रम में मैं स्वयं शामिल था। हमेशा से मेरा यही उद्देश्य है कि पहले स्वयं काम करके दिखाओ तभी दूसरों को समझा सकोगे। मेरे अलावा आसपास के तीन–चार गाँवों के अन्य लोग जैसे–श्री चिंतामणी, हेम चंद्र, रमेश चंद्र, सुरेश चंद्र, नारायण दत्त, नवीन चंद्र, मनोज भट्ट, हरिनन्दन गहतोड़ी, किशोर चंद्र, जीवन चंद्र आदि ने बागवानी का कार्य शुरू किया। अब इन पेड़ों में चार वर्ष में आड़ू का फल पैदा होने लगा है। पिछले वर्ष कुछ लोगों ने आड़ू की दो–चार पेटी बेची तथा सेब के पेड़ों में भी इस वर्ष कुछ फल देखा गया है। इस कार्यक्रम में संस्था द्वारा प्रतिवर्ष पेड़ों की कटाई–छँटाई एवं आलू की पौध में दवा का छिड़काव किया जाता है।

इससे पूर्व आजीविका सुधार कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण समिति पाटी के बैनर तले उत्तराखण्ड सेवा निधि अल्मोड़ा के मार्गदर्शन एवं आर्थिक सहयोग से पानी का संरक्षण कर मत्स्य पालन किया गया। पानी को एकत्रित करके मछली पालन के साथ–साथ नमी संरक्षण, पानी का सही उपयोग, सब्जी उत्पादन, कृषि बागवानी का कार्य किया जाता है। इसके साथ ही मौन–पालन, मुर्गी–पालन एवं सब्जी उत्पादन का कार्य भी किया गया है। इस कार्यक्रम को देखने के लिए जिला एवं ब्लॉक स्तर के अनेक अधिकारियों के अलावा माठबेलिया के प्रतिनिधि सिक्किम से एक दल, पत्रकार स्व. श्री मनोहर श्याम जोशी, आस्ट्रेलिया, अमेरिका आदि देशों से शिक्षाविदों एवं पर्यावरणविदों के दल एवं अन्य कई नामी व्यक्तियों ने गाँवों का भ्रमण किया। इस कार्यक्रम में क्षेत्रीय निवासी भी रुचि रखते हैं।

बागवानी का काम बढ़ाने से शहरों की ओर युवाओं का पलायन कम होगा। इस प्रकार के कार्यक्रमों को करने के लिए संस्था को इस वर्ष भूमि जल बोर्ड दिल्ली द्वारा ₹ 1,00,000 (एक लाख रुपये) का पुरस्कार एवं प्रशस्त्री पत्र भी दिया गया है। साथ ही संस्था एवं स्वयं मुझे कई अन्य पुरस्कार प्राप्त हुए हैं।

साक्षरता एवं शिक्षण कार्यक्रम के शैक्षणिक तरीके

केदार सिंह कोरंगा, लक्ष्मी चौहान
गीता रावत, सुनीता जोशी, गीता नेगी

अपने गाँव में साक्षरता एवं शिक्षण कार्यक्रम शुरू करने से पहले हमने उत्तराखण्ड महिला परिषद् से साक्षरता एवं शिक्षण कार्यक्रम की जानकारी ली। गाँवों में महिलाओं को साक्षर बनाने के लिए किस तरह कार्य किया जाये, इसका प्रशिक्षण लिया। प्रशिक्षण के पश्चात् जब हम गाँव में गये तो महिला संगठन की खुली बैठक की। उसमें संस्था के प्रतिनिधि, गाँव के कुछ पुरूष प्रतिनिधि एवं मार्गदर्शिकायें भी शामिल थीं। महिलाओं से साक्षरता केन्द्र के बारे में चर्चा की। केन्द्र के लिए स्थान का चयन, महिलाओं की भागीदारी, साक्षरता का महत्व एवं सहयोग पर खुली चर्चा हुई।

साक्षरता केन्द्र में महिलाओं को गोल घेरे में बैठाते हैं जिससे सभी आमने–सामने एक–दूसरे का चेहरा देख सकें एवं साथ–साथ सीख सकें। इस तरह गोले में बैठने से महिलायें अपनी झिझक दूर कर पाती हैं। तत्पश्चात् प्रार्थना की जाती है। इसके पश्चात् महिलायें स्कैच पैन पकड़ना सीखती हैं। उसके बाद चित्रांकन द्वारा अभ्यास करती हैं। स्वतंत्र चित्र बनाना, रंगों का खेल, वर्णमाला, चार्ट में कार्डों के द्वारा अक्षर मिलान व संख्या को पहचानने का कार्य करते हुए महिलायें पढ़ने–लिखने की तैयारी करती हैं।

पढ़ने–लिखने की शुरूआत में बिन्दु–क्रम का कौशल सिखाया जाता है। सीमा में बँधी आकृतियाँ तथा बिन्दु–मिलान करके सीधी–तिरछी रेखाएं बनाना, गोला बनाना आदि का अभ्यास करने से महिलायें लिखने की तैयारी करती हैं।

अक्षरों और संख्याओं की समझ तथा लेखन एवं बिना मात्रा वाले सरल शब्दों का अभ्यास, कहानी एवं सामूहिक चर्चा आदि गतिविधियों से शैक्षणिक माहौल तो बनता ही है, व्यापक सोच भी विकसित होती है।

महिला साक्षरता का काम करते हुए अनुभव से कुछ महत्वपूर्ण बिन्दु समझ में आते हैं :

- जिन महिलाओं को अक्षर लिखना–बोलना तथा पहचानना आता है, वे भी आत्मविश्वास न होने के कारण सोचती हैं कि अगर बोलेंगी या लिखेंगी तो कही गलत न हो जाये।

- महिलाओं को अ, इ, ई, ऋ, ए, ऐ, द, थ, झ, ड़, क्ष अक्षर लिखने में कठिनाई होती है। इसलिए पहले सरल अक्षर जैसे म, ग, प, र, ज आदि सिखाते हैं।
- संख्या लिखते वक्त 4, 5, 6, 9 लिखने में कठिनाई होती है इसलिए 1, 7, 3, 2 पहले लिख लेने चाहिए।
- महिला साक्षरता एवं शिक्षण केन्द्र खुलने से महिलायें सोचती हैं कि वे अन्य गाँवों की महिलाओं से आगे बढ़ें। उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और एकता की भावना को बल मिलता है।
- जिन महिलाओं को संख्या का ज्ञान नहीं होता है उन्हें मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने के लिए संख्या सीखने में काफी रुचि रहती है।
- महिलाओं को मात्रा वाले शब्दों को लिखने में कठिनाई होती है परंतु नियमित अभ्यास से इस कौशल को विकसित करने में देर नहीं लगती।
- घरेलू एवं खेती–बाड़ी का कार्य अधिक होने के कारण महिलायें साक्षरता एवं शिक्षण केन्द्रों में कम समय दे पाती हैं। जो महिलायें केन्द्र में कम आती हैं, वे सीखा हुआ भूल जाती हैं। इसलिए आवश्यक है कि पढ़ने–लिखने वाली महिलायें नियमित रूप से केन्द्र में आयें।

शिक्षिकाओं में इस कार्यक्रम से जुड़ कर काफी परिवर्तन आया :

- जब हमने महिला साक्षरता एवं शिक्षण केन्द्र में शिक्षिका के रूप में कार्य शुरू किया तो हमारे पढ़ने–लिखने में जो ठहराव आ गया था उसमें नई गति आ गई।
- महिला गोष्ठी, गाँव सम्पर्क एवं साक्षरता केन्द्र चलाने से हमारी सामाजिक शिक्षा बढ़ी है।
- पहले हम घर गाँव से बाहर निकलने में बहुत झिझकती थीं, अकेले कहीं नहीं जाती थीं। जब से हम महिला साक्षरता एवं शिक्षण केन्द्र से जुड़ीं, तब से बेझिझक बैठकों, गोष्ठियों आदि में जाती हैं और अपने विचार सभी के सम्मुख रखती हैं।

महिला संगठन बघाड़

हेमा नेगी

जब बघाड़ गाँव में संगठन बना तो उस समय महिलायें खेती और घर के कामों तक ही सीमित रहती थीं। गाँव जंगल के बीच में स्थित है। इस कारण, वहाँ घास–लकड़ी और पानी की कमी नहीं है। जब संगठन बना तो महिलाओं ने सबसे पहले अपने गाँव में मुक्त चराई पर रोक लगाई। इसके लिए सबसे पहले गाँव में खुली गोष्ठी की। महिला–पुरूषों ने अपने–अपने विचार गोष्ठी में रखे। सभी की सहमति से मुक्त चराई पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया। मुक्त चराई पर प्रतिबंध लगाने से गाँव में अनेक फायदे हुए :

1. पहले लोग जाड़ों के लिए घास ऊँचे पेड़ों के ऊपर इकट्ठा करते थे। मुक्त चराई बंद होने से घास को खेत के पास ही इकट्ठा करके जमीन में रखने लगे।
2. पेड़–पौधों, जैसे–भीमल, बाँज का कटान बंद हुआ।
3. प्राकृतिक रूप से जन्मे पेड़ों की पौध का नुकसान बंद हुआ। इससे क्षेत्र में बाँज और भीमल के पेड़ों की संख्या में अप्रत्याशित रूप से बढ़ोतरी हुई।
4. महिलाओं के समय और शक्ति की बचत हुई। उन्हें खेत से ही चारा मिल गया है। घर के नजदीक घास मिलने से जिस परिवार ने गाय नहीं पाली थी, वे भी गाय पालने को तैयार हुए।
5. जमीन में पेड़ और घास रहने से नमी बनी रही और पानी के स्रोतों में वृद्धि हुई।

जंगल की रखवाली के लिये महिलायें गाँव में मिलजुलकर पेड़ लगाती हैं। आपस में ऋण लेती हैं। महिलाओं ने इनाम के पैसे से गाँव के सामुहिक उपयोग के लिए सामान भी खरीदा। सामुहिक उपयोग–दरी, बड़े डेग, बाल्टी, लगभग सौ गिलास, कटोरे, थाली, चाँदनी, कनात आदि ली। महिलायें बताती हैं कि वे पहले अपनी साफ–सफाई पर ध्यान नहीं देती थीं, उनके काम का भी कोई समय नहीं था। वे दिन–भर काम करती थीं लेकिन संगठन बनने, भ्रमण में भाग लेने तथा उत्तराखण्ड महिला परिषद् में प्रशिक्षण लेने के बाद उन लोगों में बदलाव आया। वे अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत हुई। गाँव के काम पर ध्यान देने लगी। वे समय से काम करती हैं और गोष्ठी भी करवाती हैं।

बघाड़ गाँव में महिला संगठन के नेतृत्व में हर माह गोष्ठी होने से लोगों की सोच बदली है, विचारों में अभूतपूर्व परिवर्तन आया है। अब महिलायें पंचायत प्रतिनिधि बनीं हैं। वे ब्लॉक द्वारा आयोजित की जाने वाली गोष्ठियों में भाग लेती है। इससे उनकी जानकारियाँ तो बढ़ी ही हैं, साथ ही आत्मविश्वास और हिम्मत बढ़ी है। बघाड़ गाँव की महिलायें वन पंचायत में सरपंच बनी हैं। महिलायें विद्यालयों में शिक्षा समिति की गोष्ठी में भी जाने लगी हैं।

संगठन बनने के बाद बालवाड़ी खुली। बालवाड़ी शिक्षिका उसी गाँव की लड़की थी। शिक्षिका ने कक्षा आठ तक पढ़ाई की थी। बालवाड़ी के संचालन में ग्रामवासी काफी सहयोग देते थे। अब वे बच्चों पर काफी ध्यान देने लगे हैं। गाँववासी प्राइमरी विद्यालयों में भी बच्चों की शिक्षा पर ध्यान देते हैं। यहाँ के बच्चे पढ़ने में काफी अच्छे हैं। गाँव की एक लड़की हिम ज्योति स्कूल देहरादून में पढ़ती है। उसके पिताजी मजदूरी करते हैं। मैंने उन्हें हिम ज्योति स्कूल के बारे में बताया। उसने नैनीताल जाकर प्रवेश परीक्षा दी और उत्तीर्ण हो गयी। गरीब माँ–बाप को अपनी बेटी से बड़ी आशाएं हैं। इस बार गाँव के दो बच्चे नवोदय विद्यालय में हैं।

यहाँ आँगनवाड़ी खुली है। अब गाँववासी आँगनवाड़ी को बालवाड़ी की तरह चलाते हैं। आँगनवाड़ी के संचालन में ध्यान देते हैं। साथ ही, प्राइमरी विद्यालय की गतिविधियों में भी रुचि रखते हैं। प्राइमरी पाठशाला के अध्यापक ने ही बच्चों को गाँव से बाहर अच्छे विद्यालयों में भेजने के लिए सराहनीय कार्य किया। गाँव की महिला आशा पद के लिए चुनी गयी। वह गर्भवती महिलाओं को प्रसव के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में ले जाती है, जिससे जच्चा–बच्चा स्वस्थ और सुरक्षित रहते हैं। महिलाओं की एकता और संगठन की मजबूती से ही यह कार्य संभव हो सका है।

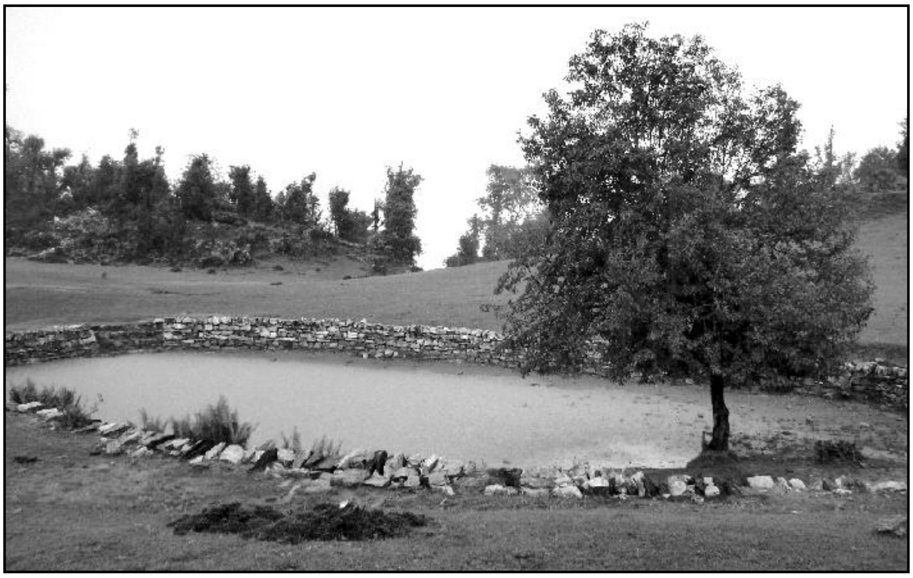

मेरी बात

शान्ति बाफिला

मेरा नाम शान्ति बाफिला है। मैं पिछले एक साल से उत्तरापथ सेवा संस्था, मुवानी, जिला पिथौरागढ़ से जुड़ी हूँ। मैं किशोरी संगठन की मार्गदर्शिका हूँ। मुझे संस्था में काम करना अच्छा लगता है, मैं पहले इस काम के बारे में कुछ नहीं जानती थी। जब गाँव में मीटिंग होती तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था। संस्था के बारे में नहीं जानती थी और ना ही संस्था की प्रमुख राधा दीदी को पहचानती थी। राधा दीदी मुझे रोज घर की ओर आती–जाती दिखाई देती थी। मैं सोचती थी कि ये संस्था के लोग रोज न जाने कहाँ जाते होंगे। जब मैंने अपने पति से इस बारे में पूछा तो उन्होंने राधा दीदी का परिचय दिया। उसके बाद पति ने दीदी से मुलाकात करवायी और मेरे लिए काम की बात की।

राधा दीदी ने मुझे बुलाया और पूछा कि क्या मैं संस्था का काम कर सकूँगी। सामाजिक काम बहुत कठिन क्षेत्र है। गाँव के कई विद्यालयों और संगठनों के साथ मिलजुलकर काम करना होता है। मैंने दीदी से कहा कि यदि वे मुझे सिखायेंगी तो सीख लूँगी। मैं राधा दीदी के साथ कई बार गाँव के विद्यालयों में गई। दीदी ने मुझे किशोरी संगठन व महिला साक्षरता एवं शिक्षण केंद्र के बारे में बताया। साथ ही उत्तरखण्ड सेवा निधि पर्यावरण शिक्षण संस्थान, अल्मोड़ा से प्रशिक्षण लिया। कार्यक्रम को सीखने में कुछ समय लगा। उसके बाद मुझे भी संस्था का कार्य करना आ गया। अब मेरी भी गाँव और विद्यालयों में अच्छी पहचान हो गई है।

उत्तराखण्ड सेवा निधि के कार्यकर्त्ताओं ने जून माह में किशोरियों के लिए चार दिन का प्रशिक्षण दिया। उन्होंने किशोरियों के विकास के मुद्दों पर जानकारी दी। किशोरियों से खेलने और कहानी सुनाने को कहा। अब मुझे गाँव के विद्यालयों में जाना अच्छा लगता है। प्रशिक्षण के दौरान अलग–अलग तरह के कार्यों को करने से मेरा आत्मविश्वास बढ़ा। अन्य विद्यालयों में इन सब कार्यों का दोहराव करवाती हूँ। उसके बाद यही सब गतिविधियाँ गाँव में भी करती हूँ।

जब दीदी और मैं गाँव के विद्यालयों में जाते हैं तो पहले अपना कार्यक्रम बना लेते हैं। शुरूआत में किशोरियों को अपनी योजना को बताने में मुझे बहुत कठिनाई होती थी पर राधा दीदी मेरी सहायता कर देती। मैं संस्था की महिलाओं के साथ गोष्ठी भी करती हूँ। मैं पहले बहुत कम बोल पाती थी लेकिन अब खुल कर बोलती हूँ और अपनी बात समाज के सम्मुख रखती हूँ। यहाँ तक कि गाड़ियों में सफर भी अकेले ही कर लेती हूँ।

अब मुझे कहीं भी अकेले जाने में न किसी प्रकार की झिझक होती है और ना ही डर लगता है। गाँव में जो भी अधिकारी आते हैं, उनसे अपनी बातों को खुलकर कह देती हूँ। संगठनों में महिलाओं से रोजगार गारंटी, विधवा पेंशन, ग्राम–पंचायत आदि के बारे में भी खुल कर बातें करती हूँ। हमारे गाँव में महिला साक्षरता एवं शिक्षण केन्द्र भी है। मैं वहाँ भी जाती हूँ। महिलाओं से बातचीत करती हूँ। जब गाँवों में ग्राम–पंचायत होती है तो वहाँ भी मीटिंग के लिए जाती हूँ। संस्था से जुड़कर एक साल के भीतर ही मुझमें बहुत परिवर्तन आ गया।

लड़की की भाग्य रेखा

आशा नेगी

लड़की के पैदा होने पर आँसू बहायें
लड़का हुआ तो खुशी मनायें।
लड़की हुई तो आँसू पोंछते
मिलकर उसकी माँ को नोचते।
बच्ची का चेहरा तक नहीं देखते
उसे खुद से दूर ही दूर रखते।
छोटी सी बच्ची पर कोई तरस न खायें
सब मिलकर माँ को बातें सुनायें।
लड़के को खूब खिलायें–पिलायें
बच्ची को खूब काम सिखायें।
बच्ची से फिर बड़ी हुई वह
अपने पैरों पर खड़ी हुई वह।
छोटी सी बच्ची कितने सपने सजाती
बड़े प्यार से सबको बताती।
सभी पर वह प्यार बरसाती
सबकी वह अपनी बन जाती।
छोटी सी उमर में उसे काम सिखाते
सभी उसको सीमा बतलाते।
बचपन में बच्ची फूल सी खिलती
बड़ी होकर शोक में मिलती।
लड़की हर कदम पर मजबूर है
अपनी ही खुशियों से दूर है।
फिर भी हंसती खेलती जाती
सभी कष्टों को झेलती जाती।
लड़की का भी कोई सपना होगा
सपने में उसे कुछ करना होगा।
उससे कोई क्यों नहीं पूछता
उसके बारे में क्यों नहीं सोचता?
लड़की तो बस सोचती जाती
अपनी ही किस्मत को कोसती जाती।
फिर किशोरी से वह औरत बनती
सिंदूर से उसकी माँग सजती।
एक पल में मायके से दूर हो जाती
टूट कर वह चूर हो जाती।
नए घर में उसे रहना पड़ता
हर दुःख–दर्द उसे सहना पड़ता।
औरत को हर रिश्ता निभाना पड़ता
स्वयं को अच्छा दिखाना पड़ता।
किसी ने उसे बहू बनाया
उसने सारे घर को सजाया।
आदमी के पीछे औरत का साथ है
हर सफलता के पीछे औरत का हाथ है।
फिर औरत से वह माँ बनी
खुशियों से उसकी गोद भरी।
बच्चे ने उसे माँ कह कर पुकारा
उसने ही बच्चे का जीवन सुधारा।
बेटी माँ का कर्ज उतारती
माँ को दुःखों से उबारती।
बेटी का दर्द तो बस माँ जाने
उसके अलावा कोई क्या माने।
बेटा माँ का दर्द नहीं जानता
अपनी जिम्मेदारी से भागता।
लड़की की कैसी भाग्य रेखा लिखी
परायों के बीच में भी उसे माँ दिखी।
हर कदम पर रोती है वह
ना जाने क्या–क्या खोती है वह।
एक पल में वह टूट जाती
अपनी जिंदगी से रूठ जाती।
खुद की जिंदगी दुःखों में काटती
लेकिन सबको प्यार बाँटती।
आदमी की सजा औरत को मिलती
लेकिन वह होठों को है सिलती।
हर कदम पर वह मजबूर है
अपनी ही खुशियों से दूर है।
औरत चाहे जैसे भी जीती
हर वक्त बस आँसू पीती।
इस समाज ने औरत को ऐसा बनाया
बिल्कुल जानवर की तरह सताया।
जहाँ पर रखो वहीं पर रहती
चुपचाप सभी दुःखों को सहती।
इस बात को हर कोई नहीं जानेगा
जिस पर बीतेगी वही मानेगा।
औरत की जिंदगी हमेशा एक–सी रही
खुशी कल मिलेगी वह सपना देखती रही।
मैं भी तो बचपन से सपने चुनती थी
न जाने कितने ख्वाबों के महल बुनती थी।
मेरे सारे सपने टूट गए
मेरे अपने भी मुझसे रूठ गए।
मैं भी तो कितना सहती हूँ
हमेशा कष्ट में रहती हूँ।
मैंने भी कितना कुछ देखा है
मेरी भी ऐसी ही भाग्य रेखा है।
औरत के बुढ़ापे में सब साथ छोड़ देते
अपने भी उससे नाता तोड़ लेते।
औरत किसी को क्या सुनाए अपने दर्द का फसाना
औरत को तो है दुःख में भी सभी को हँसाना।

साक्षरता केन्द्र का महत्व

राजू बिष्ट, लीला कोरंगा, नीलम, दीपा जोशी

आज भी गाँवों में अधिकांश महिलायें निरक्षर हैं। विशेष–रूप से बड़ी उम्र की वे महिलायें जिन्हें विद्यालयी शिक्षा प्राप्त करने का अवसर नहीं मिल पाया, निरक्षर ही हैं। दूर–दराज के गाँवों में अनेक लड़कियाँ और नई पीढ़ी की बहू भी निरक्षर हैं। इन परिस्थितियों में उत्तराखण्ड महिला परिषद् अल्मोड़ा द्वारा संचालित महिला साक्षरता एवं शिक्षण कार्यक्रम ग्रामीण महिलाओं के लिए विशेष महत्व रखता है। कारण कुछ यूँ हैं :

- साक्षरता एवं शिक्षण केन्द्र के माध्यम से महिलाओं को पढ़ने का मौका मिल रहा है।
- केन्द्र से उन किशोरियों एवं युवतियों को पढ़ने का अवसर मिल रहा है जो किन्हीं कारणों से विद्यालयी शिक्षा से वंचित रह गयीं।
- साक्षरता एवं शिक्षण केन्द्र में आने वाली महिलायें घर में बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दे रही हैं।
- साक्षरता केन्द्र में महिलाओं को अपने विचारों को व्यक्त करने का भरपूर अवसर मिलता है। इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है।
- साक्षरता केन्द्र के माध्यम से महिलायें दैनिक जीवन में आने वाली समस्याओं पर विचार करती हैं और समाधान भी ढूँढ़ निकालती हैं।
- साक्षरता केन्द्र के माध्यम से महिलायें विभिन्न मुद्दों पर जानकारियाँ प्राप्त करती हैं। जैसे–स्वास्थ्य, बैंक का कामकाज, पंचायती राज आदि।
- साक्षरता केन्द्र महिलाओं के बीच आपसी संवाद बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- साक्षरता केन्द्र का संचालन गाँव को जोड़ने के लिए भी एक महत्वपूर्ण गतिविधि है।
- महिलाओं को संगठित करने में साक्षरता केन्द्र की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है।
- केन्द्र के माध्यम से गाँवों में चल रहे विकास कार्यों पर चर्चा होती है तथा सहभागिता बढ़ती है।
- साक्षरता केन्द्र पंचायतीराज, रोजगार गारण्टी योजना, सूचना का अधिकार आदि विषयों पर महिलाओं को जानकारी देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
- साक्षरता केन्द्र के माध्यम से ग्रामवासियों ने विधवा पेंशन, रोजगार गारण्टी के लिए आवेदनपत्र भरना सीखा एवं लाभ प्राप्त किया।

"महिला न हो तो जीवन व्यर्थ है।
शिक्षा न हो तो समाज व्यर्थ है।।"

नन्दा राजजात

शिवनारायण किमोठी

गढ़वाल के बावन गढ़ों में से एक है इड़ियागढ़। पूर्व में इस गढ़ की वास्तविक स्थिति स्पष्ट नहीं थी। कुछ इतिहासकार इसे जौनपुर, जनपद टिहरी गढ़वाल, में स्थित मानते थे लेकिन वहाँ पर भी इस गढ़ की स्थिति स्पष्ट नहीं थी। अब कुछ शोधकर्त्ताओं ने इड़ियागढ़ की स्थिति स्पष्ट करते हुए इसके ईड़ाबधाणी के निकट होने के प्रमाण दिये हैं। वास्तव में यहाँ पर आज भी भवनों, कुँआ, धान कूटने की ओखलियों के भग्नावशेष विद्यमान हैं। इस गढ़ के गढ़पति निकट क्षेत्र ईड़ाबधाणी के जदोड़ा वंशीय ठाकुर ही रहे होंगे, क्षेत्र का इतिहास इस बात का प्रमाण देता है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर माँ नन्दा देवी राजजात के परिपेक्ष्य में ईड़ाबधाणी गाँव के पौराणिक महत्व पर चिन्तन करें तो यह बात स्पष्ट होती है कि जदोड़ा वंशीय इन गढ़पतियों की अराध्य देवी माँ नन्दा ही थीं। माँ नन्दा का एक पौराणिक मंदिर आज भी ईड़ाबधाणी गाँव में स्थित है। इस मंदिर में विधिवत पूजा राजगुरू नौटियालों द्वारा पुरातन समय से आज तक की जाती है। आज भी कांसुवा गाँव से नन्दा छंतोली नौटी पहुँचने के उपरान्त ईड़ाबधाणी पहुँचती है। दूसरे दिन फिर नौटी के लिये प्रस्थान करती है। इससे एक भ्रामक स्थिति पैदा हो जाती है कि यात्रा का शुभारंभ कहाँ से माना जाये? मेरे अपने चिंतन के अनुसार राजगुरू नौटियाल छंतोली को नौटी से ईड़ाबधाणी लाकर माँ नन्दा की शक्ति प्रतिष्ठित करने के उपरान्त यात्रा का शुभारंभ कर नौटी की ओर प्रस्थान करते हैं। आगे की यात्रा विभिन्न पड़ावों से होकर अंत में होमकुण्ड कैलाश के लिये बढ़ती है। इससे स्पष्ट होता है कि नन्दाराज यात्रा का शुभारंभ

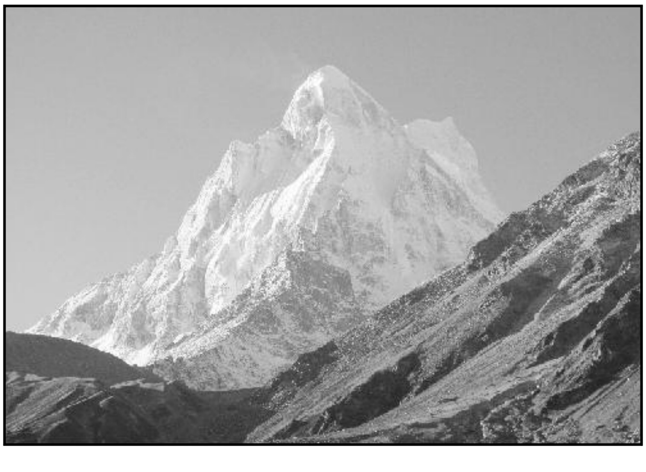

इड़ियागढ़ के गढ़पतियों के पौराणिक ग्राम ईड़ाबधाणी से ही प्रारंभ होता है।

नन्दाराज यात्रा का लगभग दो हजार वर्ष पुराना इतिहास रहा है। तमाम शोधों एवं रूपकुण्ड में मिले नरकंकालों/पशुकंकालों के वैज्ञानिक परीक्षण (कार्बन डेटिंग) से यह तथ्य प्रमाणित हुआ है। माँ नन्दा राजजात यात्रा के मुख्य पड़ाव इस प्रकार हैं :

माँ नन्दाराज यात्रा के मुख्य पड़ाव

क्रम	यात्रा पड़ाव	किमी (लगभग पदयात्रा)	समुद्र तल से ऊँचाई (मीटर)
1	नन्दा देवी राजजात शुभारंभ कॉसुवा सें नौटी	10	–
2	नन्दा धाम नौटी से ईड़ाबधाणी	10	1240
3	ईड़ाबधाणी से नौटी	10	1650
4	नौटी से कांसुवा	10	1530
5	कांसुवा से सेम	10	1530
6	सेम से कोटी	10	1650
7	कोटी से भगोती	12	1530
8	भगोती से कुलसारी	12	1050
9	कुलसारी से चैपड़ियू	10	1165
10	चैपड़ियू से नन्दकेसरी	6	1200
11	नन्दकेसरी से फल्दिया गाँव	8	1480
12	फल्दिया गाँव से मुन्दोली	10	1750
13	मुन्दोली से वाण	14	2450
14	वाण से गैरोलीपातल	10	3032
15	गैरोलीपातल से पातरन चौणियां	12	3650
16	पातरन चौणियां से शीला समुन्दर	15	4210
17	शीला समुन्दर से होमकुण्ड (ऊँचाई–4450) वापस चन्दनियाघाट	16	4010
18	चन्दनियाघाट से सुतोल	18	2192
19	सुतोल से घाट, नन्दप्रयाग, नौरी	25	1331
20	घाट से नौटी	60	1650

सम्मेलनों में भागीदारी

राजू बिष्ट

मुझे इस वर्ष उत्तराखण्ड महिला परिषद् अल्मोड़ा द्वारा गढ़वाल मण्डल के विभिन्न स्थानों में आयोजित महिला सम्मेलनों में भागीदारी करने का अवसर मिला। इन सम्मेलनों में भागीदारी करने के लिए अल्मोड़ा से अनुराधा पाण्डे, रेनू व जी पी तथा शामा से केदार सिंह कोरंगा शामिल रहे। मैं बैजनाथ से साढ़े दस बजे सुबह इस टीम के साथ शामिल हुआ। ग्वालदम में नाश्ता करने के बाद हम लोग थराली, कर्णप्रयाग होते हुए गोपेश्वर पहुँचे। गोपेश्वर में हमारे साथी महानन्द बिष्ट जी अपनी संस्था नवज्योति महिला कल्याण संस्थान के माध्यम से महिला संगठनों एक बच्चों के साथ कार्य करते हैं। महानन्द भाई ने हमारे रहने की व्यवस्था की।

हमें अगले दिन लोक कल्याण विकास समिति, सगर द्वारा आयोजित महिला सम्मेलन में प्रतिभाग करने के लिए जाना था। कुछ अनौपचारिक एवं कुछ संस्थागत कार्यों की बातचीत के बाद रात्रि विश्राम गोपेश्वर में ही किया। गोपेश्वर ऊँचाई पर बसा हुआ एक कस्बा है। यहाँ पर चमोली जिले का मुख्यालय तथा कई सरकारी विभागों के कार्यालय हैं। जिला मुख्यालय के कार्य यहीं से संचालित होते हैं। चमोली अलकनन्दा नदी के किनारे बसा है। यह स्थान प्राकृतिक आपदा की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है। इसी वजह से जिला मुख्यालय गोपेश्वर में बनाया गया है। गोपेश्वर से हिम आच्छादित पहाड़ियाँ बहुत सुंदर लगती हैं। गोपेश्वर में गोपीनाथ का पुराना मंदिर है। सम्भवतः इसी मंदिर के कारण इस स्थान का नाम गोपेश्वर पड़ा है।

12 मार्च, 2013 की प्रातः हम लोग सत्येन्द्र रावत जी के कार्यक्षेत्र में महिला सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए गये। सत्येन्द्र भाई लोक कल्याण विकास समिति के माध्यम से महिला संगठनों के साथ शिक्षा के कार्य करते हैं।

सम्मेलन से पहले हम लोग नैणी गाँव में गये। नैणी गाँव में संस्था के माध्यम से महिला साक्षरता एवं शिक्षण केन्द्र शुरू किया जाना था। हम लोग अपने साथ साक्षरता केन्द्र में उपयोग होने वाली शैक्षणिक सामग्री ले गये थे। सामान लेने के लिए गाँव की महिलायें स्वयं सड़क तक आयी थीं। सामान सौंप कर हम डुंगरी गाँव में वापस आये। यहीं पर महिला सम्मेलन होना था। यह गाँव नैणी से कम ऊँचाई पर बसा हुआ है। सम्मेलन गाँव के बीच में स्थित एक घर के आँगन में रखा गया था। लगभग बारह बजे से सम्मेलन आरम्भ हुआ। सम्मेलन में पंचायत से ब्लाक–प्रमुख, ग्राम–प्रधान, सरपंच एवं अन्य प्रतिनिधि उपस्थित थे। सम्मेलन में महिलाओं ने मुख्य रूप से स्थानीय समस्यायें रखीं। सम्मेलन में आसपास के गाँवों से डेढ़ सौ के करीब महिलायें उपस्थित थीं।

शाम के वक्त सम्मेलन से लौटने के बाद घिंघराण गाँव में थोड़ी देर के लिए रुके। यहाँ पर जनजाति समाज के परिवार रहते हैं। वे लघु उद्योग का बहुत अच्छा कार्य करते हैं। वे स्वयं

तैयार किये गये सामान को बद्रीनाथ ले जाकर बेचते हैं। ये जाड़े की ऋतु में घाटी क्षेत्रों में आ जाते हैं। छः महीने यहाँ रहकर पुनः उच्च हिमालयी क्षेत्रों में चले जाते हैं। रात्रि में हम लोग गोपेश्वर में ही रुके।

अगले दिन 13 मार्च 2013 को खल्ला गाँव में सम्मेलन आयोजित किया गया था। दशौली विकासखण्ड के गाँवों में नवज्योति महिला कल्याण संस्थान कार्य करती है। खल्ला गाँव के ऊपरी हिस्से में अच्छे जंगल है। इस गाँव तक कच्ची सड़क गई है। गाँव तक पहुँचने से पहले उत्तराखण्ड जड़ी–बूटी शोध संस्थान का केन्द्र देखने का सुअवसर प्राप्त हुआ। यहाँ अनुसूया देवी का मंदिर भी है। इस मंदिर की बड़ी मान्यता है।

हम लोग खल्ला गाँव में पहुँचे। लोगों में संस्था की अच्छी पहचान दिखाई दे रही थी। सम्मेलन में लगभग चार सौ महिलायें उपस्थित थीं। इन गाँवों में चिपको आंदोलन के समय का प्रभाव दिखाई देता है। सम्मेलन के दौरान सभी लोगों में अपनी बात कहने का उत्साह दिखाई दे रहा था।

उसी दिन शाम को हम लोग ऊखीमठ के लिए चल पड़े। गोपेश्वर से ऊखीमठ जाने वाली सड़क भारी बर्फबारी के कारण बंद थी। इस कारण, हमें कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग होते हुए ऊखीमठ पहुँचना पड़ा। यहाँ पर मन्दाकिनी नदी में बाँध के निर्माण का कार्य चल रहा है। हम लोग रात में ऊखीमठ पहुँचे। रहने की व्यवस्था कैलाश भाई ने की। यहाँ पर हिमालयी ग्रामीण विकास संस्था काम करती है।

14 मार्च को फूल देई का त्यौहार था। सुबह के वक्त बच्चे डोली सजा कर फुलदेई के लिए बाजार में निकल रहे थे। संस्था द्वारा ग्यारह बजे सम्मेलन रखा गया था। सम्मेलन के दौरान महिलाओं में सांस्कृतिक कार्यक्रम को लेकर बहुत उत्साह देखने को मिला। यहाँ पर छोटी लड़कियाँ हों या फिर साठ–सत्तर साल की महिलायें, सभी अपने–अपने कार्यक्रम लगन व आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुत कर रही थीं।

केदार घाटी में वर्ष भर लगने वाले मेलों और यात्राओं में ग्रामवासी सांस्कृतिक कार्यक्रमों में निरंतर भागीदारी करते हैं। हम लोगों ने पिछली बरसात में आई आपदा से ध्वस्त हुये मंगोली, चुन्नी, किमाणा गाँवों को भी देखा। निश्चित तौर पर यहाँ भीषण आपदा

आई थी। कई परिवार तबाह हो चुके थे। यहाँ पर लोगों में आगे बढ़ने का जज्बा भी देखने को मिला। ग्रामवासियों में तबाही को लेकर पीड़ा थी पर उससे उबरने का हौसला भी साफ दिखाई दे रहा था।

हम लोग शाम चार बजे ऊखीमठ से वापस कर्णप्रयाग की ओर चले। वापसी में तेज बारिश हो रही थी। आपदा के मंजर को देखकर डर भी लग रहा था। रात को हम लोग कर्णप्रयाग में रूके। अगले दिन सुबह छह बजे अल्मोड़ा के लिए रवाना हुए। साढ़े दस बजे बैजनाथ पहुँचे। बैजनाथ से अल्मोड़ा के साथी आगे बढ़ गये। मैं और श्री केदार सिंह कोरंगा जी वहीं पर रूक गये तथा कुछ देर बातचीत करने के बाद अपने–अपने गंतव्य की ओर बढ़ चले।

महिला संगठन रुँगड़ी

राजू बिष्ट

रुँगड़ी गाँव के महिला संगठन द्वारा संस्था के सहयोग से गाँव में अनेक काम किए गए हैं। शुरू–शुरू में महिलायें घर से बाहर नहीं निकलती थीं लेकिन जब संस्था ने बच्चों की शिक्षा के लिए बालवाड़ी खोली तो ग्रामवासियों को लगा कि यह तो अच्छी बात है, बच्चों का भविष्य सुधर जायेगा। धीरे–धीरे महिलायें एकत्रित होने लगीं, बालवाड़ी में बच्चों को लेने–पहुँचाने आने लगीं। बच्चों की चार घण्टे बालवाड़ी में देख–रेख होती तो वे निश्चित होकर अपना खेती–जंगल का काम करतीं। महिलाओं के काम का बोझ भी कम होने लगा। धीरे–धीरे बालवाड़ी की शिक्षिका एवं संस्था के कार्यकर्त्ताओं से लोगों की बातचीत हुई और महिला संगठन का गठन हुआ। गाँव के कुछ लोग तो महिलाओं को सहयोग करते लेकिन कुछ लोग संगठन का महत्व नहीं समझते थे। शुरूआत में अनेक लोगों ने संगठन को सहयोग नहीं दिया।

संगठन बन जाने के बाद हर माह महिलाओं की बैठक होने लगी। संस्था के कार्यकर्त्ता बैठक में शामिल होते। गाँव में अनेक समस्याएं थीं। लोग बैठक में बातचीत करके समस्याओं का हल करने को कहते। इस तरह गाँव में गंदगी, आपस में झगड़ा आदि मुद्‌दों पर बातचीत शुरू हुई। सबसे पहली बात यह हुई कि गाँव में एकता की जाए और रोजमर्रा के काम से समय निकाल कर बैठकें आयोजित हों। ऐसा ही हुआ। गाँव में श्रीमती हंसी, नंदी, उमा, पुष्पा देवी आदि अनेक महिलाओं ने पहल की। कुछ समय बाद संस्था के कार्यकर्त्ताओं के साथ बातचीत करके गाँव में संगठन के माध्यम से शौचालय निर्माण, पानी का संरक्षण जैसे रचनात्मक कार्य

शुरू हुए।

साथ ही, महिला संगठन से जुड़ी सदस्याओं ने कोष जमा करने की सोची। धनराशि भी इतनी रखी कि सभी महिलायें कोष में जमा कर सकें। हर परिवार से मात्र पन्द्रह रुपये कोष में जमा होते। इससे गरीब परिवारों की महिलायें भी बचत करने में सफल रहीं। गाँव में सभी परिवारों के लोग संगठन से जुड़े थे। पहले तो संगठन में चालीस, पैंतालिस महिलायें जुड़ीं। धीरे–धीरे गाँव की लगभग सभी महिलायें संगठन से जुड़ गईं। सभी सदस्याएं माह में बैठक करके भागीदारी करतीं, कोष जमा करतीं। आपस में एक–दूसरे का सहयोग करतीं। खेती–जंगल के काम से समय निकालकर महिलायें मिलकर गोष्ठी करतीं। संगठन में सभी ने यह निर्णय लिया कि आपस में झगड़े, गाली–गलौज, मुक्त–चराई पर रोक, रास्तों की साफ–सफाई, शराब पीकर मारपीट या झगड़ा, गाली देने की घटना होने पर सामुहिक निर्णय से निपटारा करेंगे। धीरे–धीरे यह काम संगठन ने अपनी जिम्मेदारी से स्वयं किया। संगठन अपने गाँव की गरीब परिवार की लड़कियों की शादी में सहयोग करता और कामकाज में मदद करता।

जरूरत पड़ने पर महिलायें कोष के पैसे से ऋण लेतीं। बाद में एक प्रतिशत ब्याज की दर से वापस करतीं। अन्न कोष जमा करके गरीब परिवारों को कम धनराशि में अन्न देतीं व उस पैसे को पुनः कोष में जमा कर देतीं। जो रुपया कोष में जमा होता, उसे सामाजिक एवं सामुहिक कार्यों के लिए सामग्री खरीदने के लिए इस्तेमाल करतीं। जैसे–चाँदनी, कनात, कुर्सी, बर्तन, दरियाँ आदि। यह सामान गाँव में शादी–ब्याह, नामकरण, सामूहिक–पूजा आदि अवसरों पर काम आता।

महिलायें संस्था के कार्यकर्त्ताओं से जानकारियाँ लेती रहतीं। स्वयं भी अपने संगठन में निर्णय लेकर उत्तराखण्ड महिला परिषद् की मीटिंग में भागदारी करतीं और आपस में जो भी सुना–सीखा, उसे अपने साथियों के साथ चर्चा करके बाँटा करतीं। महिलायें क्षेत्रीय महिला सम्मेलनों में भागीदारी करतीं। रुँगड़ी गाँव में बैठकों का आयोजन किया जाता, क्योंकि रुँगड़ी गाँव का संगठन सम्मेलन के आयोजन की जिम्मेदारी स्वयं लेता।

संगठन की सक्रियता व काम को देख–सुनकर विधायक भी अक्सर गाँव में आते व महिला संगठन की अध्यक्षा एवं सदस्याओं से बातचीत करते। महिलाओं ने सोचा कि अक्सर विधायक हमारे गाँव में आते हैं, क्यों न हम अपने गाँव में कुछ काम करें।

इस पंचवर्षीय योजना से पहले महिला संगठन ने विधायकजी से बातचीत करके गाँव में काम करने की बात रखी और पूछा कि, ''क्या महिलायें सिर्फ वोट देने के लिए हैं? सरकार की मदद से काम क्यों नहीं कर सकतीं?'' इस प्रकार विधायक निधि से एक लाख रुपये महिला संगठन को मिल गये।

इस पंचवर्षीय योजना में भी महिलाओं के कार्यों पर चर्चा हुई। महिला संगठन ने विधायक से बात की तो उन्होंने दो लाख सत्तर हजार रुपये की धनराशि विधायक निधि से दी।

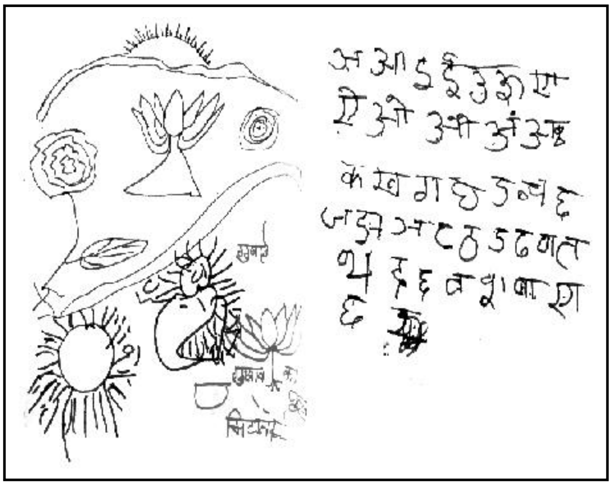

इस धनराशि से महिला संगठन ने गाँव में स्वयं काम करवाया। गाँव के सामूहिक मंदिर में भवन–निर्माण का कार्य किया गया। गाँव में सीसी मार्ग बना। महिलाओं ने निर्णय लिया कि गाँव में प्रत्येक परिवार से एक व्यक्ति काम करेगा। गाँववासियों ने मजदूरी स्वयं तय की। रास्ते के काम में प्रत्येक मजदूर को डेढ़ सौ रुपये की मजदूरी दी। मिस्त्री की मजदूरी स्वयं संगठन ने तय की व तगार बनाने का काम भी स्वयं किया। इसी तरह, मंदिर का सामूहिक भवन बनाने के लिए संगठन ने तय किया कि कामगार को दो सौ पचास रुपये मजदूरी दी जाएगी। प्रत्येक परिवार से एक महिला सदस्या को काम मिलेगा। यह काम लगभग चालीस–पैंतालीस परिवार के लोगों ने बराबर समय तक किया। सभी को बराबर मजदूरी मिली।

निर्माण का सामान जैसे–रेता, बजरी, सीमेंट, सरिया मँगाने की जिम्मेदारी भी संगठन ने स्वयं ली। इस सब कार्य को करने में संगठन की अध्यक्षा एवं सदस्याओं सहित कार्यकारणी की सदस्या श्रीमती हंसी, नन्दी, उमा, रेखा, लीला, शीला आदि का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस तरह विकास के सभी कार्यों को रुँगड़ी गाँव का महिला संगठन मिलजुलकर करता है। गाँव के पुरुष भी संगठन को सहयोग करते हैं। इस तरह रुँगड़ी का महिला संगठन एक आदर्श गाँव का मॉडल प्रस्तुत करता हुआ निरंतर आगे बढ़ रहा है।

क्षेत्रीय महिला परिषद् गणाई गंगोली

हंसी डसीला, बची सिंह बिष्ट

क्षेत्रीय महिला परिषद्, गणाई–गंगोली, पिथौरागढ़ जिले में उत्तराखण्ड महिला परिषद् अल्मोड़ा की एक सक्रिय स्थानीय इकाई है। उत्तराखण्ड महिला परिषद् जल, जंगल, जमीन से आजीविका प्राप्त करने वाली महिलाओं का प्रदेशव्यापी संगठन है। जो ग्रामीण महिलाओं को संगठित व प्रशिक्षित करने के साथ ही उनका इस प्रकार से क्षमता–वर्धन कर रहा है कि वे स्त्री–पुरूष समानता को प्राप्त कर सकें। ग्राम स्तर पर महिलाओं को संगठित करने का साझा मंच ही महिला परिषद् है, जो विविध आयु एवं जाति वर्ग की महिलाओं को एक सूत्र में बाँधता है।

गणाई–गंगोली में शैक्षिणिक ग्रामोन्नति समिति ने 1995 से कार्य शुरू किया। इसके साथ ही महिलाओं को संगठित करने का कार्य भी प्रारम्भ किया। ग्रामीण क्षेत्र में कृषि से जुड़ी महिलाओं ने अपने–अपने संगठनों में रहकर कई प्रकार के कार्य किये। लंबे अनुभव के बाद ये कार्य स्थायी पहचान बनकर सामने आये हैं–

संगठन : गाँव की हर महिला को संगठन की सदस्या बनाया जाता है। इसमें सदस्यता शुल्क से अधिक महत्व महिलाओं की एक सी जिन्दगी है। उनके दुःख–सुख भी एक जैसे हैं। गरीब एवं सामाजिक रूप से कमजोर महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है। संगठनों के संचालन के लिए महिलाओं द्वारा स्वयं प्रतिनिधियों का चयन किया जाता है। उनके नेतृत्व में संगठन अपना कार्य करते हैं। इन संगठनों में समय–समय पर नेतृत्व परिवर्तन कर नये लोगों को अवसर दिया जाता है। संगठनों द्वारा अपने कार्यो की प्रमाणिकता को बनाये रखने के लिए रजिस्टर रखे जाते हैं, जिसमें ग्राम कोष का लेखा–जोखा व प्रस्ताव आदि कलमबद्ध रहते हैं।

ग्राम–कोष : प्रत्येक संगठन हर माह अपने ग्राम कोष में पैसा जमा करता है। यह कोष गाँव का सामुहिक कोष है। इसका उपयोग गाँव की साझा उपयोग की सामग्री खरीदने के लिए किया जाता है। इस कोष का चंदा जो राशि सबसे गरीब महिला दे सकती है, उसी आधार पर तय किया जाता है। इस कोष का उपयोग संगठन की सदस्याओं के बीच सहायता के रूप में भी किया जाता है। एक प्रकार से यह कोष स्वयं सहायता समूह की तरह उपयोग होता है किंतु इसकी सदस्यता व कार्यविधि समूह से बिल्कुल भिन्न है। ग्राम–कोष में प्रत्येक परिवार से एक महिला पैसा जमा करती है। जबकि संगठन की सदस्याएं गाँव की सभी महिलायें होती हैं। इस कोष की अवधारणा गाँव के सामुहिक हित से जुड़ी है इसलिए इस कोष का पैसा किसी भी सदस्या को वापस नहीं किया जाता।

मुक्त चराई बंदी, कुल्हाड़ा बंदी व शराब बंदी : प्रत्येक संगठन ने स्वयं खेतों में जानवरों की खुली चराई पर पाबंदी व दण्ड का प्रावधान रखा है। जंगलों में चौड़ी पत्ती के पेड़ों को काटना

प्रतिबंधित रखा गया है। गाँव में शराब का उत्पादन व खुले आम शोर–शराबा, मारपीट, गालीगलौज पूरी तरह से बंद है।

ग्राम स्वच्छता एवं सफाई : मासिक बैठकों में प्रत्येक संगठन गाँव की सामुहिक सफाई का निर्णय लेता है। इस दौरान रास्तों, पेयजल स्रोतों की सफाई की जाती है। इसके साथ ही संगठन के सदस्यों को निजी शौचालय बनाने के लिए प्रेरित किया जाता है। संगठन के लोग आपसी श्रमदान से शौचालयों के निर्माण में मदद करते हैं ताकि गाँव में स्वच्छता के लक्ष्य को पाया जा सके।

मासिक बैठक : संगठन की सदस्याएं प्रतिमाह बैठक करती हैं। इन बैठकों में आपसी विचार विमर्श और गाँव की समस्याओं पर चर्चा एवं उनके निस्तारण का निर्णय किया जाता है। संगठनों के बीच सक्रियता को बनाये रखने का सशक्त माध्यम ग्राम–गोष्ठियाँ हैं। इन बैठकों के माध्यम से ही नई जानकारियों का आदान–प्रदान किया जाता है। संगठनों की सक्रिय सदस्याएं आसपास के गाँवों में संगठनों की मासिक गोष्ठियों में जाकर महिलाओं को हिम्मत करने व संगठित रहने के लिए प्रेरित करती हैं। प्रत्येक संगठन अपनी मासिक गोष्ठी में ग्राम–कोष जमा करता है।

हिंसा का प्रतिरोध : संगठनों से जुड़ी महिलाओं ने मिलकर घरों में होने वाली हिंसा को रोकने का प्रयास किया है। इसके अलावा वे प्रयास करती हैं कि किसी भी महिला के साथ दुर्व्यवहार होने पर उसे रोकें व महिला को न्याय दिलाने में सहयोग करें।

साक्षरता व शिक्षण : महिला साक्षरता एवं शिक्षण केन्द्रों के माध्यम से स्त्रियाँ साक्षर हो रहीं हैं तथा अपनी जानकारियाँ बढ़ा रही हैं। ग्राम पुस्तकालयों का उपयोग भी महिलाओं द्वारा किया जा रहा है। महिलायें किताबें ले जाकर पढ़ती हैं ताकि उनकी जानकारी व प्रकटन क्षमता में वृद्धि हो।

पंचायतीराज/स्वशासन : संगठनों से जुड़ी महिलाओं में राजनैतिक जागरूकता बढ़ी है। वे आज प्रधान हैं, पंच हैं। जो पंचायत प्रतिनिधि नहीं हैं उन्हें चुनाव में जाना है। संगठन की सदस्याएं पंचायती राज के ढाँचे, कार्यविधि एवं संचालित हो रही योजनाओं पर ज्ञान बढ़ा रही हैं। वोट की महत्ता व प्रतिनिधियों की भूमिका की समझ बन रही है। इससे पूर्व–प्रधानों, पंचों, बी

डी सी सदस्यों का सदैव सहयोग लिया जाता है। महिलायें लोकतंत्र का मतलब समझें तथा अपने वोट का महत्व पहचानें, इस मुद्दे को बैठकों में चर्चा का विषय बनाया जाता है।

विकास कार्यों में भागीदारी : ग्रामीण महिलाओं ने रास्ता–निर्माण, भवन–निर्माण जैसे कार्यों को स्वयं संगठनो के साथ मिलकर किया है। ये सभी कार्य अभी तक पुरूषों द्वारा ही किये जाते रहे हैं। महिला संगठनों ने अपने प्रतिनिधियों से फण्ड लेकर निर्माण के कार्य को संपादित करके यह साबित किया है कि उन्हें भी यह काम करना आता है। अभी तक निर्माण कार्यों में गाँव के कुछ ही लोग शामिल होते थे, मजदूरी भी कुछ ही लोगों को मिल पाती थी। महिलाओं द्वारा किये गये कार्यों से गाँव के अधिकतम परिवारों को निर्माण के दौरान काम मिला। साथ ही महिला व पुरूष के बीच मजदूरी के अन्तर को मिटाने में सफलता पायी।

महिला सम्मेलन/भ्रमण : प्रत्येक संगठन अपने सदस्यों के साथ क्षेत्रीय गोष्ठियों में भागीदार बनता है। वर्ष में एक बार महिलाओं का क्षेत्रीय सम्मेलन होता है। सम्मेलन में उत्तराखण्ड महिला परिषद् अल्मोड़ा के सदस्यों की भी भागीदारी रहती है। इसके अलावा विभिन्न संगठनों की महिलायें भ्रमण पर जाती हैं। ग्राम संगठनों से महिलायें अल्मोड़ा जाकर गोष्ठियों में भागीदारी करती हैं, जिससे उन्हें कुमाऊँ–गढ़वाल के विभिन्न क्षेत्रों से आयी महिलाओं के अनुभवों का लाभ मिलता है। उनकी समझ मजबूत होती है। वे परिषद् द्वारा निकाली जा रही ''नन्दा'' पत्रिका के लिए लेख लिखती हैं ताकि उनके विचार अन्य लोगों तक पहुँच सकें।

नेतृत्व परिवर्तन : ग्रामीण महिला संगठनों में पहले सयानी महिलायें नेतृत्व कर रही थीं परन्तु अब नयी पीढ़ी की महिलायें नेतृत्व कर रही हैं। उनके अनुभव कम है परंतु उत्साह बहुत है। यह नेतृत्व परिवर्तन बिना विवाद तथा आपसी समझ व विचार–विमर्श से किया गया जो एक विशेष उपलब्धि का उदाहरण बना है।

क्षेत्रीय महिला परिषद् : क्षेत्रीय स्तर पर ग्राम महिला संगठनों का एक साझा मंच क्षेत्रीय महिला परिषद् है। क्षेत्रीय महिला परिषद् क्षेत्रीय संयोजिका के नेतृत्व में कार्य करती है। तमाम संगठनों की अध्यक्षायें, सचिव एवं पूर्व अध्यक्षायें क्षेत्रीय महिला कार्यकारिणी में सदस्याएं हैं। क्षेत्रीय महिला परिषद् संगठनों से जुड़ी महिलाओं के साथ ही अन्य गाँवों की महिलाओं को लेकर भी विचार–विमर्श करती है। क्षेत्रीय महिला परिषद् अपने संगठनों के मार्गदर्शन के साथ ही क्षेत्रीय समस्याओं को विभिन्न मंचों पर रखने का कार्य करती है।

कार्य योजना

क्षेत्रीय महिला परिषद् गणाई–गंगोली ने गोष्ठियों के माध्यम से स्वयं अपने लिए कुछ कार्य व विचार–बिंदु तय किये हैं। यह कोई अपरिवर्तनीय विचार नहीं हैं बल्कि प्रत्येक वर्ष इसमें आवश्यकता के अनुसार बदलाव किया जाता रहा है।

- **पंचायतों में सक्रिय भागीदारी–** महिलाओं को ग्राम स्तर पर प्रधान, वार्ड सदस्या, क्षेत्र पंचायत सदस्या, जिला पंचायत सदस्या का चुनाव लड़ना है। वे इस कार्य को अच्छी तरह से कर सकें तथा चुनाव के बाद चयनित महिलायें अपनी बातें गोष्ठियों में रख सकें, इसके लिए तैयारियाँ की जा रही हैं। प्रत्येक महिला स्वयं पढ़े व अपनी बात रखे तथा पुराने चुने प्रतिनिधियों से सीखे, यह प्रयास लगातार किया जा रहा है।

- **प्रतिनिधियों के लिए माँग–पत्र–** महिलाओं ने चुनावों में खड़े हो रहे प्रतिनिधियों को अपनी माँग बताने के लिए माँग–पत्र बनाने का निर्णय लिया है। माँग–पत्र प्रत्येक संगठन द्वारा साझी कार्यशाला में बनाये जाते हैं।

- **नेतृत्व क्षमता–** महिलाओं की नेतृत्व क्षमता बढ़ाने के लिए गोष्ठियाँ एवं कार्यशालाएं प्रस्तावित हैं।

- **व्यापक पहुँच–** गणाई क्षेत्र में जिला पंचायत तक पहुँच बनाने के लिए लगातार प्रयास चल रहा है। इसके साथ ही पुराने संगठनों को सक्रिय करने के प्रयास जारी हैं।

- **शैक्षणिक भ्रमण–** हर संगठन में नयी नेतृत्वकर्त्ता आई हैं। उनमें से ज्यादातर गाँव की बहुएं हैं। उनका अभिमुखीकरण कम है इसलिए उनका शैक्षणिक भ्रमण होना आवश्यक है।

- **अभिलेखीकरण–** प्रत्येक महिला संगठन बहुत सारा साझा काम करता है। अब यह प्रयास है कि वे अपने कोष व प्रस्ताव के अलावा गाँव में किये जा रहे कार्यों का ब्यौरा दें। इसके लिए उन्हें दो दिवसीय प्रशिक्षण देना जरूरी है।

- **ग्राम स्तर पर आपदा से बचाव के प्रयास–** महिलायें ग्राम कोष से सामुहिक बर्तन, तिरपाल व ऐसे अन्य साधन खरीदें जो सामुहिक काम–काज के लिए उपयोगी हों। इसके अलावा अब प्रत्येक गाँव में आपदा के समय उपयोग हो सकने वाले अन्नकोष, तंबू, जलावन व प्रकाश की व्यवस्था तथा ग्रामवासियों का आपदा से बचाव के लिए प्रशिक्षण आवश्यक गतिविधियाँ लगती हैं।

- **सक्रिय महिला परिषद्–** गणाई क्षेत्र में महिला परिषद् को अत्यंत सक्रिय परिषद् में बदलने के लिए उन्हें हर गाँव तक पहुँचाने का साधन, विशेष नियोजन की बैठक तथा सरकारी विभागों के साथ संवाद स्थापित करना जरूरी है।

- **जंगली जानवर–** कृषि पर वन्य प्राणियों द्वारा अतिक्रमण रोकने का सही उपाय नहीं मिल पा रहा है। यह प्रत्येक घर की चिन्ता का विषय है। इस कारण महिलायें कृषि को

लेकर अत्यंत चिंतित है। इसके लिए ग्राम स्तर पर एक राय बनाकर शासन–प्रशासन को ठोस सुझाव देने होंगे।

- **महिला भवन**– सार्वजनिक स्थलों पर प्रत्येक गाँव में महिला भवन बनाये जायें, जो प्रत्येक माह की बैठकें करने के काम आयें। उनमें आपदा व ग्राम–कोष की सामग्री रखी जा सके तथा आवश्यकतानुसार तकनीकी कौशल, हस्तशिल्प के काम किये जा सकें। महिला परिषद् इस विषय पर जन–प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करेगी।

- **स्वच्छता**– अनुसूचित जाति के गाँवों में प्रधानों द्वारा स्वच्छता के लिए सक्रिय प्रयास किये गये हैं। महिला परिषद् के सहयोग से स्वच्छता पर व्यापक काम हुआ है। अभी यह काम निरन्तर चलते रहना चाहिए ताकि इस सुविधा से वंचित घर लाभ ले सकें।

- **शिक्षा पर नजर**– महिला परिषद् मध्याह्न भोजन, प्राथमिक व आँगनवाड़ी शिक्षा केन्द्रों पर स्वयं निगरानी रखे। इसके लिए उन्हें तैयार किया गया है। प्रत्येक विद्यालय में तैनात शिक्षक अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें, इसके लिए उन्हें समय–समय पर गाँव से सूचना व सहयोग मिले, ऐसा माहौल बनाने का काम क्षेत्रीय महिला परिषद् ने प्रारम्भ किया है।

- **जानकारियाँ**– महिलायें लगभग सभी सरकारी सुविधायें विशेष रूप से बच्चों की शिक्षा, नवोदय विद्यालय या अन्य तकनीकी कौशलों के बारे में अनजान ही रहती हैं। उन्हें इस प्रकार की जानकारी देना, बैठकों का हिस्सा रहा है। इस पर साहित्य भी जरूरी है।

महिला परिषद् ने तय किया है कि वे प्रत्येक परिवार को खाद्यान योजना से जोड़ सकें। राशन–कार्ड, पेंशन और वजीफे का सही वितरण हो सके, इसके लिए संगठन अपने स्तर पर कार्य करेंगे। आवश्कतानुसार दबाव बनाने का काम भी संगठन करेंगे। यह एक व्यापक कार्य योजना है, इसके लिए महिलाओं ने विचार किया है। इस दिशा में अधिकतम काम किया जा सके, इसके लिए संस्था कार्यकर्त्ता निरन्तर मार्गदर्शन कर रहे हैं। कार्यक्रम का मूल बराबरी का दर्जा व सम्मान हासिल करना है, वास्तविक सशक्तता प्राप्त करना है। आजीविका के साधन जल, जंगल, जमीनों के संरक्षण–संवर्धन का काम होता रहे, इसके लिए निरन्तर काम करना है। क्षेत्रीय महिला परिषद् की सक्रिय सदस्याएं यह बात समझती हैं कि गाँवों में सभी महिलायें काम को नहीं समझ पा रही हैं। इसके लिए लगातार संवाद करते रहना ही एक सुगम तरीका है। इसके लिए सभी को निरंतर सीखना जारी रखना होगा। आने वाले समय में क्षेत्रीय महिला परिषद् गणाई–गंगोली एक प्रभावी संगठन बन सकें, ऐसा इस प्रारूप का मूल आधार है।

आपदा में ऊखीमठ का सफर

धरम सिंह लटवाल

मेरे साथी और मैं जब ऊखीमठ क्षेत्र में आपदा से प्रभावित लोगों से मिलने के लिए अल्मोड़ा से चले तो 16–17 जून, 2013 को केदारनाथ क्षेत्र में हुई तबाही के जो मंजर टी. वी. में दिखाये गये थे, वही दिमाग में चलचित्र की तरह चल रहे थे। उस दिन मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इसलिए सफर में उत्सुकता का आभास नहीं हुआ। दवायें साथ थीं। सहारा था तो सिर्फ हौसले का, एक इच्छा का जो उस मंजर को देखना चाहती थी जिसमें हजारों निर्दोष महिला, पुरूष, युवा एवं अबोध बच्चों की जानें चली गईं।

आपदा का अहसास तब हुआ जब हमारी गाड़ी चमोली जिले के मैठाणा क्षेत्र से गुजर रही थी। मैठाणा के पास सड़क लगभग सौ मीटर नीचे धँसी हुई थी। तथापि, छोटे वाहन उसी सड़क से गुजर रहे थे। बीच में एक स्थान इतना भयानक था कि उसमें हमारी गाड़ी पीछे से लगभग दो फीट नीचे खिसक गई, ऐसा लगा कि हम अलकनन्दा नदी में चले गये। मैं मैक्स के बीच में दाँयी ओर बैठा था। मरता क्या ना करता। मैंने खिड़की के ऊपर बने हत्थे को पकड़ा और जोर से गाड़ी को दाँयी ओर दबा दिया। बायीं ओर अलकनन्दा नदी बह रही थी। गाड़ी झटके से आगे निकल गई। मैंने गहरी साँस ली। कह कुछ नहीं पाया ताकि मेरे साथियों को अहसास न हो कि मैं डर गया था। उसके बाद अपने वाहन चालक साथी से सड़क की स्थिति के बारे में बातें शुरू कर दीं। कहा कि वे ड्राइवर जो लोगों को ऐसे स्थान से सुरक्षित निकालकर घर तक पहुँचा रहे हैं, वास्तव में भगवान के अवतार स्वरूप ही हैं।

12 अगस्त की शाम को ही ऊखीमठ तक पहुँचना था पर रास्ते में मलवा आने के कारण रात्रि विश्राम चोपता में ही करना पड़ा। जिस तंबू में हम ठहरे हुए थे वहाँ पर हमारी टीम के अलावा कोई पर्यटक नहीं थे। पर्यटकों के न आने की वजह से तंबू उखाड़ कर अलग रखे हुए थे। बाद में, दो युवा साथियों ने हमें खाना

खिलाते वक्त केदारनाथ में आयी आपदा की बातें बताईं। उन्होंने बताया कि आस–पास के गाँवों से सभी पुरूष इस सीजन में काम करने के लिए केदारनाथ क्षेत्र में जाते हैं। वे खच्चर, पालकी–कण्डी ढोकर और दुकानों, होटलों में काम करके साल भर की पूँजी इकट्ठा कर लेते हैं। इस वक्त बच्चों की भी स्कूल की छुट्टियाँ होती हैं। बड़े बच्चे भी काम करने के लिए केदारनाथ चले जाते हैं। वे यह भी बता रहे थे कि आपदा का कारण लोगों में ईश्वर के प्रति श्रद्धा कम होना, पिकनिक–हनीमून मनाने केदारनाथ आना, माँसाहार करना हैं। चूँकि ये सभी कार्य धार्मिक स्थानों में हो रहे थे इसलिए भोलेनाथ नाराज हो गये। परिणाम स्वरूप जो ताण्डव देखने को मिला, उसमें हजारों निर्दोष लोगों की जानें चली गईं।

हम सभी साथी तंबू में सोने चले गये। सोते वक्त मैंने अपने साथियों को बताया कि जब मैठाणा के पास गाड़ी दो फीट नीचे खिसक गई तो मैंने गाड़ी को अपनी तरफ दबाया था। मेरे साथी हँसे और बोले कि कुंतलों वजन की गाड़ी को मैंने कितना वजन देकर दबाया होगा। मैंने तुरंत कहा कि लगभग दो किलो का दबाव तो डाला ही होगा। इस बात पर हम सभी खूब हँसे।

चोपता से ऊखीमठ जाने वाला रास्ता बन्द था। हम तड़के ही ऊखीमठ के लिए निकल पड़े। कुछ ही दूर पहुँचे थे कि उषाणा गाँव के पास सड़क में बड़े–बड़े बोल्डर पड़े हुए दिखाई दिये। मलवा हटाने के लिए मशीन काम कर रही थी। बड़े बोल्डरों को ब्लास्ट करके तोड़ा जा रहा था। सड़क को साफ होने में लगभग तीन–चार घंटे लगने थे। यहाँ पर राहत सामग्री ले जाते हुए कई ट्रक भी फँसे हुए थे। इस बीच, हम उषाणा गाँव के महिला संगठन की अध्यक्षा के घर आपदा से संबंधित हाल–चाल पूछने चले गये। अध्यक्षा घर पर नहीं मिली। उनकी बहू घर पर थी। ग्रामवासियों ने बताया कि गाँव में नुकसान तो नहीं हुआ है पर खाने–पीने की चीजों की दिक्कत हो रही है। राहत सामग्री में बर्तन, कम्बल, कपड़े आदि तो काफी मिले, लेकिन राशन कम मिल रहा है। भले ही इस गाँव में नुकसान ना हुआ हो तथापि आपदा के दो माह बीत जाने के बाद भी लोग मायूस थे। रास्ते बन्द व खराब होने के कारण सम्पर्क टूटा हुआ था। इसके बावजूद राहत सामग्री गाँव में पहुँची हुई थी।

लंबे इंतजार के बाद रास्ता खुल गया और हम ऊखीमठ की तरफ बढ़े। कुछ ही दूर गये थे कि सड़क में बहुत बड़ी चट्टान आ गिरी। कुछ समय पश्चात् मशीन ने जमीन खोदकर छोटे वाहनों की आवाजाही के लिए रास्ता बना दिया और हम ऊखीमठ की ओर चले। ऊखीमठ पहुँचकर रहने की व्यवस्था की। थोड़ी देर बाद देखा कि ज्यों ही ट्रक राहत सामग्री लेकर बाजार में पहुँचे लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी। मालुम हुआ कि यह सामग्री ऊखीमठ से आगे जाने वाली थी। हम भी संस्थान से कुछ सामग्री अपने साथ ले गये थे। इसमें सोलर लाईट, कुछ दवायें, गेंती, फावड़ा, कुटला, दराती, तसले आदि सम्मिलित थे।

अगले दिन हमने प्रभावित गाँवों की तरफ प्रस्थान किया। सबसे पहले किमाणा गाँव में गये। मुझे मालूम हो गया था कि इस क्षेत्र में मकान–खेती आदि को नुकसान नहीं हुआ पर जनहानि काफी हुई है। जो लोग रामबाड़ा व केदारनाथ में काम करने गये, वे वापस नहीं लौटे। हम प्रभावित परिवारों से मिलने–जुलने लगे। एक परिवार के चार सदस्य (दो पुरूष व दो बच्चे) रामबाड़ा से वापस नहीं लौटे थे। मुझ से उस परिवार की महिलाओं व आँगन में खेल रहे छोटे बच्चों का दुःख नहीं देखा गया। आँखें भर आयीं। हिम्मत जुटाई और अन्य प्रभावित परिवारों से मिलने के लिए निकल पड़ा। किमाणा गाँव में तेरह परिवारों से मिले, जिसमें सोलह लोगों की मृत्यु हुई थी। सभी मृतक जवान पुरुष एवं बच्चे थे। मन दुःख से भर गया और खुद का जीवन क्षीण–मात्र लगने लगा।

हम इस क्षेत्र में चार दिन रहे। इस दौरान किमाणा, डुंगर, सेमला, गाँधीनगर, उदयपुर, पैंज, पठाली, सारी, ग्वाड़–सारी, चुन्नी, करोखी व दिलमी आदि गाँवों का भ्रमण कर महिलाओं का हालचाल जाना। प्रभावित परिवारों में ज्यादातर पैंतीस वर्ष से कम आयु की महिलायें थीं और उनके साथ सात–आठ साल से कम उम्र के बच्चे थे। हमने बारह गाँवों के साठ प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। इन परिवारों में मृतकों की संख्या उनहत्तर थी। मृतकों में सबसे ज्यादा सोलह से बीस वर्ष तक के बच्चे थे। ये सभी विगत वर्षों की भाँति आजीविका अर्जन के लिए रामबाड़ा, केदारघाटी, सोनप्रयाग आदि स्थानों में काम करने के लिए गये हुए थे। उनके मुख्य कार्य लॉज, ढाबा, दुकान चलाना, मंदिर समिति, डोली–कण्डी, खच्चर आदि थे।

गाँवों की हालत ऐसी थी कि अधिकांश परिवारों के कमाऊ पुरुष समाप्त हो चुके थे। इन परिवारों में सिर्फ बुजुर्ग महिलायें, कम उम्र की बहुएँ और छोटे–छोटे बच्चे बचे थे।

कर्मठ, युवा वर्ग की असामयिक मृत्यु के बाद मन में सवाल उठ रहे थे कि इन गाँवों का भविष्य कैसा होगा? उन महिलाओं का क्या होगा जिन का सहारा सिर्फ पति या बेटा था। वे कैसे खड़ी हो पायेंगी? इन महिलाओं की आँखों से आशा झलक रही थी कि शायद पति या बेटा वापस आयेगा। उनकी नजरें सामने रास्ते पर ही टिकी हुई थीं। आँखें बार–बार अपनों को ढूँढ रही थीं।

बच्चों को आभास था कि हमारे पिता व भाई कमाई करने के लिए केदारनाथ गये हुए हैं, कुछ समय बाद लौट ही आयेंगे। उन्हें यह आभास इसलिए भी हो रहा था कि मृतकों के पार्थिव शरीर घर नहीं पहुँचे थे।

इन्हीं सवालों और सांत्वनाओं के साथ हम सभी महिलाओं, बच्चों एवं आपदा के क्षेत्र से बचकर आये हुए लोगों से मिलते चले गये। प्रभावित परिवारों में सरकार ने एक मृतक पर पाँच लाख पच्चीस हजार रुपये मुआवजे के तौर पर दिये हैं। पैसा आने से कुछ महिलाओं की परेशानी बढ़ गई थी। जो महिलायें आज तक कई वर्षों से परिवार से अलग ही रह रही थीं, उनके साथ रहने के लिए देवर, जेठ का परिवार आ गया था। एक महिला को तो अपने पोते से हिंसा का शिकार तक होना पड़ा। कुछ महिलायें दूसरों के कहने पर अपने बच्चों के नाम या उनकी परवरिश में पैसा खर्च न करके नया मकान बनाने की बातें कर रहीं थी। महिलायें मुआवजे की धनराशि का सदुपयोग कैसे कर पायेंगी, यह मेरी चिन्ता थी।

साथ ही, केदारघाटी से बचकर आये पुरूषों व युवाओं की स्थिति अत्यंत चिंताजनक थी। उनके पास कुछ भी धन नहीं बचा है। कुछ परिवार कर्ज में भी हैं। कुछ युवाओं ने कर्ज लेकर खच्चर आदि खरीदे थे। साथ ही, वे कमाई हुई धनराशि को अपने पास न रखकर किसी लाला के पास जमा करके रखते थे। लेकिन अब न ही उनके पास पैसा बचा और ना ही पैसा संभाल कर रखने वाला लाला। इन लोगों का कहना था कि जब तक राहत सामग्री मिल रही है तब तक तो वे जी लेगें लेकिन उसके बाद परिवार के पालन–पोषण की चिंता है। यात्रा के दौरान साल भर की कमाई छह महीनों में अर्जित कर लेते थे। ऐसे युवाओं के पास कोई अन्य हुनर नहीं है। वे पलायन भी नहीं कर सकते। केदारनाथ क्षेत्र से बचकर आये हुए पुरुष काफी परेशान व धर्मसंकट में दिखाई दिये।

इन छह दिनों के सफर ने मेरे दिल–दिमाग को इतना प्रभावित किया कि काफी समय तक नींद नहीं आयी। बस आँखों में दुःखी महिलायें, नादान बच्चे, मायूस युवा–पुरूषों के चेहरे घूम रहे थे। चिन्ता इस बात की है कि केदारघाटी के निवासी कब और कैसे संभल पायेंगे? क्षेत्र की आर्थिक, सामाजिक व्यवस्था को पटरी पर लाना इस वक्त की एक बड़ी चुनौती है।